ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

नवम्बर 2024
वर्ष : 06 | अंक : 13
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

"भारत में जनजातीय सशक्तिकरण:

चुनौतियाँ, सरकारी योजनाएँ और भविष्य की दिशा

मुख्य विशेषताएं

- ब्रेन बूस्टर
- पावर पैक्ड न्यूज
- वन लाइनर
- यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस

ध्येय LAW®
An enterprise of Dhyeya IAS

DHYEYA LAW
के साथ अबकी बार
U.P. JUDICIARY पार

U.P. JUDICIARY SPECIAL BATCH

Brahmastra Batch

UPCOMING
NEW BATCH

Limited Seats!!!
Register Now!!!!!

SEPARATE BATCHES: हिन्दी & ENGLISH MEDIUM

MODE: OFFLINE & ONLINE

For more information:

9319991061

A-12, SECTOR J, ALIGANJ, NEAR BAATI CHOKHA RESTAURANT , LUCKNOW
JEEVAN PLAZA, VIRAM KHAND 5, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges exta

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-19

- भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्युः करुणा, स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा के मध्य संतुलन
- सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल सगाई पर रोक लगाने की वकालत
- सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को वैध ठहराया
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन)
- सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला वापस लिया
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को समान रूप से लागू करने से इनकार
- सर्वोच्च न्यायालय ने ईशा योग केंद्र के खिलाफ खारिज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
- टीबी रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रमुख पहलों का अनावरण
- राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) 2024
- मैया सम्मान योजना की राशि में वृद्धि
- सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान का अभिन्न अंग बताया
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024
- PMLA अनिश्चितकालीन हिरासत का साधन नहीं बन सकता-सुप्रीम कोर्ट

2. अन्तर्राष्ट्रीय 20-32

- मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्राः द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती
- ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपों की संप्रभुता मॉरीशस को लौटाने पर सहमति
- भारत-जमैका संबंध
- भारत-भूटान संबंध
- छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री वार्ता
- करतारपुर कॉरिडोर समझौता का नवीनीकरण
- कजान शिखर सम्मेलन और ब्रिक्सः बहुपक्षवाद का एक नया युग
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन 2024
- वैश्वीकरण और संरक्षणवाद के बीच भारत का बदलता व्यापार रुख
- नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता
- 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- मुसानेद प्लेटफार्म

3. पर्यावरण 33-45

- प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजनाः हरित भविष्य की ओर एक कदम
- असम की स्वैलोटेल तितलियाँ
- लिटिल प्रेस्पा झील
- ग्लेशियर पिघलने के कारण सीमाओं का पुनर्निर्धारण
- ओडिशा में तेंदुओं की आबादी
- गुजरात में जंगली गधों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि
- अमेजन बेसिन में 122 वर्षों का सबसे गंभीर सूखा
- वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024
- वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का विस्तार
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग
- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024
- गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन के लिए भारत का व्यापक सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों में आर्द्रभूमि की भूमिका

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 46-60

- भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप क्रांतिः सरकार की 100 करोड़ की पहल
- भारत में दुर्लभ बीमारीः वर्तमान चुनौतियाँ और नीति निर्देश

☑ मारबर्ग वायरस रोग (एमवीडी)
☑ फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड
☑ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024
☑ भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2024
☑ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024
☑ यूरोपा क्लिपर मिशन
☑ मस्तिष्क क्षय रोग (Brain Tuberculosis)
☑ स्मार्ट इंसुलिनः मधुमेह के उपचार में सफलता
☑ हीरे का चूर्ण सौर विकिरण प्रबंधन में सहायक
☑ भारत में साइबर धोखाधड़ी

5. आर्थिकी 61-75

☑ उड़ान योजनाः हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास में योगदान का मूल्यांकन
☑ दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत
☑ एफ एंड ओ ट्रेडिंग पर सेबी के नए नियम
☑ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं को तर्कसंगत बनाने को दी मंजूरी
☑ भारत विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर पार पहुँचने वाला चौथा देश बना
☑ आरबीआई ने रेपो दर स्थिर रखा
☑ ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड सर्वेक्षण
☑ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना
☑ अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024
☑ रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
☑ विश्व बैंक का बी-रेडी सूचकांक
☑ विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ा रोजगार
☑ फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024

6. विविध 76-92

☑ भारत में जनजातीय सशक्तिकरणः चुनौतियां, सरकारी योजनाऐं और भविष्य की दिशा
☑ बहुआयामी गरीबी सूचकांकः आय से परे गरीबी के समाधान की जरूरत
☑ असम राज्य के आठ पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग
☑ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' के रूप में दी मान्यता
☑ साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024
☑ नोबेल शांति पुरस्कार 2024
☑ वैश्विक भूख सूचकांक 2024
☑ ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश
☑ नॉन-काइनेटिक वारफेयर
☑ वंशानुगत कैंसर का एशिया में बढ़ता खतरा
☑ भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन में डब्ल्यूएचओ से मिली मान्यता
☑ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024
☑ भारत में रेल दुर्घटनाएं और सुरक्षा
☑ विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण रिपोर्ट
☑ भारत की शिक्षा में निरंतर निवेश

7. क्विक लर्न 93-134

ब्रेन बूस्टर 93-104
☑ डिजिटल गिरफ्तारी
☑ क्रूज भारत मिशन
☑ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन
☑ नमो ड्रोन दीदी योजना
☑ कोल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती
☑ भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना
☑ भारत में रक्षा विनिर्माण
☑ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
☑ टीबी मुक्त भारत की ओर
☑ जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन
☑ वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना का विस्तार
☑ ग्रीन हाइड्रोजन पर अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र

प्रमुख चर्चित स्थल 105-106

पावर पैक्ड न्यूज 107-120

वन लाइनर्स 121-123

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 124-134

1 राष्ट्रीय मुद्दे

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु: करुणा, स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा के मध्य संतुलन

सन्दर्भ:

निष्क्रिय इच्छामृत्यु घातक रूप से बीमार रोगियों से जीवन-रक्षक उपचार को रोकने या वापस लेने की प्रक्रिया है, जोकि भारत में एक विवादास्पद विषय रहा है। हाल ही में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में कानूनी, नैतिक और व्यावहारिक चिंताओं का समाधान करते हुए इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश पेश किए हैं।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का कानूनी विकास:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के निर्णय में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी। इस निर्णय के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) की अनुमति मिली, जिससे रोगियों को जीवन के अंत में अपनी देखभाल के संबंध में प्राथमिकताएँ दर्ज करने का अधिकार मिला, जिसमें जीवन रक्षक वापस लेने के अधिकार भी शामिल थे। हालाँकि, 2018 के दिशा-निर्देशों ने न्यायिक और चिकित्सा समीक्षा की कई परतों को अनिवार्य किया, जिसे इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन सहित विभिन्न हितधारकों ने इसे अत्यधिक बोझिल माना।
- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने हाल ही में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनमें करुणा, रोगी की स्वायत्तता के प्रति सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। अद्यतन दिशानिर्देश जीवन के अंत के निर्णयों को अधिक सुलभ, कानूनी रूप से उपयुक्त और रोगी-केंद्रित बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं।

डीजीएचएस दिशानिर्देशों के प्रमुख प्रावधान:

- नए डीजीएचएस दिशा-निर्देश रोगी के अधिकारों की रक्षा तथा कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को सुविधाजनक बनाने के लिए मानदंड और प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- **जीवन रक्षक प्रणाली वापस लेने की शर्तें:** निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर विचार तब किया जा सकता है जब:
  - मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOA) के अंतर्गत मरीज को मृत (ब्रेनस्टेम) घोषित किया गया हो।
  - चिकित्सा आकलन से यह स्पष्ट हो कि निरंतर उपचार से कोई लाभ नहीं होगा, जैसे कि असाध्य रोगों के मामले में।
  - रोगी या उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में जीवन-रक्षक उपचार को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की गई हो।
  - सभी प्रक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कानूनी और नैतिक सुदृढ़ता सुनिश्चित हो सके।
- **सुव्यवस्थित मेडिकल बोर्ड की आवश्यकताएँ:** 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मेडिकल बोर्ड द्वारा दो-चरणीय समीक्षा की आवश्यकता थी, जिसमें प्रत्येक में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले डॉक्टर शामिल थे। अब डीजीएचएस न्यूनतम

पाँच वर्ष के अनुभव वाले डॉक्टरों को अनुमति देता है, जिसमें बोर्ड में तीन सदस्य रहेगे। यह विशेष रूप से छोटी सुविधाओं वाले अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना सरल बनाता है।

- **निर्णय लेने की समय सीमा:** डीजीएचएस ने प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड दोनों को निर्णय देने के लिए 48 घंटे की अवधि निर्धारित की है। इस प्रावधान का उद्देश्य समय पर और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेना सुनिश्चित करना है, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल में तेजी लाई जा सके।
- **सीपीआर न करने के निर्देश (डीएनएआर):** दिशा निर्देशों में डॉक्टरों को पुनर्जीवन प्रयासों (सीपीआर) से परहेज करने की अनुमति मिलती है जब बचने की संभावना नगण्य होती है। यह अतिरिक्त आदेश अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेपों से बचने और रोगी के अधिकार को सम्मान देने के महत्व को उजागर करता है।
- **कानूनी और नैतिक सुरक्षा:** दिशा-निर्देश रोगी की स्वायत्तता की पुष्टि करते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता वाले लोगों को जीवन-रक्षक उपचार से इनकार करने की अनुमति मिलती है। ऐसे मामलों में जहां रोगी अक्षम हैं, एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड (पीएमबी) की सहमति, जिसे द्वितीयक बोर्ड (एसएमबी) द्वारा मान्य किया जाता है, की आवश्यकता होती है। यह स्तरित दृष्टिकोण नैतिक निगरानी और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

डीजीएचएस दिशानिर्देशों के संभावित लाभः

- **रोगी की स्वायत्तता को बढ़ाना:** एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) के माध्यम से रोगियों को जीवन के अंत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की अनुमति देकर, दिशानिर्देश व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा के सम्मान को बढ़ावा देते हैं। इससे रोगियों को यह आश्वासन मिलता है कि उनके मूल्यों और विकल्पों का सम्मान किया जाएगा, जो एक अधिक मानवीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान करता है।
- **परिवारों पर वित्तीय और भावनात्मक बोझ कम करना:** जीवन-रक्षक उपचार अक्सर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक तनाव का कारण बनते हैं। उपचार को वापस लेने की सुविधा प्रदान करने से परिवार अपने प्रियजनों के साथ सहायक देखभाल और व्यक्तिगत समय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम करना:** निष्क्रिय इच्छामृत्यु उपचार योग्य स्थितियों वाले रोगियों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल बिस्तरों और उपकरणों का पुनः आवंटन करके स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के अनुकूलन में मदद करती है। इस संसाधनों के कुशल उपयोग का एक लहर जैसा प्रभाव पड़ता है, जो भारत में स्वास्थ्य सेवा की समग्र गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाता है।
- **चिकित्सकों के लिए स्पष्टता प्रदान करना:** जीवन के अंत में देखभाल के निर्णयों के लिए एक संरचित ढांचा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कानूनी अस्पष्टता के बिना इन संवेदनशील निर्णयों को समझने में सहायता करता है। स्पष्ट प्रोटोकॉल चिकित्सकों के बीच अस्पष्टता को कम करते हैं और उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित ढांचे के भीतर दयालु देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँः

- **दुरुपयोग का जोखिम और कानूनी चुनौतियाँः** भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) और अन्य संगठनों ने चिंता व्यक्त की है कि परिवार यदि जीवन-रक्षक प्रणाली का विरोध करते हैं, तो मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता का संकेत मिलता है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलताएँ:** भारत का विविध धार्मिक परिदृश्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रति प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि कुछ समुदाय इसे नैतिक रूप से अस्वीकार्य मान सकते हैं।
- **सूचित सहमति और स्वास्थ्य साक्षरता:** बदलती साक्षरता दरों को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रोगी और उनके परिवार निष्क्रिय इच्छामृत्यु को पूरी तरह से समझें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस दिशा में सार्वजनिक शिक्षा अभियान आवश्यक हैं।
- **परिवारों पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** जीवन के अंतिम चरण के निर्णय कष्टदायक हो सकते हैं, और भारत में परिवार की देखभाल पर सांस्कृतिक जोर इस भावनात्मक बोझ को बढ़ाता है। परामर्श और उपशामक देखभाल परिवारों को कठिन निर्णयों से निपटने में मदद कर सकती है।

इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु पर वैश्विक परिप्रेक्ष्यः

- **यूरोप:** नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे देशों में सक्रिय इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या को सख्त शर्तों के तहत अनुमति दी गई है। मरीजों को असहनीय पीड़ा का अनुभव करने और कई चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरने की आवश्यकता होती है।
- **स्विटजरलैंड:** स्विस कानून, डिग्निटास जैसे संगठनों के माध्यम से, गैर-निवासियों सहित चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति देता है। नैतिक बहस के बावजूद, इस मॉडल ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
- **कनाडा:** 2016 में, कनाडा ने चिकित्सा सहायता के साथ मृत्यु (MAID) की शुरुआत की, जिसमें अनिवार्य मूल्यांकन और सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा अवधि निर्धारित की गई।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** ओरेगन और वाशिंगटन जैसे राज्यों में 'सम्मान के साथ मृत्यु' कानून लागू हैं, जो चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति देते हैं, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध है।

आगे की राहः

- डीजीएचएस दिशा-निर्देश भारत में करुणामय और रोगी-केंद्रित जीवन-पर्यंत देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
  - **देखभाल का विस्तारः** उन्नत देखभाल सेवाएँ दर्द प्रबंधन और भावनात्मक समर्थन प्रदान करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु के विकल्प की पेशकश कर सकती हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है।
  - **कानूनी सुरक्षा को स्पष्ट करनाः** अतिरिक्त कानूनी ढांचे की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह आश्वासन मिल सकता है कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए सुरक्षित हैं। इससे उनके कानूनी जोखिम कम होंगे और अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
  - **स्वास्थ्य साक्षरता और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देनाः** सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियानों के माध्यम से निष्क्रिय इच्छामृत्यु और उपलब्ध विकल्पों की समझ में सुधार लाया जा सकता है, जिससे रोगियों और परिवारों को उनके मूल्यों के अनुरूप सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाया जा सके।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु जीवन के अंत में सम्मान, विकल्प और करुणा को प्राथमिकता देकर रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत के द्वारा इन दिशा-निर्देशों को अपनाने पर नैतिक विचारों, सांस्कृतिक मूल्यों और कानूनी सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती का सामना करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल सगाई पर रोक लगाने की वकालत

संदर्भः

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल सगाई के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए निर्णय दिया कि बाल सगाई, बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के अंतर्गत दंड से बचने का एक उपाय है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बाल सगाई से स्वतंत्र विकल्प, व्यक्तिगत स्वायत्तता और बचपन की अंतर्निहित गरिमा सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

बाल विवाह कानून को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकताः

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में अधिनियमित बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के मौजूदा ढांचे में बाल सगाई से संबंधित कानूनी अस्पष्टताओं को उजागर किया। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को 'बालक' के रूप में वर्गीकृत करता है तथा बाल विवाह की प्रथा को एक सामाजिक कुप्रथा मानते हुए इसे अपराध घोषित करता है।
- बाल विवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से कानूनी प्रावधानों के बावजूद, न्यायालय ने इन प्रथाओं के निरंतर प्रचलन और प्रवर्तन तंत्र की कमी पर ध्यान आकृष्ट किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताया कि सरकार ने व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) पर बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) की सर्वोच्चता के संबंध में न्यायिक स्पष्टीकरण के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के विरोधाभासी निर्णयों के अभाव ने एक व्यापक कानूनी समाधान में बाधा उत्पन्न की। न्यायालय ने उन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए विधायी स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया, जो बाल विवाह जैसी प्रथाओं के निरंतर जारी रहने में सहायक हैं।

नीति सुधार के लिए न्यायिक सिफारिशेंः

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह और बाल सगाई के विरुद्ध सरकारी नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं:

- **आयु-उपयुक्त यौन शिक्षा का समावेशः** न्यायालय ने स्कूल पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील यौन शिक्षा को अनिवार्य करने का सुझाव दिया, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके।
- **बाल विवाह मुक्त गांव अभियानः** 'खुले में शौच मुक्त गांव' अभियान की तर्ज पर, न्यायालय ने समुदाय आधारित अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें स्थानीय नेताओं की सक्रिय भागीदारी से बाल विवाह की समाप्ति का प्रयास किया जाए।
- **ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापनाः** न्यायालय ने बाल विवाह की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग और हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने की सिफारिश की।
- **मुआवजा योजना का निर्माणः** बाल विवाह से बाहर निकलने वाली लड़कियों के लिए न्यायालय ने वित्तीय सहायता योजनाएं विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
- **वार्षिक बजट आवंटनः** न्यायालय ने बाल विवाह रोकथाम

और इससे प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए समर्पित वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिससे नाबालिगों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा हो सके।

भारत में बाल विवाह:

- द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रत्येक पाँच में से एक लड़की और छह में से एक लड़के का विवाह अभी भी कानूनी आयु से पहले हो रहा है। यद्यपि बाल विवाह की दर में धीमी गिरावट आई है, फिर भी 1.4 अरब की आबादी वाले देश में 23.3% की मौजूदा व्यापकता चिंताजनक बनी हुई है।
- भारत के आठ राज्यों में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा प्रमुख हैं। इन राज्यों में 20-24 आयु वर्ग की 40% से अधिक महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है।
- इसके विपरीत, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों ने बाल विवाह को कम करने में सराहनीय प्रगति की है, जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के हालिया आंकड़ों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

वैश्विक संदर्भ:

- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन लड़कियों का विवाह वयस्कता से पहले कर दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 का उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है।
- दक्षिण एशिया में बाल विवाह की दर 50% से घटकर 30% से नीचे आ गई है, लेकिन प्रगति असमान और अपर्याप्त है।

कानूनी ढांचा:

भारत ने बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए कई कानून लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006):** इस अधिनियम के अनुसार 'बच्चा' वह है जो 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला है। मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बाल विवाह के लिए मजबूर किए गए लड़के और लड़कियों को वयस्क होने के दो वर्ष बाद तक अपने विवाह को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
  - बाल विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाएगा।
  - यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बाल हिरासत का निर्णय जिला न्यायालय द्वारा बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- **अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम (2006):** यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए धर्म की परवाह किए बिना, सभी विवाहों का पंजीकरण 10 दिनों के भीतर अनिवार्य करता है।
- **कानूनी विवाह आयु की समीक्षा के लिए समिति (2020):** जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2020 में किया गया, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए कानूनी विवाह की आयु 21 वर्ष करने के प्रभावों का अध्ययन करना था। इस समिति ने मातृ मृत्यु दर और महिला स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):** शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देकर बाल विवाह को हतोत्साहित करने वाला वातावरण तैयार करता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम:** यह अधिनियम किसी नाबालिग के साथ किसी भी यौन गतिविधि को, चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार मानता है, और बच्चों के शोषण से उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
- **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021:** इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है।

विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का औचित्य:

विवाह के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

- **शिक्षा और रोजगार तक पहुंच:** कम उम्र में विवाह अक्सर महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच से वंचित कर देता है। विवाह की आयु बढ़ाने से अधिक महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
- **स्वास्थ्य जटिलताएँ:** कम उम्र में विवाह और बाद में गर्भधारण से माताओं और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम उम्र की माताओं को विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं का अधिक जोखिम होता है, जिनमें प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य चुनौतियाँ, कुपोषण, और यौन संचारित रोगों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता शामिल है।

सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ:

- बाल विवाह से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई पहल शुरू की हैं:
  - **सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई):** 2015 में शुरू की गई यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
  - **बालिका समृद्धि योजना:** इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उनका नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है, जिससे बेहतर

» प्रोत्साहित करती है, जिससे बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
» **बालिका समृद्धि योजना:** इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उनका नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है, जिससे बेहतर महिला साक्षरता को बढाया जा सके।
» **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। इसके साथ ही, लोगों को जागरूक करना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में सुधार करना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संबंधित दिशा-निर्देश नाबालिगों को बाल विवाह और सगाई की प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। न्यायालय ने शैक्षिक पहल और सामुदायिक भागीदारी की वकालत करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि बाल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नाबालिगों के अधिकारों और स्वायत्तता की मान्यता की दिशा में एक सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दिया जाए।

संक्षिप्त मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को वैध ठहराया

चर्चा में क्यों?

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत 24 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई थी। केंद्र में राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1985 में धारा 6ए को कानून में जोड़ा गया था।

धारा 6ए की पृष्ठभूमि:

➢ 1986 में अधिनियमित, धारा 6ए को बांग्लादेश से प्रवास की विशिष्ट परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए जोड़ा गया था, विशेष रूप से 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आसपास की उथल-पुथल भरी अवधि के दौरान।
➢ यह 24 मार्च, 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिससे निर्वासन के डर के बिना भारत में रहने के उनके अधिकार को मान्यता मिलती है।

निर्णय:

➢ न्यायधीशों ने बहुमत की राय में कहा गया कि संसद को विभिन्न परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है, बशर्ते कि भेदभाव उचित हो।
➢ चूंकि उस समय असम में प्रवासी स्थिति शेष भारत की तुलना में अद्वितीय थी, इसलिए इसे विशेष रूप से संबोधित करने के लिए एक कानून बनाना उचित था और ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।
➢ याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि प्रवासियों की आमद ने असम में पहले से रह रहे नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों को प्रभावित किया है। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को 'संरक्षित' करने का अधिकार देता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि "किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी अनुच्छेद 29(1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है"।
➢ 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तिथियां संवैधानिक थीं क्योंकि धारा 6ए और नागरिकता नियम, 2009 नागरिकता प्रदान करने के लिए 'सुपाठ्य' शर्तें और एक उचित प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

असहमति:

➢ न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है और इसमें "समय संबंधी अनुचितता" है, क्योंकि इसमें विदेशियों का पता लगाने और यह निर्धारित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वे नागरिक हैं या नहीं।
➢ उन्होंने कहा कि इससे सरकार को अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बोझ से मुक्ति मिल जाती है, जो असम के लोगों के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य के विरुद्ध है।

फैसले के निहितार्थ:

➢ **प्रवासियों के लिए स्थिरता:** यह फैसला उन हजारों व्यक्तियों और परिवारों को कानूनी आश्वासन प्रदान करता है जो पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं। यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है

और राज्यविहीनता के डर को दूर करता है।

- **राजनीतिक नतीजे:** यह फैसला भारत में नागरिकता और प्रवासन को लेकर चल रही बहसों को प्रभावित कर सकता है, खासकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के संदर्भ में।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ प्रवासन एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, यह फैसला या तो तनाव बढ़ा सकता है या ऐतिहासिक प्रवासन की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा दे सकता है।
- **भविष्य के कानूनी ढाँचे:** यह फैसला भविष्य की प्रवासन नीतियों को कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके लिए एक मिसाल कायम करता है, जो संभावित रूप से विधायी परिवर्तनों को प्रभावित करता है जो एक विविध राष्ट्र में नागरिकता की जटिलताओं को संबोधित करते हैं।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 6ए को बरकरार रखना मानवीय चिंताओं और राष्ट्रीय अखंडता के बीच संतुलन बनाने के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। यह निर्णय न केवल सीधे प्रभावित लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि प्रवासियों के संबंध में भारत के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य को भी आकार देता है। जैसे-जैसे चर्चाएँ जारी रहेंगी, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के लिए भारत में नागरिकता की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 10,103 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य और कार्यान्वयन:

- एनएमईओ-तिलहन का उद्देश्य रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे प्राथमिक तिलहन उत्पादन 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़कर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन हो जाएगा।
- इस पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-(ऑयल पाम) के साथ मिलकर मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन करना है, जो भारत की अनुमानित घरेलू आवश्यकता का लगभग 72% पूरा करेगा।

मुख्य रणनीतियाँ:

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा:

- उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों को अपनाने को बढ़ावा देना और चावल की बंजर भूमि में खेती का विस्तार करना।
- 'बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की योग्यता और समग्र सूची (साथी)' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग बीज योजना की स्थापना करना।
- बीज उत्पादन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयाँ विकसित करना।
- 347 जिलों में 600 से अधिक मूल्य शृंखला क्लस्टर बनाना, किसानों की गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) में प्रशिक्षण और कीट प्रबंधन सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना।

किसानों का समर्थन करना और आयात पर निर्भरता कम करना:

- इस पहल का उद्देश्य तिलहन की खेती को 4 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है, विशेष रूप इसके लिए चावल और आलू की बंजर भूमि को लक्षित करना।
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों

को फसल कटाई के बाद की इकाइयां स्थापित करने या उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे विभिन्न तेल स्रोतों से रिकवरी दर में सुधार होगा।

- मिशन खाद्य तेलों के लिए अनुशंसित आहार संबंधी दिशा-निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान लागू करेगा।

पृष्ठभूमिः

- भारत, वर्तमान में अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का 57% आयात करता है, जिसने सरकार को आत्मनिर्भरता के लिए कई उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया गया है।
- इनमें 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) की शुरुआत और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि शामिल है।
- इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, 20% आयात शुल्क के माध्यम से घरेलू किसानों को सस्ते आयात से बचाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना है।
- एनएमईओ-तिलहन भारत के कृषि परिदृश्य को सुधारने, विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला वापस लिया

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के अपने फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति कानून में किए गए प्रावधानों और संशोधनों को 'असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना' घोषित किया गया था।

- 2016 में पेश किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था और किसी व्यक्ति को तीन साल के लिए जेल भेजा जा सकता था। इसने केंद्र को बेनामी लेनदेन के अधीन 'किसी भी संपत्ति' को जब्त करने का अधिकार दिया था।
- इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्णय केंद्र सरकार और आयकर उपायुक्त (बेनामी निषेध) द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं पर आधारित था।

सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसलाः

- **फैसले का अवलोकनः** 2022 के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन अधिनियम में कुछ संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्हें रद्द कर दिया। इस फैसले में सरकार की संपत्तियों को जब्त करने और जुर्माना लगाने की व्यापक शक्तियों पर सवाल उठाया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे व्यक्तिगत अधिकारों और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है।

निर्णय के कानूनी आधारः

- न्यायालय ने प्राधिकारियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- इसने सबूत के बोझ और बेनामी लेनदेन में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को उठाया।

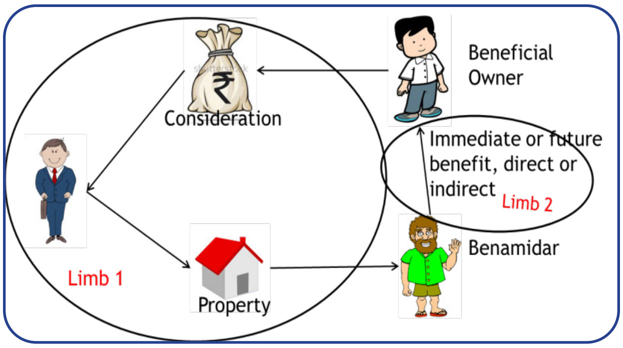

2022 के फैसले को वापस लेनाः

- **हालिया घटनाक्रमः** एक आश्चर्यजनक मोड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के फैसले को वापस ले लिया है, जो बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ उठाता है।

रिकॉल के निहितार्थः

- **प्रावधानों की बहालीः** रिकॉल प्रभावी रूप से उन संशोधनों को बहाल करता है जिन्हें असंवैधानिक माना गया था, जिससे अधिकारियों को बेनामी मामलों को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का अधिकार मिलता है।
- **कानूनी ढांचाः** यह बेनामी लेनदेन की जांच और मुकदमा चलाने के सरकार के प्रयासों के लिए कानूनी आधार को मजबूत करता है, इस प्रकार भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार से निपटने में इसकी पहुंच का विस्तार करता है।

प्रवर्तन और जांच पर प्रभावः

- **प्रवर्तन शक्तियों में वृद्धिः** रिकॉल के साथ, सरकार संदिग्ध बेनामी लेनदेन की जांच अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  - » **उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों को लक्षित करनाः** अधिकारी प्रॉक्सी के पीछे छिपे व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान करने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं।
  - » **बढ़ी हुई जांचः** वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से रियल

एस्टेट और बड़ी संपत्ति खरीद पर अधिक जांच लागू की जाएगी।

» **दुरुपयोग की संभावना:** हालांकि रिकॉल का उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत करना है, लेकिन अधिनियम के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं हैं:

» **मनमाना जब्ती:** आलोचकों को डर है कि अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बिना पर्याप्त सबूत के अनुचित जब्ती हो सकती है।

» **संपत्ति के लेन-देन पर नकारात्मक प्रभाव:** अनिश्चितता वैध लेन-देन को रोक सकती है क्योंकि लोग अनुचित जांच से डरते हैं।

निष्कर्ष:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम पर 2022 के फैसले को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जबकि इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करना है, यह व्यक्तिगत अधिकारों और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, हितधारक बारीकी से देखेंगे कि ये कानूनी और प्रवर्तन गतिशीलता व्यवहार में कैसे काम करती है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को समान रूप से लागू करने से इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने से इनकार किया है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने संसद की भूमिका को रेखांकित किया है, जोकि लंबित विधेयक के माध्यम से इस कानून को व्यक्तिगत कानूनों पर लागू करने का विचार कर रही है। न्यायालय ने नाबालिगों को बाल विवाह के खतरों से बचाने के लिए व्यापक और प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

निर्णय का संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें 18 वर्ष पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के लागू होने के बावजूद भारत में बाल विवाह की जारी व्यापकता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

- **बाल सगाई:** न्यायालय ने संसद को सिफारिश की है कि वह बाल सगाई को गैरकानूनी घोषित करने की संभावनाओं की जांच करे। यह प्रथा अक्सर एक ऐसा उपाय बन जाती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) द्वारा निर्धारित दंड से बचने का अवसर मिलता है।
- **नाबालिगों की सुरक्षा:** निर्णय में नाबालिगों को बाल सगाई से बचाने के महत्व पर जोर दिया गया। अदालत ने नाबलिकों की पसंद की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून:** न्यायाधीशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों का संदर्भ दिया, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू), जो स्पष्ट रूप से नाबालिगों की सगाई पर प्रतिबंध लगाता है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच संरेखण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **दंडात्मक दृष्टिकोण:** न्यायालय ने चेतावनी दी कि पीसीएमए के उल्लंघनों को संबोधित करते समय दंडात्मक दृष्टिकोण अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बजाय, इसने जागरूकता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवारक उपायों की वकालत की।

भारत में बाल विवाह के बारे में:

- **वर्तमान आँकड़े:** 15 दिसंबर, 2023 को द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में पाँच में से एक लड़की और छह में से एक लड़के की शादी कानूनी उम्र से कम उम्र में होती है। बाल विवाह का वर्तमान प्रचलन 23.3% है, जो 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के देश में चिंताजनक है।

राज्यों में असमानता:

- आठ राज्यों में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- **शीर्ष राज्य:** पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा सबसे आगे हैं, जहाँ 20-24 वर्ष की आयु की 40% से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।

कानूनी ढांचे के बारे में:

भारत में बच्चों को अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006):**
  » 'बच्चे' की परिभाषा के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला शामिल है।
  » वयस्क होने के दो वर्ष बाद तक बाल विवाह को रद्द करने की अनुमति देता है।
  » यह सुनिश्चित करता है कि बाल विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाए।

» बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हिरासत संबंधी निर्णय जिला न्यायालयों द्वारा लिए जाते हैं।

- **अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम (2006):**
  » बाल विवाह को रोकने के लिए, धर्म की परवाह किए बिना, सभी विवाहों का 10 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
- **कानूनी विवाह आयु की समीक्षा समिति (2020):**
  » जया जेटली के नेतृत्व में इस समिति की स्थापना लड़कियों की कानूनी विवाह आयु 21 वर्ष करने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए की गई थी, जिसमें मातृ मृत्यु दर और महिला स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विचार किया गया था।
- **बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021:**
  » महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव।

आगे की राह:

बाल विवाहों के प्रभावी निवारण हेतु विशेषज्ञों द्वारा सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) में संशोधन का सुझाव दिया गया है, ताकि व्यक्तिगत कानूनों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट किया जा सके। इसके साथ ही, पीसीएमए के प्रावधानों के प्रति जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बाल विवाहों की रोकथाम और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों- जैसे गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक नेता और सरकारी एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ईशा योग केंद्र के खिलाफ खारिज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोयंबटूर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस.कामराज द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी दो बेटियां आध्यात्मिक नेता जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा योग केंद्र में बंदी बनाकर रखी गई थीं और उनका ब्रेनवॉश किया जा रहा था। यह याचिका मूल रूप से मद्रास उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित की गई थी।

- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लेख किया कि 39 और 42 वर्ष की दोनों बेटियां वयस्क हैं और स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य पूरा हो गया है, क्योंकि महिलाओं ने यह पुष्टि की है कि वे किसी भी समय आश्रम से जा सकती हैं। इसलिए, आगे कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया खत्म होने से ईशा फाउंडेशन की नियामक जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण:

- बंदी प्रत्यक्षीकरण एक संवैधानिक उपाय है, जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से सुरक्षित रखता है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के गिरफ्तार किया गया है, तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
- भारत में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहाली के लिए एक त्वरित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक रिट्स:

- **परमादेश (Mandamus):** यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी सार्वजनिक अधिकारी या निकाय को उसके द्वारा निभाए जाने वाले कानूनी कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश देता है।
- **प्रतिषेध (Prohibition):** यह आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
- **उत्प्रेषण आदेश (Certiorari):** यह आदेश निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उसकी कार्यवाही में त्रुटियों को सुधारने का निर्देश देता है।
- **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto):** यह आदेश आवश्यक योग्यता के बिना किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की वैधता को चुनौती देता है।

टीबी रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रमुख पहलों का अनावरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने तपेदिक (टीबी) उन्मूलन के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य टीबी रोगियों और उनके परिवारों के लिए पोषण सहायता पात्रता बढ़ाना हैं। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

मुख्य घोषणाएँ:

- **वित्तीय सहायता में वृद्धिः** नि-क्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 500 से बढ़ाकर 1,000 प्रति रोगी कर दिया गया है। यह वृद्धि उपचार की पूरी अवधि के लिए लागू होती है, जो टीबी रोगियों के स्वास्थ्य और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।
- **ऊर्जा सघन पोषण अनुपूरण (ईडीएनएस):** ऊर्जा सघन पोषण अनुपूरण 18.5 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले रोगियों को लक्षित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पोषण सहायता का उद्देश्य टीबी रोगियों द्वारा अक्सर सामना की जाने वाली आहार संबंधी कमियों को दूर करना है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और रिकवरी को बढ़ावा मिलता है।

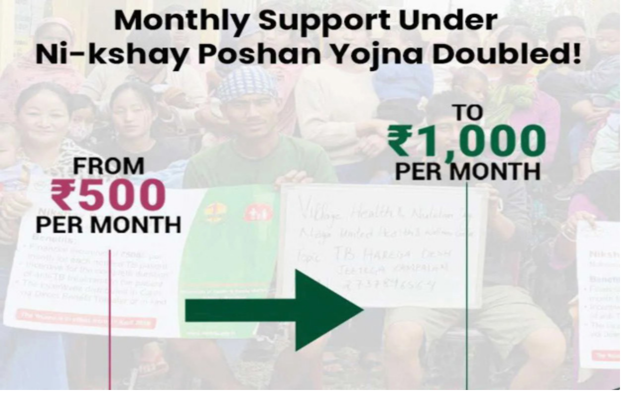

- **सहायता के लिए विस्तारित पात्रताः** टीबी रोगियों के सभी घरेलू संपर्क अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस पहल के अंतर्गत, परिवार के सदस्यों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई खाद्य टोकरियाँ वितरित की जाएँगी। इसका उद्देश्य टीबी रोगियों और उनके परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय को कम करना है, जिससे उपचार के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित हो सके।

तपेदिक (टीबी) के बारे में:

- तपेदिक (टीबी) एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है।
- बेसिल कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) वैक्सीनः टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

ड्रग-रेसिस्टेंट टीबीः

- ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी तब होता है जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एक या अधिक एंटी-टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जिससे उपचार जटिल हो जाता है।

भारत में टीबी उन्मूलन के लिए रणनीतिक दृष्टिः

- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी):** मार्च 2018 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है। यह प्रारंभिक निदान, उपचार और रोकथाम रणनीतियों के माध्यम से टीबी की घटनाओं को कम करने पर केंद्रित है।
- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए):** 9 सितंबर, 2022 को आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य पेशेवरों सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी पर जोर देकर एकजुट बनाने का प्रयास करता है।
- **निक्षय मित्र कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम टीबी रोगियों की बहुआयामी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता जैसी आवश्यक सेवाएँ शामिल हैं, ताकि रोगियों को समग्र देखभाल मिल सके।
- **निक्षय 2.0 पोर्टलः** यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीबी नियंत्रण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और रोगियों की सहायता के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों का उपयोग करता है। निक्षय 2.0 का उद्देश्य टीबी रोगियों के लिए सहायता का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी):** इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 1997 में की गई थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित 'प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाले उपचार लघु- पाठ्यक्रम' (डीओटीएस) रणनीति को अपनाया गया। यह एक व्यवस्थित और लागत-प्रभावी दृष्टिकोण है, जिसने भारत में टीबी नियंत्रण प्रयासों को पुनर्जीवित किया है। इस कार्यक्रम में उपचार के पालन और रोगियों की नियमित निगरानी पर खास ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) 2024 लॉन्च की है, जोकि भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना है, ताकि भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) 2024 की मुख्य

विशेषताएंः

- **ट्रांसमिशन क्षमता विस्तारः** इस योजना का लक्ष्य 2032 तक 1,91,000 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों और 1,270 जीवीए परिवर्तन क्षमता (ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी) को जोड़ना है। इससे उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक अक्षय ऊर्जा का कुशल संचरण सुनिश्चित होगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यः** एनईपी का मुख्य उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुगम बनाना है, जिसे 2032 तक बढ़ाकर 600 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँः** सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अस्थायी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में 47 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और 31 गीगावाट पंप स्टोरेज प्लांट के प्रावधान शामिल हैं। ये प्रणालियाँ ग्रिड को स्थिर करने और एक सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
- **हरित हाइड्रोजन और अमोनिया हबः** एनईपी के अंतर्गत मुंद्रा, कांडला और विजाग जैसे तटीय स्थानों पर हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों को स्थापित करने की योजना भी है, जोकि भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

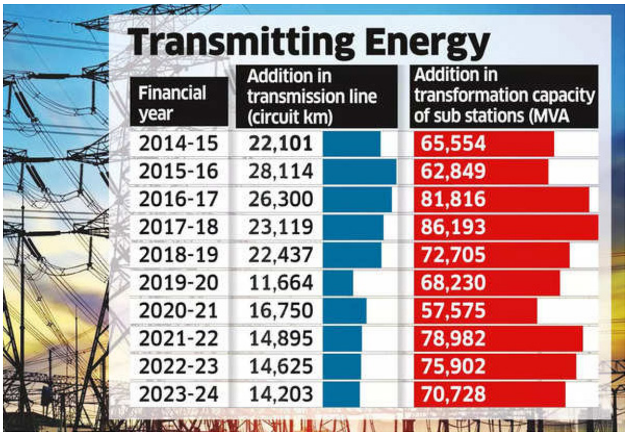

Transmitting Energy

Financial year	Addition in transmission line (circuit km)	Addition in transformation capacity of sub stations (MVA
2014-15	22,101	65,554
2015-16	28,114	62,849
2016-17	26,300	81,816
2017-18	23,119	86,193
2018-19	22,437	72,705
2019-20	11,664	68,230
2020-21	16,750	57,575
2021-22	14,895	78,982
2022-23	14,625	75,902
2023-24	14,203	70,728

योजना के आर्थिक प्रभाव और निवेश के अवसरः

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) महत्वपूर्ण निवेश के अवसर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 2032 तक ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में 9,15,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की सम्भावना है।
- इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को गति देने और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।
- यह योजना मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और संबंधित घटकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।

सीमा पार कनेक्टिविटीः

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) अंतर-क्षेत्रीय और सीमा पार कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देती है। इसी संदर्भ में भारत की अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता 2032 तक 119 गीगावाट से बढ़कर 168 गीगावाट होने की संभावना है।
- इस योजना में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा पार संपर्क को शामिल किया गया है, साथ ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संपर्क की संभावनाएं भी शामिल हैं।

तकनीकी उन्नतिः

- विशाल ट्रांसमिशन विस्तार का समर्थन करने के लिए, एनईपी हाइब्रिड सबस्टेशन, डायनेमिक लाइन रेटिंग, उच्च-प्रदर्शन कंडक्टर और मोनोपोल संरचनाओं (विद्युत ट्रांसमिशन संरचना) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समर्थन करती है। ये प्रौद्योगिकियां दक्षता में सुधार करेंगी, ऊर्जा हानि को कम करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे।
- इस उन्नत बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए ट्रांसमिशन क्षेत्र में कौशल विकास के प्रावधान भी शामिल हैं।

चुनौतियाँ और दृष्टिकोणः

यद्यपि एनईपी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं:

- **ग्रिड एकीकरणः** ग्रिड एकीकरण नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी मात्रा का प्रबंधन के लिए मौजूदा ग्रिड (विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम) में सुधार करना जरूरी है।
- **भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषणः** नई ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण और दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैया सम्मान योजना की राशि में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 'मैया सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

मुख्य विवरणः

- **वित्तीय सहायता में वृद्धिः** 'मैया सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य

राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

- **प्रारंभ तिथि:** लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि दिसंबर 2024 से प्राप्त होने लगेगी।
- **लाभार्थी:** वर्तमान में, इस योजना से झारखंड में लगभग 50 लाख महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं, जिनमें सभी 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं। संशोधित राशि के साथ, राज्य सरकार पर सालाना 9,000 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ने का अनुमान है।

मैया सम्मान योजना की पृष्ठभूमि:

- **प्रारंभ:** झारखंड सरकार ने 'मैया सम्मान योजना' की शुरुआत अगस्त 2024 में की थी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,000 प्रति माह प्रदान करती थी।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने घरेलू खर्चों के प्रबंधन में सहायता करना और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके पास नियमित आय नहीं है।

सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई):

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) सभी नागरिकों को दिया जाने वाला एक नियमित, बिना शर्त नकद हस्तांतरण है, चाहे उनकी आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके और लोगों को काम चुनने में अधिक स्वतंत्रता देकर गरीबी और असमानता को कम करना है।
- **अनुच्छेद 41:** बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देता है।
- **लाभ में शामिल हैं:**
  - » आर्थिक स्वतंत्रता
  - » भ्रष्टाचार में कमी
  - » धन का न्यायसंगत वितरण
- **हालाँकि, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे:**
  - » उच्च राजकोषीय लागत
  - » मुद्रास्फीति का जोखिम
  - » कार्यबल भागीदारी में संभावित कमी
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में भारत में यूबीआई को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए महिलाओं या कमजोर समूहों को लक्षित करने जैसे विकल्प सुझाए गए हैं।

निष्कर्ष:

झारखंड सरकार ने 'मैया योजना' के तहत मासिक सहायता राशि बढ़ाने का कदम उठाया है। यह सम्मान योजना आगामी चुनावों से पहले महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी कारण बनेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान का अभिन्न अंग बताया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मौलिक पहलू है और यह देश के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया, जो संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देती थीं। ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे।

निर्णय का मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय का मुख्य बिंदु 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों पर है। इन शब्दों ने प्रस्तावना में भारत के वर्णन को 'संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' बना दिया है।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजय कुमार ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के संपूर्ण ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है। न्यायाधीशों ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान में उल्लिखित समानता और बंधुत्व के अधिकारों से भी जोड़ा।
- न्यायमूर्ति खन्ना का यह कहना महत्वपूर्ण है कि समाजवाद को केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इस ढांचे में समाजवाद केवल संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण का मुद्दा नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय, अवसरों तक समान पहुँच और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण जैसे व्यापक आदर्श भी शामिल हैं।

धर्मनिरपेक्ष से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **प्रस्तावना:** भारत को एक 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया है।
- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
- **अनुच्छेद 25:** अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 27:** किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कराधान से स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 28:** धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 51ए (मौलिक कर्तव्य):** धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय भिन्नताओं की परवाह किए बिना सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

समाजवादी से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **प्रस्तावना:** भारत को एक 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया है।
- **अनुच्छेद 38:** राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत, जिनमें समान कार्य के लिए समान वेतन और श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है।
- **अनुच्छेद 41:** काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- **अनुच्छेद 43:** कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और श्रमिकों के हितों का संरक्षण।
- **अनुच्छेद 43ए:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विधि मंत्रालय में विधिक मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए मसौदा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता को बढ़ाना है। मसौदा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 मौजूदा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव करता है।

प्राथमिक उद्देश्य:

- संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना।
- न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना।

मध्यस्थता के बारे में:

- वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप जहां पक्ष तटस्थ मध्यस्थों को विवाद प्रस्तुत करने के लिए सहमत होते हैं।
- मध्यस्थ साक्ष्य की समीक्षा करते हैं, तर्क सुनते हैं और बाध्यकारी निर्णय लेते हैं।
- आम तौर पर वाणिज्यिक विवादों में इस्तेमाल होने वाले न्यायालयी मुकदमों की तुलना में तेज और ज्यादा लचीला।

सुलह के बारे में:

- एक स्वैच्छिक प्रक्रिया जिसमें एक तटस्थ मध्यस्थ पक्षों को परस्पर स्वीकार्य समझौते तक पहुँचने में मदद करता है।
- मध्यस्थता के विपरीत, मध्यस्थ निर्णय नहीं थोपता बल्कि संचार की सुविधा प्रदान करता है।
- अक्सर श्रम विवादों और ऐसी स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहाँ रिश्ते मायने रखते हैं।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **आपातकालीन मध्यस्थता:** पूर्ण न्यायाधिकरण के गठन से पहले अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति की अवधारणा पेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, तत्काल स्थितियों में त्वरित राहत प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
- **संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना:** दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए तदर्थ व्यवस्थाओं की तुलना में स्थापित मध्यस्थता संस्थानों के उपयोग पर जोर देता है।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI):** ACI को आदर्श प्रक्रियात्मक नियम बनाने और मध्यस्थ संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार देता है। प्रथाओं को मानकीकृत करने और समग्र गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के प्रावधान शामिल हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है।
- **अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण:** अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अदालती बोझ को कम करने के लिए एक अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।
- **सुलह प्रावधानों की चूक:** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में शामिल किए गए सुलह प्रावधानों को छोड़ने का प्रस्ताव है। संशोधित अधिनियम का नाम बदलकर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कर दिया जाएगा।
- **विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें:** इसमें टी.के. विश्वनाथन के नेतृत्व वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें शामिल हैं, जो मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने और न्यायिक हस्तक्षेप पर कम निर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

मुख्य मुद्दे और चिंताएँ:

- **कानूनी मान्यता:** आपातकालीन मध्यस्थता को सभी अधिकार क्षेत्रों में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जिससे प्रवर्तनीयता प्रभावित होती है।
- **संस्थागत समर्थन:** स्पष्ट नियमों और योग्य मध्यस्थों सहित मध्यस्थता संस्थानों से मजबूत समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **समय की कमी:** त्वरित प्रकृति त्वरित समाधान के दबाव के कारण संपूर्णता से समझौता कर सकती है।
- **लागत:** तीव्र कार्रवाई और गहन संसाधन उपयोग की आवश्यकता

से उच्च लागत उत्पन्न हो सकती है।

- **जागरूकता और स्वीकृति:** आपातकालीन मध्यस्थता के बारे में पक्ष संदेहपूर्ण या अपरिचित हो सकते हैं; विश्वास-निर्माण आवश्यक है।
- **अंतरिम उपाय:** प्रभावशीलता अंतरिम उपायों को प्रदान करने और लागू करने पर निर्भर करती है, जो कि अधिकार क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

मध्यस्थता परिदृश्य के लिए निहितार्थ:

- संशोधनों से भारत के मध्यस्थता परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- आपातकालीन मध्यस्थता शुरू करने और संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से, विधेयक का उद्देश्य विवाद समाधान में दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने से विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ सकता है और अदालती बैकलॉग कम हो सकता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

निष्कर्ष:

मसौदा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024, भारत के मध्यस्थता ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपातकालीन मध्यस्थता और संस्थागत समर्थन पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार एक अधिक कुशल, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विवाद समाधान तंत्र बनाना चाहती है।

PMLA अनिश्चितकालीन हिरासत का साधन नहीं बन सकता-सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि इसके प्रावधानों का दुरुपयोग आरोपी व्यक्तियों की हिरासत को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय धन शोधन विरोधी उपायों और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

फैसले का संदर्भ:

- यह फैसला जून 2023 में कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर आया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ प्रथम दृष्टा में मामले के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उनकी लंबी पूर्व-परीक्षण हिरासत के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।

फैसले की मुख्य बातें:

- **लंबे समय तक हिरासत में रखना दुरुपयोग:**
  - » अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा PMLA के प्रावधानों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की।
  - » अदालत ने स्पष्ट किया कि PMLA की धारा 45(1)(ii) राज्य को किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देती है।
- **संवैधानिक अधिकार के रूप में जमानत:**
  - » अदालत ने सिद्धांत की पुष्टि की कि 'जमानत नियम है, और जेल अपवाद है।'
  - » न्यायाधीशों ने कहा कि मुकदमे में अत्यधिक देरी के कारण जमानत आवेदनों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यापक संवैधानिक अधिकारों को दर्शाता है।
- **न्यायिक जिम्मेदारी:**
  - » अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि PMLA के कठोर जमानत प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें।
- **जमानत देने की शर्तें:**
  - » बालाजी को जमानत देते समय, अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सख्त शर्तें लगाईं।
- **न्याय पर देरी का प्रभाव:**
  - » निर्णय ने न्याय प्रणाली पर अत्यधिक देरी के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया और शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

निर्णय के निहितार्थ:

- यह निर्णय PMLA जैसे कड़े कानूनों के आवेदन में न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
- यह वित्तीय अपराधों के खिलाफ बनाए गए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
- न्यायिक निगरानी पर अदालत का जोर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

PMLA प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायिक प्रक्रिया में व्यक्तियों के अधिकारों की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखना स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले से आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है और यह फैसला भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। राज्य, अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान करे।

2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की भारत यात्राः द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती

संदर्भः

हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के कुछ महीनों के बाद, राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ू की 6 से 10 अक्टूबर, 2024 तक की राजकीय यात्रा मालदीव-भारत संबंधों में बदलाव का संकेत देती है। नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद मुइज़ू ने 'इंडिया आउट' अभियान चलाया और मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। इससे भारत मालदीव संबंधो में तनाव देखा गया था।

- ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत मालदीव का एक प्रमुख सहयोगी और सहायता प्रदाता रहा है। राष्ट्रपति मुइज़ू की यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, यद्यपि इससे पूर्व भारतीय नेतृत्व और नीतियों के प्रति मालदीव के अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों ने तनाव को बढ़ा दिया था। अपने चुनाव के बाद, मुइज़ू के कूटनीतिक प्रयासों में चीन और तुर्की की यात्राएँ शामिल थीं, जिन्हें भारत के प्रति अपमान के रूप में देखा गया था।
- मुइज़ू के हालिया दृष्टिकोण से भारत के साथ संबंधो को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में, मालदीव एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण ऋण अदायगी का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में भारत के साथ सहयोग स्थापित करना मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

बैठक की मुख्य बातेंः

- **द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ीकरणः** बैठक में भारत ने मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया, जोकि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    - » मालदीव ने आपातकालीन वित्तीय सहायता, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल का रोलओवर शामिल है, के लिए भारत का आभार प्रकट किया। इस सहायता ने मालदीव को तत्काल आर्थिक संकट से निपटने में मदद की।
    - » मालदीव ने संकट के समय भारत की भूमिका को सराहा, जिसमें 2014 के जल संकट और कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता का उल्लेख किया गया।
- **वित्तीय सहयोग एवं समर्थनः**
    - » दोनों देशों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपये का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता किया गया। इस समझौते से मालदीव की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों में राहत मिलने की उम्मीद है।
    - » दोनों पक्षों ने भविष्य में वित्तीय सहयोग को गहन बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- **व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारीः** हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाने के उद्देश्य से एक साझेदारी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगाः
    - » **राजनीतिक संवाद को बढ़ावाः** संसदीय सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) सहित विभिन्न स्तरों पर राजनयिक आदान-प्रदान बढ़ाया गया।
    - » **विकास सहयोगः** विकास पहलों में बंदरगाहों, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को पूरा करना, थिलाफुशी द्वीप पर एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करना और एटोल में कृषि और पर्यटन निवेश पर सहयोग करना शामिल था।
    - » **व्यापार और आर्थिक सहयोगः** द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा आरंभ करने तथा आर्थिक संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा लेनदेन को सक्षम करने पर सहमति बनी।
    - » **डिजिटल और वित्तीय सहयोगः** डिजिटल सेवाओं में विशेषज्ञता साझा करना और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सहित मालदीव में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
    - » **ऊर्जा सहयोगः** सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की खोज करना तथा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में भागीदारी के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करना।
    - » **स्वास्थ्य सहयोगः** किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर

पहुंच, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को मान्यता और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना।

» **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** हिंद महासागर में साझा चुनौतियों की स्वीकृति के साथ, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु समझौता किया गया। इसमें चल रही 'एकाथा' बंदरगाह परियोजना भी शामिल है।

» **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों पर जोर दिया गया।

» **जन-जन संपर्क:** सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने, बेंगलुरु और अड्डू शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और हवाई एवं समुद्री संपर्क में सुधार हेतु समझौतों पर सहमति बनी।

» **क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग:** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के संस्थापक सदस्यों के रूप में, समुद्री और सुरक्षा हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

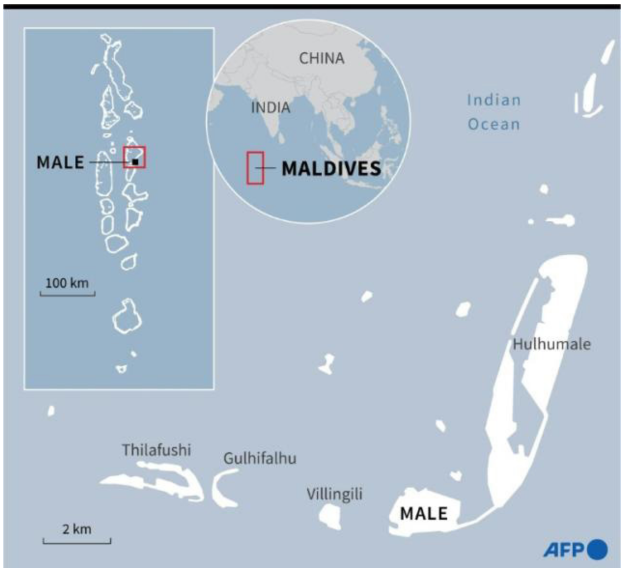

भारत के लिए मालदीव का महत्व:

- मालदीव अपनी भौगोलिक निकटता के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है, जो इसे मिनिकॉय से केवल 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित करता है। यह रणनीतिक स्थान मालदीव को हिंद महासागर में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थान देता है, विशेष रूप से 8° N और 1½° N चैनलों के साथ। ऐसी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाती है और इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौसैनिक उपस्थिति से संभावित चुनौतियां पैदा करती है।
- मालदीव में भारत के भू-राजनीतिक हितों में समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए आवश्यक संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती और समुद्र आधारित आतंकवाद से निपटना और हिंद महासागर को संघर्ष-मुक्त क्षेत्र बनाए रखने का प्रयास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मालदीव में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था की खोज और व्यापार संबंधों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- मालदीव चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' पहल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया में चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
- आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भू-राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाते हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के बीच आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले मालदीव के लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन कारकों से यह आशंका बढ़ जाती है कि मालदीव भारत को निशाना बनाकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड बन सकता है।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। भारत 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने एक मजबूत राजनयिक संबंध की शुरुआत की। संकटों के दौरान पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका – जैसे कि 1988 के तख्तापलट के प्रयास (ऑपरेशन कैक्टस), 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट – मालदीव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य समर्थन और 2020 में खसरे के

टीके की डिलीवरी इस प्रतिबद्धता को और उजागर करती है।

- सुरक्षा और रक्षा सहयोग के संदर्भ में, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2016 में एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के लिए लगभग 70% प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देता है। वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता की स्थापना इस साझेदारी को और मजबूत बनाती है।
- भारत की विकास सहयोग पहलों में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। 34 द्वीपों में पानी और स्वच्छता में सुधार, अड्डू एटोल में सड़कों का विकास और कैंसर अस्पताल की स्थापना के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मालदीव के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- आर्थिक रूप से, भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा और 2023 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है, जिसके द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 की अवधि में लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस मजबूत व्यापार संबंध को वित्तीय सहायता से बल मिला है, जिसमें 100 मिलियन डॉलर का सहायता पैकेज और दिसंबर 2022 में हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता शामिल है।
- पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और 2023 में, भारतीयों ने 200,000 से अधिक यात्रियों के साथ द्वीपों का दौरा करने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बनाया। यह प्रवृत्ति न केवल मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है, बल्कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में पर्यटन के महत्व पर भी जोर देती है।
- इसके अलावा, मालदीव में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जिसके लगभग 22,000 सदस्य हैं। भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मालदीव में डॉक्टरों और शिक्षकों में लगभग 25% भारतीय नागरिक शामिल हैं।

निष्कर्षः

मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू के बीच बैठक सहयोग के एक नए युग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को रेखांकित करती है। मालदीव, अपनी रणनीतिक स्थिति और भारत के साथ विकसित होती साझेदारी के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में एक प्रमुख देश बना हुआ है।

संक्षिप्त मुद्दे

ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपों की संप्रभुता मॉरीशस को लौटाने पर सहमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरीशस को चागोस द्वीपों की संप्रभुता लौटाने पर सहमति जताई है, जिससे ब्रिटेन की आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया है।

पृष्ठभूमिः

- 1960 के दशक से ही चागोस द्वीपों को लेकर ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच विवाद चल रहा है। उस समय, ब्रिटेन ने मॉरीशस को स्वतंत्रता देने से पहले इन द्वीपों को उससे अलग कर लिया था।
- मॉरीशस ने लगातार चागोस द्वीपसमूह को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया है, जबकि ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी है।

समझौते के बारे में:

- 2022 में शुरू हुई 13 दौर की वार्ताओं के बाद हुए इस समझौते के तहत ब्रिटेन, चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को लौटा देगा। हालाँकि, ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, जहाँ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। यह व्यवस्था अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने की अनुमति देती है।

इस समझौते से पूर्व प्रमुख घटनाएँ:

- चागोस द्वीपों पर कानूनी विवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) तक पहुंचा, जिसने 2019 में फैसला दिया कि ब्रिटेन का चागोस द्वीपसमूह पर शासन अवैध है और इसे मॉरीशस को लौटाना चाहिए।
- उसी साल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस का हिस्सा बताया गया और ब्रिटेन से अपनी उपनिवेश प्रशासन को समाप्त करने का आह्वान किया गया।
- 2022 में, मॉरीशस के राजदूत जगदीश कुञ्जुल ने चागोस द्वीपसमूह के पेरोस बानहोस द्वीप पर प्रतीकात्मक रूप से मॉरीशस

का झंडा फहराया।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- ब्रिटेन साल 1814 से चागोस द्वीपों पर नियंत्रण रखता आया है। 1965 में, ब्रिटेन ने इन द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाया था। इस कदम के तहत लगभग 2,000 निवासियों को जबरन वहां से हटाया गया था, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में निंदा किया गया है।

चागोस द्वीपसमूह के बारे में:

- चागोस द्वीपसमूह हिंद महासागर में स्थित सात प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें 60 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यह चागोस-लक्कादीव रिज का सबसे दक्षिणी द्वीपसमूह है, जिसमें समुद्र के चारों ओर कम ऊँचाई वाले द्वीप और लैगून हैं।

क्षेत्रफल:

- चागोस द्वीपसमूह का कुल भूमि क्षेत्रफल 56.13 वर्ग किमी है। सबसे बड़ा द्वीप, डिएगो गार्सिया, 32.5 वर्ग किमी में फैला है। अन्य प्रमुख द्वीपों में सोलोमन द्वीप, नेल्सन द्वीप, और पेरोस बानहोस शामिल हैं।

भारत-जमैका संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री डॉ. एंड्रयू होल्नेस ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे।

यात्रा के प्रमुख निष्कर्ष:

- भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम 'जमैका मार्ग' रखा, जो दोनों देशों की गहरी होती मित्रता का प्रतीक है।
- डॉ. होल्नेस की यात्रा की मुख्य उपलब्धियों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर शामिल थे।

महत्वपूर्ण समझौते:

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर समझौता:** दोनों देशों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहलों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर समझौता:** 2024-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का समझौता किया गया, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
- **खेल सहयोग पर समझौता:** खेल के क्षेत्र में, विशेषकर क्रिकेट में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता किया गया।
- **यूपीआई प्रणाली पर समझौता:** भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और जमैका की ईगव के बीच यूपीआई प्रणाली के एकीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समझौता किया गया।

भारत-जमैका संबंधों का संक्षिप्त विवरण:

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 12 अगस्त 1962 को स्थापित हुए थे और 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद 1976 में किंग्स्टन में भारत का स्थायी मिशन खोला गया।
- **व्यापार:** भारत, जमैका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 82.40 मिलियन डॉलर था।
- **शिक्षा:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से भारत, जमैकन छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए

छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

- **स्वास्थ्य सेवा:** भारत ने जमैका के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध:

- भारत और जमैका के सांस्कृतिक संबंध उनके उपनिवेशी इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझा प्रतिबद्धता से जुड़े है। क्रिकेट के प्रति दोनों देशों की गहरी रुचि भी उनके संबंधों में एक विशेष तत्व जोड़ती है, जिससे आपसी सौहार्द और मैत्री का माहौल बनता है।

प्रवासी समुदाय:

- जमैका में लगभग 70,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों मध्य व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करते हैं और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

आगे की राह:

प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की भारत की ऐतिहासिक यात्रा भारत और जमैका के बीच बढ़ती मित्रता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डिजिटल बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस यात्रा ने सहयोग और विकास के नए रास्ते खोले हैं। साझा मूल्यों और आकांक्षाओं पर निर्माण करके, दोनों देश एक मजबूत, अधिक गतिशील साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं जो वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है

भारत-भूटान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भूटान और भारत के अधिकारियों ने पुना-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (HEP) परियोजना पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना था। बैठक में पुना-2 परियोजना के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें इन पहलों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रयासों को प्रमुखता दी गई।

- इस दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा उत्पादन में भविष्य के सहयोग के लिए संभावनाओं की खोज की और इस क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। भारत ने भूटान में जलविद्युत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आपसी समृद्धि में योगदान करती है।

भारत के लिए भूटान का महत्व:

- भारत ने भूटान के साथ ऐतिहासिक रूप से सहयोग को बढ़ावा दिया है, विशेषकर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के समाधान के माध्यम से। भूटान, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राज्य के रूप में कार्य करता है।
- भूटान, उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत के बीच स्थित है और इसकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकटता के कारण विशेष अहमियत है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है।
- यह गलियारा सैन्य और आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे भूटान का सहयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है।
- भारत की सैन्य भागीदारी, जिसमें रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण देना शामिल है, भूटान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। इसके अलावा, भारत ने भूटान को आवश्यक कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी संप्रभुता सुनिश्चित हुई है।

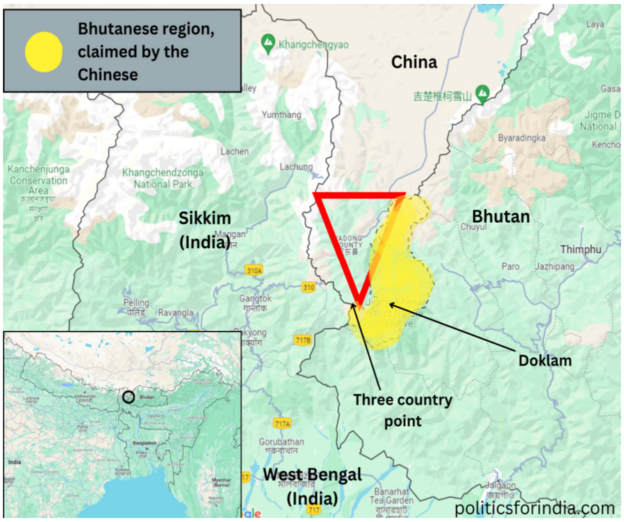

जलविद्युत सहयोग:

- जलविद्युत सहयोग भारत-भूटान आर्थिक संबंधों की रीढ़ है, जो भूटान की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करता है।
- भूटान में भारत की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ, जैसे ताला, चुखा और मंगदेछु, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं और साथ ही भूटान की अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देती हैं।
- जलविद्युत निर्यात भूटान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे यह दक्षिण एशिया में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक बनता है।
- मंगदेछु जैसी परियोजनाओं की सफलता के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत को बिजली खरीद नीतियों, टैरिफ वार्ताओं और पुनात्सांगछू I और II जैसी परियोजनाओं में देरी से जुड़ी

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस सहयोग की गति और प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।

भारत–भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ:

यद्यपि भारत-भूटान संबंध मजबूत सहयोग पर आधारित हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ इस साझेदारी को प्रभावित करती हैं:

- **वित्तीय बोझ में वृद्धि:** भूटान को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने 60:40 वित्तपोषण मॉडल (60% अनुदान, 40% ऋण) को 30:70 मॉडल में बदल दिया है। इस बदलाव ने भूटान के वित्तीय बोझ को बढ़ा दिया है, जिससे विकास परियोजनाओं को शुरू करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **चीन की मौजूदगी:** भूटान का चीन के साथ सीमा विवाद, विशेष तौर पर डोकलाम जैसे क्षेत्रों में, भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ाता है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता भारत के प्रभाव को चुनौती देती है और भू-राजनीतिक गतिशीलता को जटिल बनाती है।
- **बीबीआईएन पहल में गतिरोध:** क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता भूटान की पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रुका हुआ है, जिससे परिवहन और आर्थिक एकीकरण पर सहयोग में देरी हो रही है।
- **उग्रवादियों के लिए पनाहगाह:** भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूह, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (एनडीएफबी), भूटान को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं और द्विपक्षीय संबंध जटिल हो गए हैं।

निष्कर्ष:

भारत-भूटान संबंधों में लगातार चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, विशेष रूप से चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। इस साझेदारी को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए भारत को क्षेत्रीय भू-राजनीति की जटिलताओं का समाधान करते हुए भूटान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाते रहना चाहिए। सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों पर भूटान के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, साथ ही क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा भी कर सकता है।

छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा मंत्रियों की छठी वार्ता का आयोजन हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी इंग हेन ने की। यह बैठक भारत-सिंगापुर के बीच रक्षा संबंधों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाती है।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- **रक्षा सहयोग में वृद्धि:** भारत और सिंगापुर ने रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणों का विस्तार:** बैठक में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणों के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अंतर-संचालन और तैयारी को महत्वपूर्ण बनाते है। नियमित संयुक्त अभ्यास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** वार्ता में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। भू-राजनीतिक तनावों से भरे इस दौर में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और स्थिर माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सहयोग अत्यावश्यक हैं।
- **राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न:** भविष्य में, भारत और सिंगापुर 2025 में अपने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं। यह उपलब्धियों का मूल्यांकन करने तथा रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए नवीन लक्ष्यों का निर्धारण करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत–सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता के बारे में:

- **स्थापना:** 2016 में आरंभ हुआ भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों का संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** इस वार्ता का उद्देश्य सिंगापुर और भारत के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत और गहरा करना है, जो उनके पारस्परिक रणनीतिक हितों और प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करता है।

भारत–सिंगापुर संबंध के बारे में:

ऐतिहासिक संबंध:

- **संबंधो का आधार:** 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा सिंगापुर ने भारत के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया।
- **मान्यता:** भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, फिर दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग:

- **द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि:** व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के कारण, द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भारत शुद्ध आयातक होगा।
- **कर समझौते:** 2016 में हस्ताक्षरित प्रत्यक्ष कर बचाव समझौते (डीटीएए) का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है।

रक्षा संबंध:

- **सामरिक समुद्री क्षमता में वृद्धि:** भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग भारत की क्षेत्रीय सामरिक समुद्री क्षमताओं को बढ़ाता है और हिंद महासागर में सुरक्षा साझेदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
- **संयुक्त अभ्यास:** प्रमुख सैन्य अभ्यासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » अभ्यास अग्नि वारियर (सेना)
  - » अभ्यास सिम्बेक्स (नौसेना)
  - » वायु सेना अभ्यास संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी)

फिनटेक और बहुपक्षीय सहयोग:

- **फिनटेक का विकास:** सीमा पार फिनटेक में महत्वपूर्ण प्रगति, जैसे रुपे कार्ड और यूपीआई-पेनाउ लिंकेज, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और सशक्त बनाते हैं।

सिंगापुर में भारतीय समुदाय:

- **जनसंख्या आँकड़े:** सिंगापुर की निवासी जनसंख्या में जातीय भारतीय लोगों की संख्या 9.1% है तथा तमिल चार आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- **भारतीय नागरिक:** सिंगापुर में 1.6 मिलियन विदेशियों में से लगभग एक-पांचवां हिस्सा भारतीय नागरिक हैं, जो वहां की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

करतारपुर कॉरिडोर समझौता का नवीनीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते का नवीनीकरण किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण संपर्क आगामी पांच वर्षों तक खुला रहेगा। यह नवीनीकरण सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो उन्हें अपने सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल तक निर्बाध पहुँच प्रदान करता है।

नवीनीकरण का मुख्य विवरण:

- **अवधि:** नवीनीकृत समझौते के तहत गलियारे का संचालन अगले पांच वर्षों के लिए, अर्थात् 2029 तक बढ़ा दिया गया है।
- **तीर्थयात्री क्षमता:** इस गलियारे में प्रतिदिन 5,000 तीर्थयात्रियों के प्रवेश की व्यवस्था होगी, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकेंगे।
- **सेवा शुल्क:** परिचालन लागत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान प्रति तीर्थयात्री 20 डॉलर का नाममात्र सेवा शुल्क लेना जारी रखेगा।

पात्रता एवं आवश्यकताएँ:

- **कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं:**
  - » भारतीय नागरिक
  - » भारतीय मूल के व्यक्ति
- **आवश्यक दस्तावेज:**
  - » सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक वैध पासपोर्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए)।
  - » ओसीआई कार्ड धारकों के लिए उन्हें अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- **यात्रा दिशानिर्देश:**
  - » **यात्रा कार्यक्रम:** तीर्थयात्री सुबह रवाना होंगे और उन्हें उसी दिन वापस लौटना होगा।
  - » **यात्रा प्रतिबंध:** यात्रा केवल गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक ही सीमित है और इस स्थल से आगे यात्रा की अनुमति नहीं है।

करतारपुर कॉरिडोर समझौते के बारे में :

- **हस्ताक्षर तिथि:** प्रारंभिक समझौते पर 24 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य:** इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए गुरुद्वारा साहिब तक आसान पहुँच को सुगम बनाना है। दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित है।
- **कॉरिडोर के विषय में:** करतारपुर कॉरिडोर 4.7 किलोमीटर (2.9 मील) लंबा एक वीजा-मुक्त क्रॉसिंग है, जोकि पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के डेरा बाबा नानक से

जोड़ता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- करतारपुर कॉरिडोर का विचार पहली बार वर्ष 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब दिल्ली-लाहौर बस कूटनीति के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ चर्चा की।
- इस प्रस्ताव को वास्तविकता में बदलने के प्रयासों के तहत 2018 में, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंततः यह गलियारा आधिकारिक रूप से 12 नवंबर, 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर खोला गया, जो सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।

महत्व:

- करतारपुर कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें गुरु नानक की जन्मस्थली तक आसानी से पहुँचने में सहायता करता है।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से, इस कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जोकि शांति की दिशा में एक कदम है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में सहायक है।

निष्कर्ष:

करतारपुर कॉरिडोर समझौते का नवीनीकरण अंतरधार्मिक संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक सकारात्मक विकास है, जोकि सिख तीर्थयात्रियों को उनकी विरासत से सार्थक जुड़ाव प्रदान करता है। यह कॉरिडोर आध्यात्मिक यात्राओं को सुगम बनाकर इस विचार को पुष्ट करता है कि साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

कजान शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स: बहुपक्षवाद का एक नया युग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस के कजान में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बहुपक्षीय सहयोग पर केंद्रित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम 'कजान घोषणा' रही, जोकि एक व्यापक दस्तावेज के रूप में उभरी। यह घोषणा सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है और वैश्विक मामलों में एकीकृत दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।

- घोषणा में 'न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना' विषय पर विशेष बल दिया गया है। इसमें शांति के संवर्धन, एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना तथा सतत विकास पहलों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धताओं को प्रमुखता दी गई है।
- रूस ने 2022 से रूसी बैंकों पर लागू प्रतिबंधों के संदर्भ में स्विफ्ट नेटवर्क के विकल्प के रूप में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर भी चर्चा की गयी।
- शिखर सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स राष्ट्रों ने ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज और ब्रिक्स (पुनः) बीमा कंपनी की स्थापना जैसी अभिनव पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में एक नई 'ब्रिक्स भागीदार देश' श्रेणी की शुरुआत की गई, जिससे अन्य राष्ट्र ब्रिक्स के साथ सहयोगी परियोजनाओं में शामिल हो सकें।
- वैक्सीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रिक्स आरएंडडी वैक्सीन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस के लिए भारत के प्रस्ताव को भी एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया गया।

ब्रिक्स:

- ब्रिक्स, जिसका अर्थ है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन है। 'ब्रिक' शब्द को पहली बार 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओश्नील ने इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए पेश किया।
- 2009 में औपचारिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद, 2010 में दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना ब्रिक्स के विस्तार को दर्शाता है। हाल ही में, गठबंधन का विस्तार करते हुए अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल किया गया है।
- ब्रिक्स वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण इकाई है, जोकि दुनिया की लगभग 41% आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करती है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व:

- ब्रिक्स, विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान

करता है, जिससे वे वैश्विक संस्थाओं में अपने विषय रख सकते हैं। यह भारत के लिए एक समानांतर विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिससे पश्चिमी शक्तियों पर निर्भरता कम होती है।

- ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देता है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के माध्यम से भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन मुहैया कराया जाता है।

चुनौतियाँ:

- ब्रिक्स को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय एजेंडों का समावेश शामिल है। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण हमेशा अन्य सदस्यों, विशेष रूप से चीन और रूस की प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं पाता, क्योंकि ये देश अपने भू-राजनीतिक हितों पर केन्द्रित रहते हैं।
- ब्रिक्स के भीतर चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के शामिल होने से, संभावित रूप से चीन समर्थक रुख की ओर झुकाव की चिंताएँ उत्पन्न कर रहा है।
- मध्य पूर्वी देशों का समावेश भारत के कूटनीतिक संबंधों को जटिल बना सकता है। अंतर-ब्रिक्स व्यापार भी टैरिफ, विनियामक विसंगतियों और मुद्रा संबंधी मुद्दों के कारण बाधित है, जिससे भारत को इस समूह के भीतर व्यापार के अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने में कठिनाई होती है।

आगे की राह:

- ब्रिक्स में भारत की भागीदारी अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में वैश्विक शासन को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स को एक सहकारी मंच के रूप में बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किया है।
- यह संगठन भारत को व्यापार नेटवर्क में विविधता लाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से, भारत को अपने दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों के अनुरूप महत्वपूर्ण पहलों का समर्थन करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग को बढ़ावा देने और सामूहिक विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सहित अन्य देशों ने भाग लिया।

एससीओ 2024 बैठक की मुख्य बिंदु:

क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर विमर्श:

- **क्षेत्रीय विश्वास और सहयोग:** शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। सीमा पार आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी क्षेत्रीय पहलों पर चर्चा हुई, जिसे भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:** शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए एससीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, जो क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और कनेक्टिविटी में बाधा डालती हैं।
- **बहुपक्षीय सुधार का आह्वान:** भारत ने विकासशील देशों का अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

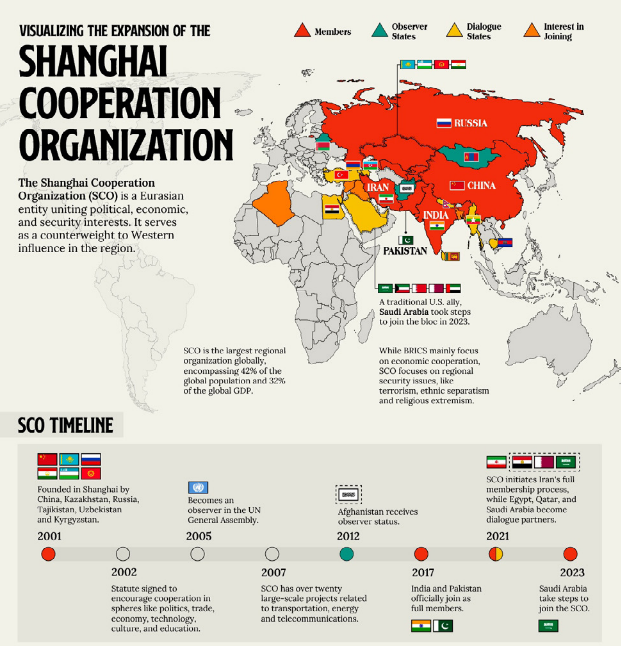

क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क:

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि आपसी सम्मान और

संप्रभुता पर आधारित वास्तविक साझेदारी, एससीओ क्षेत्र के भीतर व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है।

भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध

- **वार्ता की बहाली:** शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता की बहाली थी। इन वार्ताओं में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- इसमें सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान को पुनर्जीवित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से, आगामी क्षेत्रीय आयोजनों में सहयोगी भागीदारी की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा फरवरी 2025 में आयोजित की जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में:

- जून 2001 में शंघाई, चीन में स्थापित एससीओ एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जिसके 10 सदस्य देश हैं: चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
- प्रारंभ में पांच देशों 'कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान' द्वारा गठित एससीओ का ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पर सैनिकों की संख्या में कटौती पर केंद्रित था।
- संगठन ने समय के साथ अपनी सदस्यता का विस्तार किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में शामिल हुए। एससीओ के उद्देश्यों में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।

निष्कर्ष:

एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 ने एससीओ सदस्य देशों को क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने और सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत की भागीदारी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक जुड़ाव ने भविष्य के सहयोग के लिए दरवाजे खोले, जो द्विपक्षीय संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत देता है। शिखर सम्मेलन ने क्षेत्रीय चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने और आपसी सम्मान एवं साझा समृद्धि के आधार पर संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला।

वैश्वीकरण और संरक्षणवाद के मध्य भारत का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में अपने संबोधन में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस तथ्य पर बल दिया कि वैश्वीकरण ने परस्पर निर्भरता और प्रतिक्रिया दोनों को उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप देशों को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है ताकि वे स्थानीय नौकरियों और उद्योगों की रक्षा कर सकें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि व्यापार अब केवल एक आर्थिक लेन-देन नहीं रह गया है, बल्कि यह 'हथियारबद्ध' (Weaponised) हो चुका है, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को रेखांकित करता है।

स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव:

वैश्वीकरण के प्रभाव मिश्रित रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन साथ ही स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं:

- **प्रमुख क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान:** जैसे-जैसे देश वैश्वीकृत हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग और सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा ने कई स्थानीय नौकरियों को समाप्त कर दिया है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ प्राप्त करती हैं, जबकि छोटे स्थानीय व्यवसाय अक्सर संघर्ष करते हैं, जिससे आय असमानता और आर्थिक असंतुलन बढ़ता है।
- **राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया:** यह धारणा कि वैश्वीकरण से आम श्रमिकों की कीमत पर कंपनियों को लाभ होता है, ने वैश्विक स्तर पर असंतोष और लोकलुभावन आंदोलनों को बढ़ावा दिया है।

व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा का शस्त्रीकरण:

- **तकनीकी और डेटा सुरक्षा:** संवेदनशील प्रौद्योगिकी से जुड़े आर्थिक लेन-देन अब अधिक जांच के दायरे में आ रहे हैं, और राष्ट्र महत्वपूर्ण सूचनाओं को विदेशी नियंत्रण से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं।
- **नौकरी की सुरक्षा:** सरकारें अब स्थानीय रोजगार को सुनिश्चित करने वाली नीतियों पर अधिक ध्यान दे रही हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक दक्षता का त्याग करना पड़े।
- **रणनीतिक आर्थिक निर्णय:** आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और बाह्य कमजोरियों को कम करने के उद्देश्य से देश अब व्यापार निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं।

भू-राजनीतिक संघर्ष और प्रमुख पहलों में देरी:

- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC):** इस व्यापार गलियारे को लेकर प्रारंभ में उत्साह था, परंतु भू-राजनीतिक संकटों के कारण इस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो सका। इसके बावजूद, भारत सऊदी अरब और यूएई के साथ व्यवहार्यता अध्ययन जारी रखे हुए है।
- **बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB) सुधारों में विलंब:** वैश्विक

वित्तीय संस्थाओं में सुधार की प्रक्रिया में गति मंद पड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तत्काल भू-राजनीतिक संकटों पर केंद्रित हो गया है।

- **जलवायु परिवर्तन और स्थिरता:** जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन वैश्विक राजनीतिक ध्यान भटकने के कारण जलवायु लक्ष्यों में देरी हुई है या इन्हें अन्य जरूरी मुद्दों के पक्ष में प्राथमिकता से हटा दिया गया है।

चीनी आयात के विरुद्ध भारत के संरक्षणवादी उपाय:

अनुचित प्रतिस्पर्धा पर चिंताओं के जवाब में, भारत ने चीनी आयातों के विरुद्ध अपने सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ा दिया है:

- **एंटी-डंपिंग शुल्क:** 2024 में भारत ने अपने घरेलू उद्योगों को असमान मूल्य निर्धारण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु चीनी उत्पादों पर 30 से अधिक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू किए।
- **प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित:** ये उपाय विशेष रूप से औद्योगिक उपकरण, इस्पात उत्पादों और प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लक्षित हैं।
- **घरेलू निर्माताओं को समर्थन:** इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय निर्माताओं को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना, सस्ते आयातों पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण के लाभों को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे देशों के बीच संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, भारत अपने दृष्टिकोण से वैश्विक स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक विकास और स्थानीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियाँ वर्तमान व्यापार परिदृश्य में और अधिक स्पष्ट हो रही हैं।

नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगा और तीनों पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

समझौते की मुख्य बातें:

- **बिजली निर्यात:** नेपाल अपनी अधिशेष जलविद्युत शक्ति भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करेगा। यह निर्यात प्रतिवर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक किया जाएगा।
- **प्रारंभिक निर्यात मात्रा:** पहले चरण में, नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत का निर्यात करेगा।
- **ट्रांसमिशन लाइन:** बिजली का निर्यात धालकेबर-मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से होगा, जिसका मीटरिंग प्वाइंट भारत के मुजफ्फरपुर में स्थित है।
- **कीमत और आय:** बिजली की प्रति यूनिट कीमत 6.4 सेंट तय की गई है। इस समझौते से नेपाल को सालाना लगभग 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी।
- **हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी:** समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के सीईओ डीनो नारन, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान करीम ने काठमांडू में हस्ताक्षर किए।

समझौते का रणनीतिक महत्व:

- यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। नेपाल और भूटान जहां अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वहीं भारत और बांग्लादेश ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं। यह त्रिपक्षीय समझौता नेपाल की अतिरिक्त जलविद्युत का उपयोग कर इन देशों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन को बढ़ावा मिलता है।

क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में भारत की भूमिका:

- भारत क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार के केंद्र के रूप में कार्य करता है और सीमा पार बिजली संचरण को सुविधाजनक बनाता है। भारत ने बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में जलविद्युत संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों सहित ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय निवेश किया है। भारत की ऊर्जा कूटनीति के तहत नेपाल के

साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता भी शामिल है, जिसमें 2030 तक प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट जलविद्युत की खरीद का लक्ष्य है।

सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व:

- **ऊर्जा एकीकरण:** नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की ऊर्जा प्रणालियों को जोड़ने के भारत के प्रयास क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **चीनी प्रभाव का मुकाबला:** इस समझौते को ऊर्जा अवसंरचना विकास और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का मुकाबला करने के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा निर्भरता को मजबूत करते हुए, भारत दक्षिण एशिया में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है

निष्कर्ष:

नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पढ़ाव है। अधिशेष बिजली के व्यापार को सुविधाजनक बनाकर, यह न केवल क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि आर्थिक एकीकरण और भू-राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार में भारत की प्रमुख भूमिका सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जोकि दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक विकास और स्थिरता की नींव तैयार करती है।

19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लाओस के विएंतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें शांतिपूर्ण संघर्ष का समाधान, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत की भागीदारी की मुख्य बातें

- **विकासोन्मुख हिंद-प्रशांत:** भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए विकास-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया, जिसमें क्षेत्रीय विकास और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर दिया गया।
- **नालंदा विश्वविद्यालय के लिए समर्थन:** भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और ईएएस सदस्य देशों को उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
- **वैश्विक चुनौतियां:** भारत ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा खतरों और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की तथा संवाद-आधारित संघर्ष समाधान के महत्व पर बल दिया।

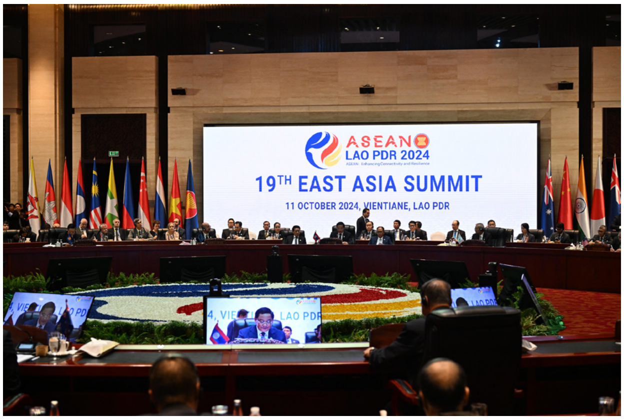

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) क्या है?

- 2005 में स्थापित, ईएएस एक क्षेत्रीय मंच है जोकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 देशों को एक मंच प्रदान करता है।
- यह समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और आसियान केंद्रीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके सदस्य 10 आसियान देश और आठ संवाद साझेदार (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका) हैं।

ईएएस का महत्व:

- **आर्थिक प्रभाव:** ईएएस सदस्य विश्व की 53% आबादी और वैश्विक जीडीपी के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत-आसियान व्यापार 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
- **सामरिक सहयोग:** ईएएस भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है, जिससे भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ती है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बौद्ध धर्म के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय सद्भाव को बल मिलता है।

वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता :

- **संघर्ष समाधान:** भारत ने इस बात पर बल दिया कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया सहित वैश्विक संघर्षों का समाधान युद्ध से

नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए।

- **समुद्री सुरक्षाः** भारत ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की आवश्यकता पर जोर दिया और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की
- **क्षेत्रीय सहयोगः** ईएएस में भारत की भागीदारी हिंद-प्रशांत में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निष्कर्षः

19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत ने संवाद को प्रोत्साहित करने, क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर विशेष बल दिया। इस प्रकार, भारत क्षेत्र और विश्व के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुसानेद प्लेटफार्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब ने विदेशी श्रमिकों, विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मुसानेद, प्रस्तुत किया है। यह पहल सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रम स्थितियों में सुधार लाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और अवैध आव्रजन को कम करना है।

मुसनद की मुख्य विशेषताएंः

- **वेतन संरक्षण प्रणालीः** इस प्लेटफॉर्म में एक वेतन संरक्षण प्रणाली शामिल है, जोकि नियोक्ताओं और विदेशी श्रमिकों के बीच भुगतान की निगरानी करके नियोक्ताओं द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की पुष्टि करती है। इसका उद्देश्य वेतन शोषण और देरी को रोकना है।
- **रोजगार अनुबंध और अपडेटः** मुसानेद विदेशी श्रमिकों को अपने रोजगार अनुबंधों तक पहुंचने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही किसी भी बदलाव के बारे में अद्यतन भी करता है। यह विवादों को सुलझाने में सहायक है, क्योंकि दूतावासों के पास नियोक्ता के नाम और अनुबंध की स्थिति जैसे कर्मचारी विवरणों तक 'पहुंच देखने' (View Access) की सुविधा होती है।
- **बीमा और स्वास्थ्य लाभ से लिंकः** मुसानेद श्रमिकों के बीमा और स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है, जो विदेशी श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सऊदी अरब में उनके समग्र कल्याण में सुधार लाता है।
- **कुशल विवाद समाधानः** यह प्लेटफॉर्म श्रमिकों के रोजगार रिकॉर्ड और नियोक्ता की पृष्ठभूमि (जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं) तक डिजिटल पहुँच की अनुमति देता है, जिससे श्रम विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा मिलती है। इससे विवाद निपटान में नियोक्ता की ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

प्रभावः

- **भौगोलिक प्रभावः** मुसानेद 10 अफ्रीकी देशों (जैसे सूडान, इथियोपिया और केन्या) और 9 एशियाई देशों (जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका) के श्रमिकों को लाभ पहुंचाता है। लगभग 1.4 मिलियन भारतीय श्रमिक सऊदी श्रम बाजार में सबसे बड़े समूहों में से एक हैं, जबकि बांग्लादेश 2.7 मिलियन श्रमिकों के साथ अग्रणी है।
- **श्रम मुकदमा प्रबंधनः** इस प्लेटफॉर्म से श्रम मुकदमों के समाधान को सुव्यवस्थित करने की संभावना है। 2021 से 2024 तक, घरेलू क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों से जुड़े 12,600 से अधिक श्रम मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुसानेद पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस की पेशकश करके इस प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिससे विवादों का समाधान अधिक कुशलता से हो सकेगा।
- **अवैध आव्रजन पर अंकुश लगानाः** मुसानेद का उद्देश्य सऊदी सरकार को नियोक्ताओं की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने की अनुमति देकर अवैध आव्रजन को कम करना है। यह प्रणाली नियोक्ताओं के आपराधिक रिकॉर्ड की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत श्रमिकों को ही काम पर रखा जाए, जिससे तस्करी या शोषण का जोखिम न्यूनतम हो।

निष्कर्षः

मुसानेद सऊदी अरब में विदेशी श्रमिकों के लिए श्रम स्थितियों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए, यह प्लेटफॉर्म सऊदी अरब के विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप अधिक पारदर्शिता, त्वरित विवाद समाधान और श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

3 पर्यावरणीय मुद्दे

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजनाः हरित भविष्य की ओर एक कदम

संदर्भः

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना न केवल समय की मांग है, बल्कि एक सतत भविष्य की दिशा में ठोस प्रयास भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांतिः इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत भारत में चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना का शुभारंभ भारत की हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएंः

- **फेम II का प्रतिस्थापनः**
  - यह योजना फेम योजना (फास्ट एडीप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) के दूसरे चरण का प्रतिस्थापन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के धीमे अपनाने की दर का गहन विश्लेषण करने के बाद, इस पहल को लागू किया गया है।
  - ई-2डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक दोपहिया) और ई-3डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक तिपहिया) के लिए ईएमपीएस (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम)2024 के तहत 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक किए गए व्यय को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया गया है।
- **वित्तीय परिव्ययः**
  - कुल बजटः 10,900 करोड़ (दो वर्षों के लिए)
  - योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख घटक और आवंटनः

सब्सिडी और प्रोत्साहनः

- **निर्माताओं और खरीदारों के लिए वित्तीय सहायताः** सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीदारों दोनों को कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिनमें सब्सिडी, कर छूट और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-3डब्ल्यू), इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (ई-एम्बुलेंस), इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। इस योजना से लगभग निम्नलिखित की बिक्री में सहायता मिलेगीः
  - 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन)
  - 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर)
  - 14,028 ई-बसें
- **ई-वाउचरः** इस वाउचर का उपयोग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा और इसे आधार से प्रमाणित किया जाएगा।
- **ई-एम्बुलेंसः** हरित स्वास्थ्य देखभाल साधनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- **ई-बसेंः** राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा लगभग 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **ई-ट्रकः** ई-ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जोकि ट्रकों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- **चार्जिंग अवसंरचनाः** देश भर में चयनित शहरों, क्षेत्रों और राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करके एक मजबूत नेटवर्क बनाया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी विकासः** ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग सिस्टम और वाहन डिजाइन में अनुसंधान को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अधिक कुशल और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

प्रभावः

- **नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्तिः** पीएम ई-ड्राइव योजना भारत

को 2070 तक अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर, यह योजना परिवहन क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी, जो भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।

- **वायु प्रदूषण में कमी:** इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) और ई-बसों की तैनाती से वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों में उल्लेखनीय कमी आएगी, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। ई-ट्रक डीजल से चलने वाले ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे, जबकि ई-बसें स्वच्छ और अधिक टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन में योगदान देंगी।
- **सार्वजनिक गतिशीलता को बढ़ावा:** 14,028 ई-बसों की शुरुआत से शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आम जनता के लिए यात्रा का एक स्वच्छ और अधिक कुशल तरीका उपलब्ध होगा। यह कदम यातायात की भीड़भाड़ और पारंपरिक बसों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी मदद करेगा।

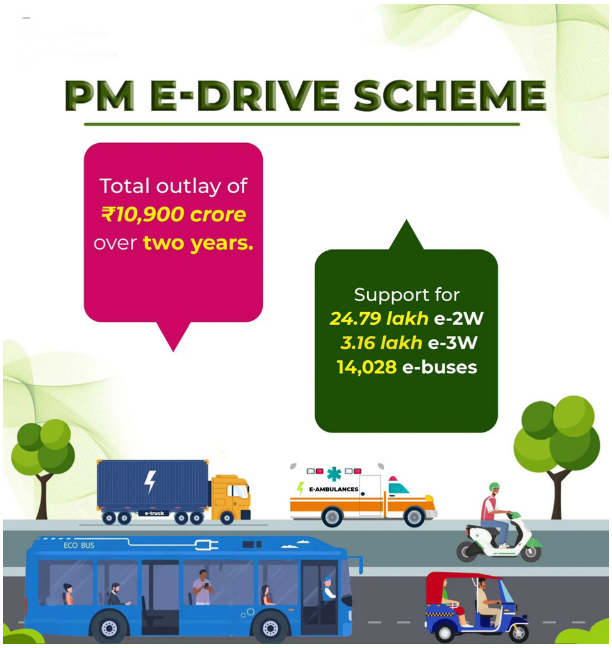

घरेलू विनिर्माण और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी):

- इस योजना में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शामिल है, जिसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके, सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी: पीएम ई-ड्राइव योजना से परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी। इससे न केवल भारत को अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति देश की संवेदनशीलता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

चुनौतियाँ:

- **उच्च बैटरी लागत:** बैटरी की उच्च लागत के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। यह लागत कारक व्यापक रूप से अपनाने को सीमित कर सकता है, विशेष रूप से मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं के बीच।
- कोयले से बिजली उत्पादन: भारत में बिजली का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले को जलाकर बनाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के पर्यावरणीय लाभ सीमित हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को पूरी तरह से समझने के लिए, देश को बिजली उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना होगा।
- **सीमित चार्जिंग अवसंरचना:** वर्तमान चार्जिंग अवसंरचना अविकसित है और पर्याप्त चार्जिंग सुविधाओं के बिना, इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा और उपयोगिता सीमित है। ईवी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार महत्वपूर्ण है।
- **बैटरी सुरक्षा और प्रदर्शन:** बैटरी सुरक्षा और प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय बने हुए हैं, विशेषकर चरम मौसम की स्थिति में। उपभोक्ताओं को पारंपरिक वाहनों से स्विच करने पर विचार करने के लिए ईवी बैटरी की सुरक्षा और दीर्घायु पर भरोसा होना चाहिए।
- **आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां:** लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, जो ईवी बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। आयात पर यह निर्भरता देश को आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मूल्य अस्थिरता के लिए उजागर करती है।

समाधान:

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** सरकार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी नवाचार और विनिर्माण प्रक्रियाओं के विकास में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। निजी निवेश ईवी उद्योग के सामने मौजूद वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकता है।
- **घरेलू लिथियम भंडार:** भारत में तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम भंडार का लाभ उठाकर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए केंद्र बनने की क्षमता है। इन घरेलू संसाधनों का उपयोग करके, भारत आयातित कच्चे माल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बना सकता है।
- **लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करना:** लिथियम-आयन

बैटरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि इन संसाधनों को सुरक्षित किया जाए। इन संसाधनों को संरक्षित करके, भारत स्थिर कीमतें और प्रमुख बैटरी घटकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्षः

पीएम ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति के माध्यम से, इस योजना का उद्देश्य प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना है। नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से, इस योजना में एक कुशल ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता है। हालांकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि उच्च बैटरी लागत और सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सही नीतियों और निजी क्षेत्र के सहयोग से, भारत इन बाधाओं को दूर कर सकता है और एक हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

असम की स्वैलोटेल तितलियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक शोध से पता चला है कि असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्वैलोटेल तितलियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका मुख्य कारण औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन है। अध्ययन में अवैध मवेशी पालन, कृषि, चाय की खेती, अवैध पेड़ों की कटाई और कीटनाशकों के उपयोग जैसे खतरों पर भी प्रकाश डाला गया है।

- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इन तितलियों को वैश्विक रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे उनके आवासों की रक्षा और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों की तत्काल चिंताएँ पैदा हुई हैं।

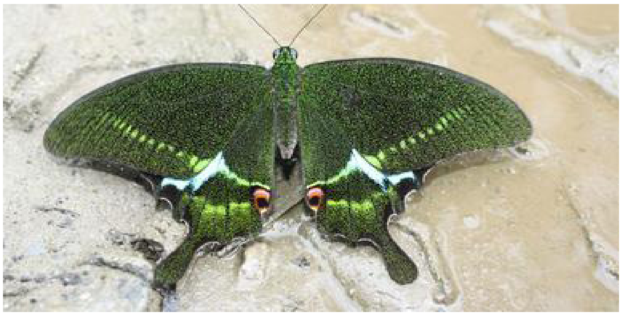

शोध के मुख्य निष्कर्षः

स्वैलोटेल तितलियों पर खतरे का कारणः

- मूल्यवान औषधीय गुणों पर 25 प्रजातियों के मेजबान पौधों का अत्यधिक दोहन। (मेजबान पौधे, वे पौधे हैं जिन पर जीव का आवास होता है और जिन पर वे निर्भर रहते है।)
- संरक्षित क्षेत्रों में अवैध मवेशी पालन।
- तितली आवासों के पास कृषि और चाय की खेती।
- अवैध पेड़ों की कटाई।
- कीटनाशकों के उपयोग से तितली आबादी का प्रभावित होना।

तितली की जनसंख्या स्थितिः

- स्वैलोटेल तितलियों की संख्या में गिरावट, जो दो दशकों पहले बड़ी समस्या नहीं थी, ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) को इन्हें वैश्विक स्तर पर लुप्तप्राय घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया है।
- भारत, विश्वभर में दर्ज 573 स्वैलोटेल तितली प्रजातियों में से 77 प्रजातियों का निवास स्थल है। विशेष रूप से, पूर्वोत्तर भारत को 'स्वैलोटेल-समृद्ध क्षेत्र' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण संकेतकः

- स्वैलोटेल तितलियाँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मूल्यवान संकेतक के रूप में काम करती हैं।
- इन तितलियों की उपस्थिति संख्या, विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों की स्वास्थ्य स्थिति का संकेतक होती है।

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में:

- बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र 8,970 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 40% क्षेत्र वनाच्छादित है, जोकि मुख्य रूप से भूटान सीमा के पास है।
- यह अध्ययन क्षेत्र, विशेषकर मानस बायोस्फीयर रिजर्व, तितलियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छह विभिन्न परिवारों से संबंधित 25 मेजबान पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करता है।
- यह क्षेत्र अपनी साइट्रस जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 17 साइट्रस प्रजातियों की 52 किस्में और 6 संभावित संकर प्रजातियाँ हैं।
- साइट्रस पौधे स्वेलोटेल लार्वा के विकास के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से पैपिलियो जीनस के।

मेजबान पौधे का दोहनः

- एरिस्टोलोचियासी परिवार की तीन प्रजातियों की व्यापक कटाई

ने एट्रोफेनुरा, पचलियोप्टा और ट्रायोड्स जेनेरा से स्वेलोटेल तितलियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जो भोजन के लिए विशेष रूप से इन पौधों पर निर्भर हैं।

- पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले पौधे लिगुस्ट्रम कॉर्डेटम का दोहन भी लैम्प्रोप्टेरा जीनस को प्रभावित करता है।
- ग्रैफियम जीनस की तितलियों पर भी इसी तरह की चिंताएँ लागू होती हैं, जो लॉरेसी और मैग्नोलियासी परिवारों के पौधों पर निर्भर हैं।

अस्तित्व की चुनौती:

- मेजबान पौधों के संसाधनों में कमी से स्वैलोटेल तितलियों के दीर्घकालिक अस्तित्व और पारिस्थितिक स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा होती हैं, क्योंकि ये पौधे उनके जीवनचक्र और प्रजनन के लिए आवश्यक हैं।

लिटिल प्रेस्पा झील

चर्चा में क्यों?

लिटिल प्रेस्पा झील अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है और यह मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है।

भौगोलिक स्थिति:

- **स्थान:** यह झील मुख्यत: ग्रीस में स्थित है और इसका दक्षिणी हिस्सा अल्बानिया तक फैला हुआ है। यह बड़ी ग्रेट प्रेस्पा झील का एक छोटा भाग है।
- **आकार:** अल्बानिया में झील का 450 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 430 हेक्टेयर सूख गया है या दलदली हो गया है।

क्षरण के ऐतिहासिक कारण:

- 1970 के दशक में, अल्बानियाई कम्युनिस्ट अधिकारियों ने कोरका शहर के पास खेतों की सिंचाई के लिए डेवोल नदी को मोड़ दिया था, जिससे झील का जल स्तर काफी कम हो गया।

झील के सिकुड़ने का प्रभाव:

- **आजीविका का नुकसान:** मछली पकड़ना, जो कभी स्थानीय लोगों का मुख्य व्यवसाय था, पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। नदी में कम पानी होने से मछलियों की आबादी कम हो गई है, जिससे निवासियों के पास विकल्प कम रह गए हैं।
- **परिदृश्य में बदलाव:** सूखी हुई झील दलदली हो गई है और अब वहां आवारा मवेशी घूमते हैं।
- **तापमान में बदलाव:** बढ़ते तापमान, हल्की सर्दियाँ और कम होती वर्षा ने स्थिति को और खराब कर दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लगातार सूखे के कारण झील पूरी तरह से गायब हो सकती है।
- **अनिश्चित भविष्य:** यदि आगामी सर्दियाँ सूखी और गर्मियाँ गर्म रहीं, तो झील अपना सारा पानी खो सकती है, जिससे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति हो सकती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** लिटिल प्रेस्पा झील एक सीमा पार क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। झील के खत्म होने से पक्षी प्रजातियाँ और इसके पानी पर निर्भर अन्य वन्यजीव खतरे में पड़ सकते हैं।

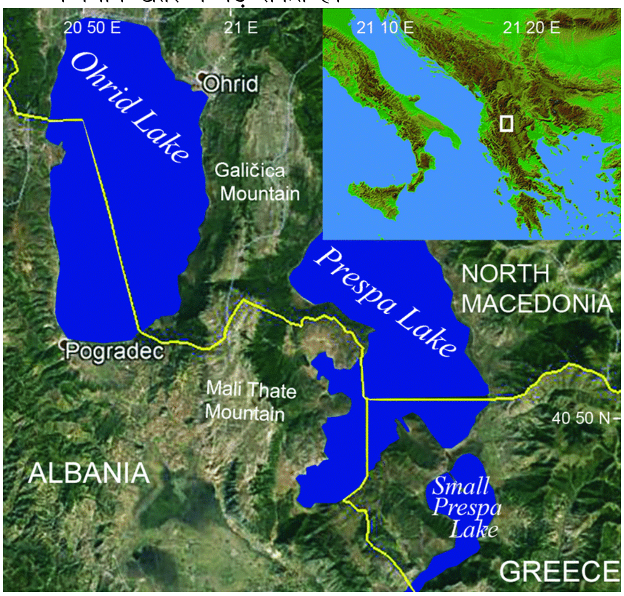

प्रेस्पा झीलों के बारे में:

- उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस के त्रि-बिंदु पर स्थित प्रेस्पा झीलें 853 मीटर (2,799 फीट) की ऊँचाई पर दो सबसे ऊँची टेक्टोनिक झीलें हैं।
  - **ग्रेट प्रेस्पा झील:** यह झील उत्तरी मैसेडोनिया (176.3 वर्ग किमी), अल्बानिया (46.3 वर्ग किमी) और ग्रीस (36.4 वर्ग किमी) के बीच साझा की जाती है।
  - **लिटिल प्रेस्पा झील:** यह मुख्य रूप से ग्रीस में है और इसका आकार 4.3 वर्ग किमी है, जबकि इसका एक हिस्सा अल्बानिया में फैला हुआ है।
- इन झीलों को ग्रीस में 4 किमी लंबे स्थलडमरूमध्य से अलग किया गया है, जो एक छोटी नहर के जरिए जुड़ी हुई हैं।

ग्लेशियर पिघलने के कारण सीमाओं का पुनर्निर्धारण

चर्चा में क्यों?

इटली और स्विट्जरलैंड, आल्प्स के मैटरहॉर्न पीक के निकट ग्लेशियरों

के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं।

- **कारणः** यह परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक स्थलचिह्न और सीमाएँ बदल रही हैं।
- **सीमाओं पर प्रभावः** पिघलते ग्लेशियरों ने सीमाओं की परिभाषा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच नई सीमाओं पर सहमति बनी है।

ग्लेशियर के आयतन में कमीः

- स्विट्जरलैंड ने 2022 में रिकॉर्ड 6% की कमी के बाद, पिछले वर्ष अपने ग्लेशियर वॉल्यूम का 4% खो दिया है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो 2100 तक दुनिया के आधे ग्लेशियर गायब हो सकते हैं।

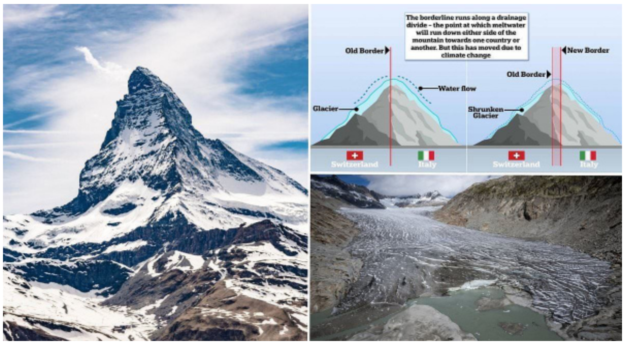

आयोग का गठनः

- 2023 में ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और राष्ट्रीय सीमाओं पर होने वाले परिणामी प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी।
- आयोग ने मई 2023 में सीमा संशोधनों की सिफारिश की।

समझौते की स्थितिः

- स्विटजरलैंड ने 27 सितंबर, 2024 को नई सीमा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इटली द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है।

सीमाओं से परे परिणामः

- ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम केवल सीमाओं के परिवर्तन तक ही सीमित नहीं हैं, इसके साथ ही भूस्खलनों की आवृत्ति में वृद्धि और अस्थिर भूभाग की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं।
- हीटवेव के दौरान पानी की कमी के बारे में भी चिंता जताई गई है।

व्यापक जलवायु प्रभावः

- यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जहां जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
- यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ने हीटवेव, सूखा, जंगल की आग और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ने की चेतावनी दी है।

समझौते का महत्वः

- सीमा को फिर से निर्धारित करने का यह समझौता राष्ट्रीय सीमाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट करता है। यद्यपि ये बदलाव पहली नजर में छोटे प्रतीत होते हैं, परंतु वे जलवायु परिवर्तन के गहन और दूरगामी परिणामों को दर्शाते हैं।

इटली

- **स्थितिः** दक्षिणी यूरोप, भूमध्य सागर की सीमा पर
- **राजधानीः** रोम
- **जनसंख्याः** 60.4 मिलियन
- **भाषाः** इतालवी
- **मुद्राः** यूरो

स्विट्जरलैंड

- **स्थितिः** पश्चिमी-मध्य यूरोप, आल्प्स की सीमा पर
- **राजधानीः** बर्न
- **जनसंख्याः** 8.5 मिलियन
- **भाषाएँः** जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, रोमांश
- **मुद्राः** स्विस फ्रैंक (CHF)

दोनों देश द्वारा साझी सीमाः

- **लंबाईः** लगभग 759 किमी (472 मील)
- **सीमा क्षेत्रः** लोम्बार्डी, पीडमोंट और एओस्टा घाटी (इटली); टिसिनो, ग्रिसन और वैलेस (स्विट्जरलैंड)
- **पर्वतीय दर्रेः** सिम्पलॉन दर्रा, सेंट गोथर्ड दर्रा और ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा

ओडिशा में तेंदुओं की आबादी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टीमेशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में तेंदुओं की संख्या में 22% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2022 में 568 तेंदुओं की संख्या 2024 में बढ़कर 696 हो गई है। यह वृद्धि वन्यजीव संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान जनसंख्या 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा की गई जनगणना में दर्ज 760 तेंदुओं की संख्या से अब भी कम है।

सर्वेक्षण की पद्धतिः

- **राज्यव्यापी निगरानीः** आकलन प्रक्रिया में वन विभाग द्वारा 47

वन प्रभागों में व्यापक निगरानी की गयी।

- **क्षेत्र सर्वेक्षण:** व्यापक सर्वेक्षण में तेंदुए की उपस्थिति की पहचान करने के लिए पैरों के निशान, मल, खरोंच और आवाज जैसे संकेतों का उपयोग किया गया।
- **कैमरा ट्रैप:** कैमरा ट्रैप का उपयोग करके तेंदुओं की पहचान की गई, जिसमें उनके विशिष्ट रोसेट पैटर्न उनके (शरीर पर मौजूद विशेष धब्बों के पैटर्न) को कैद किया गया, जोकि जनसंख्या आकलन के लिए एक वैज्ञानिक विधि है।

ओडिशा में तेंदुए के लिए प्रमुख आवास:

- **संरक्षित क्षेत्र:** इन क्षेत्रों में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है।
- **सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व:** इस रिजर्व में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और यह पास के हदागढ़ और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्यों में फैलाव के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सतकोसिया लैंडस्केप:** यह क्षेत्र राज्य में दूसरे सबसे अधिक तेंदुआ आबादी के लिए जाना जाता है।
- **हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग:** इस क्षेत्र में, विशेष रूप से देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बड़ी संख्या में तेंदुओं का निवास स्थान है।

जनसंख्या वितरण:

- **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर:** उल्लेखनीय बात यह है कि 45% तेंदुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहते हैं, जो प्रादेशिक वन प्रभागों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति को दर्शाता है।
- **दुर्लभ प्रजातियाँ:** इस आकलन में तीन वन प्रभागों में मेलेनिस्टिक तेंदुए (काले पैंथर) की उपस्थिति भी दर्ज की गई।

ओडिशा में संरक्षण संबंधी चिंताएं :

- **अवैध शिकार के मुद्दे:** तेंदुओं के अवैध शिकार और व्यापार के संबंध में चिंताएँ बनी हुई हैं। 2018 से 2024 के बीच 116 तेंदुओं को उनकी खाल के लिए मारे जाने की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जो संरक्षण के प्रयासों को चुनौती देती हैं।
- **जब्ती:** 2018 से 2023 के बीच, वन विभाग के अधिकारियों ने 59 तेंदुए की खालें जब्त की हैं 2019 से 2024 तक विशेष कार्य बल द्वारा अतिरिक्त 57 खालें बरामद की गई।

सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- **स्थान:** सिमिलीपाल भारत के ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है।
- **हाथी रिजर्व का हिस्सा:** यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें तीन संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं: सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य।
- **व्युत्पत्ति:** उद्यान का नाम प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सिमुल (रेशम कपास) से लिया गया है।
- **बाघ:** सिमिलीपाल में ओडिशा में बाघों की सबसे अधिक आबादी है और यह मेलेनिस्टिक बाघों (काले बाघों) की आबादी के लिए उल्लेखनीय है।
- **हाथी:** ओडिशा में सिमिलीपाल को हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है।
- **संरक्षण स्थिति:** 2009 से, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से के रूप में नामित किया गया है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

भारतीय तेंदुए के बारे में:

- **प्रजातियाँ:** भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्दस फ्यूस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- **विशेषताएँ:** बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल, मजबूत और फुर्तीली, पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम।
- **संरक्षण की स्थिति:** आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत, सीआईटीईएस (CITIES) के परिशिष्ट-I और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।

गुजरात में जंगली गधों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा किए गए 10वें जंगली गधा जनसंख्या अनुमान (WAPE) के अनुसार राज्य में जंगली गधों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नवीनतम जनगणना के अनुसार, जंगली गधों की संख्या 7,672 है, जो 2020 में दर्ज की गई 6,082 जंगली गधों की संख्या की तुलना में 26.14% की वृद्धि दर्शाती है। यह सफलता राज्य की वन्यजीव संरक्षण और आवास संरक्षण के प्रति निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- WAPE का आयोजन प्रत्यक्ष गणना पद्धति का उपयोग करके 15,510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया था। सटीक गणना के लिए ड्रोन कैमरे और कैमरा ट्रैप जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया।
- **जनसंख्या वृद्धि:** 2024 में आयोजित 10वें जंगली गधा जनसंख्या अनुमान (WAPE) के अनुसार गुजरात में जंगली गधों की आबादी बढ़कर 7,672 हो गई है, जो 2020 में 6,082 के पिछले अनुमान से 26.14% की वृद्धि को दर्शाती है।
- **वर्तमान आवास:** जंगली गधे की आबादी अब कच्छ के छोटे रण और कच्छ के बड़े रण तक ही सीमित है, तथा उत्तर-पश्चिम भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया में इसका ऐतिहासिक क्षेत्र समाप्त हो गया है।
- **जनसंख्या जनसांख्यिकी:** वन और अभ्यारण्य क्षेत्रों में जनसंख्या में 2,569 महिलाएँ, 1114 पुरुष, 584 बच्चे और 2206 अवर्गीकृत व्यक्ति शामिल थे। वहीं राजस्व क्षेत्रों में, जनसंख्या में 558 महिलाएँ, 190 पुरुष, 168 बच्चे और 283 अवर्गीकृत व्यक्ति शामिल थे।
- जंगली गधों के अलावा, 2024 WAPE ने गुजरात में कई अन्य वन्यजीव प्रजातियों की भी गणना की। सर्वेक्षण में 2,734 एशियाई मृग, 915 जंगली सूअर, 222 भारतीय खरगोश, 214 भारतीय हिरन और 153 भारतीय सियार की आबादी दर्ज की गई।

जंगली गधों की संरक्षण स्थिति:

- ऐतिहासिक रूप से जंगली गधे उत्तर-पश्चिम भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया में पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में उनका निवास स्थान गुजरात में कच्छ के छोटे रण और कच्छ के बड़े रण तक ही सीमित है, जिससे इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो गए हैं।
- जंगली गधों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने उनकी सीमित जनसंख्या के कारण 2008 में उन्हें 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया था।

संरक्षण की सफलता का इतिहास:

- गुजरात में जंगली गधों की आबादी 1976 से लगातार बढ़ रही है, जब राज्य में केवल 720 जंगली गधे थे। गुजरात सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों, जैसे आवास संरक्षण, शिकार-रोधी उपाय और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, ने इस प्रजाति के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत वन्यजीव सप्ताह (2-8 अक्टूबर) के अवसर पर, जंगली गधों की आबादी में यह वृद्धि गुजरात के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

अमेजन बेसिन में 122 वर्षों का सबसे गंभीर सूखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र अमेजन बेसिन 122 वर्षों में सबसे गंभीर सूखे के संकट का सामना कर रहा है। यह गंभीर स्थिति जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारकों के संयोजन का परिणाम है, जिसके संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वैश्विक स्तर पर विस्तृत हैं।

भौगोलिक महत्व:

- **आकार:** अमेजन बेसिन 6.87 मिलियन वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो वैश्विक मीठे पानी का 16-18% हिस्सा महासागरों में प्रवाहित करता है।
- **जैव विविधता:** यह क्षेत्र वैश्विक जैव विविधता का लगभग 10% समेटे हुए है, जो जलवायु और जैव-रासायनिक चक्रों के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **कार्बन भंडारण:** अमेजन बेसिन में लगभग 150-200 बिलियन टन कार्बन इसके बायोमास और मिट्टी में संग्रहीत है, जो वैश्विक कार्बन संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **बाढ़ के मैदान:** बेसिन का लगभग 750,000 वर्ग किमी क्षेत्र बाढ़ के मैदानों से युक्त है जिसमें पोषक तत्वों (वेरजिया) का समावेश पाया जाता हैं, जो स्वदेशी आजीविका और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए आवश्यक हैं।

सूखे के प्रमुख कारण:

अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ):

- अल नीनो घटना, विशेष रूप से पूर्वी प्रशांत अल नीनो, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में शुष्क वायुराशियों को नीचे उतारकर अमेजन बेसिन में वर्षा को रोक देती है।
- इसके परिणामस्वरूप जून से वर्षा कम हो जाती है, जिससे सूखा पड़ जाता है, जो दिसंबर से फरवरी के बीच चरम पर होता है।

उष्णकटिबंधीय उत्तर अटलांटिक (टीएनए) वार्मिंग:

- टीएनए के गर्म होने से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (आईटीसीजेड)

उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे अमेजन बेसिन में नमी का प्रवाह कम हो जाता है।

- इससे सूखा और भी प्रभावी हो जाता है, विशेषकर दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में।

अटलांटिक मल्टीडेकेडल ऑसिलेशन (एएमओ):

- ए.एम.ओ., जो समुद्री सतह के तापमान में चक्रीय परिवर्तनों से चिह्नित है, अपने गर्म चरण के दौरान सूखे की स्थिति को और भी बदतर बना देता है, जो 1990 के दशक के मध्य से जारी है।

वनों की कटाई और आग:

- वनों की कटाई से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जबकि आग से वायु प्रदूषण बढ़ता है।
- यह प्रक्रिया चक्रीय बन जाती है, जिससे सूखे की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है।

जैव विविधता और समुदायों पर प्रभाव:

- **स्वदेशी और पारंपरिक आबादी:** कई समुदाय पानी, भोजन और परिवहन के लिए नदियों और बाढ़ के मैदानों पर निर्भर हैं। अत्यधिक कम जल स्तर ने इन आबादियों को अलग-थलग कर दिया है, जिससे आवश्यक सेवाओं तक पहुँचना मुश्किल हो गया है।
- **कृषि एवं पशुधन:** अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद होना और पशुओं की मृत्यु होना।
- **जलीय जीवन:** झीलों में पानी के गर्म तापमान के कारण मछलियों और जलीय स्तनधारियों जैसे कि मैनेटी और नदी डॉल्फिन की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई है।
- **आर्थिक नुकसान:** वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण नदी परिवहन, कम जल स्तर के कारण बुरी तरह बाधित हो गया है, जिससे माल और सामग्री का परिवहन प्रभावित हो रहा है।

भारत में वनों की कटाई और जलवायु पहल:

- भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 713,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% है, जैसा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 में उल्लेखित किया गया है।
- इन महत्वपूर्ण आंकड़ों के बावजूद, कुछ क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं कृषि विस्तार के कारण वनों की कटाई के गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।
- जल प्रबंधन की चुनौतियाँ विशेष रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक गंभीर हो गई हैं।
- भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत की, जिसमें सतत विकास को प्रोत्साहित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से आठ मिशनों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
- COP28 में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी पुनः पुष्टि की गई है।

वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) फॉर नेचर ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (LPR) 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 1970 से 2020 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह गिरावट जलवायु परिवर्तन और जैव विविध ता के नुकसान के आपस में जुड़े संकटों का संकेत देती है। इसके परिणामस्वरूप ठोस प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है ताकि इन गंभीर चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

कुल गिरावट:

- रिपोर्ट में 2022 के संस्करण में दर्ज 69% की गिरावट की तुलना में हालिया आंकड़ों में वृद्धि (73%) को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। यह डेटा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) पर आधारित है, जिसमें 5,495 प्रजातियों की लगभग 35,000 आबादी का डाटा शामिल हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र-विशिष्ट गिरावट:

- मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में 85% तक गिरावट आई है।
- स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 69% तक गिरावट आई है।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 56% तक गिरावट आई है।

वन्य जीवन के लिए खतरे:

- आवास की क्षति और क्षरण मुख्य खतरे हैं, जो असंवहनीय कृषि

पद्धतियों और खाद्य उपभोग पैटर्न के कारण उत्पन्न हो रहे हैं।

- अन्य खतरों में अति-शोषण, आक्रामक प्रजातियाँ और बीमारियाँ शामिल हैं।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रदूषण गंभीर खतरा है, जहां वन्यजीवों की आबादी में औसतन 60% की कमी आई है।

भारत-आधारित विशिष्ट अवलोकनः

- रिपोर्ट में भारत में गिद्धों की तीन प्रजातियों में चिंताजनक गिरावट का उल्लेख किया गया हैः
  - » सफेद पूंछ वाला गिद्ध (Gyps bengalensis): 2002 से 67% की गिरावट आई है।
  - » भारतीय गिद्ध (Gyps indicus): 48% की गिरावट आई है।
  - » पतली चोंच वाला गिद्ध (Gyps tenuirostris): 89% तक गिरावट आई है।
- इन गिरावटों के बावजूद, भारत में कुछ प्रजातियों, विशेषकर बाघों, ने सक्रिय संरक्षण प्रयासों के फलस्वरूप उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार, देश में बाघों की संख्या न्यूनतम 3,682 दर्ज की गई, जो कि 2018 में केवल 2,967 थी।

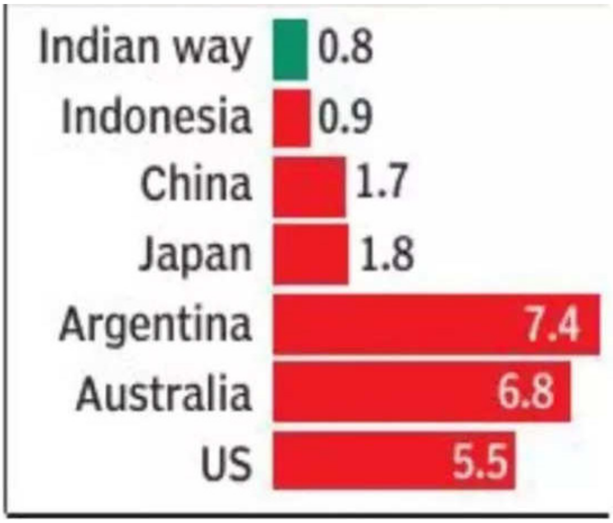

वन्यजीवों की संख्या में कमी के निहितार्थः

- वन्यजीवों की घटती आबादी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संभावित विलुप्ति के जोखिम का महत्वपूर्ण संकेतक है। जब पारिस्थितिकी तंत्र क्षतिग्रस्त होते हैं, तो वन्यजीवों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रकृति की क्षति और जलवायु संकट समाज में अस्थिरता लाते हैं, जिससे मानव आजीविका को खतरा होता है।

वैश्विक प्रतिबद्धताएं और भावी कार्यवाहियांः

- वैश्विक जैव विविधता ढांचे के माध्यम से प्रकृति की हानि को रोकने, पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान उपाय अपर्याप्त हैं।

वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का विस्तार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में NOAA (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) ने बताया कि फरवरी 2023 में शुरू हुई वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना अब तक की सबसे व्यापक है, जिसका प्रभाव दुनिया के 77% कोरल रीफ क्षेत्रों पर पड़ा है। यह 1998 के बाद से चौथी बड़ी ब्लीचिंग घटना है और यह पिछले रिकॉर्ड (2014-2017) से 11% अधिक है।

प्रभावित क्षेत्रः

- अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा है, 74 देशों में ब्लीचिंग की सूचना मिली है। हाल ही में पुष्टि किए गए ब्लीचिंग क्षेत्रों में पलाऊ, गुआम और इजराइल शामिल हैं, जबकि कैरिबियन और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्र हॉटस्पॉट बने हुए हैं।

कोरल ब्लीचिंग का कारणः

- कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल गर्मी के तनाव के प्रभाव में अपने ऊतकों में उपस्थित जीवंत शैवाल (जूक्सैन्थेला) को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोरल का रंग पीला हो जाता है, जिससे वे भुखमरी और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- यह चिंताजनक है कि पिछले दो वैश्विक ब्लीचिंग घटनाओं के दौरान दुनिया के बचे हुए कोरल का कम से कम 14% भाग मृत हो गया।

जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभावः

- जलवायु परिवर्तन कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों के कारण गर्म हो रहे हैं।
- विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन और रिकॉर्ड महासागरीय तापमान, साथ ही अल नीनो, महासागरीय क्षेत्र के तापमान में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। अध्ययन के अनुसार, यदि तापमान में 1.5°C की वृद्धि होती है, तो कोरल रीफ्स को गंभीर नुकसान

का सामना करना पड़ेगा; हालाँकि, वर्तमान में 1.3°C की वृद्धि के साथ ही क्षति शुरू हो चुकी है।

आर्थिक महत्व:

- कोरल रीफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं में सालाना लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। उनका स्वास्थ्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, निर्वाह मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- इस बढ़ते संकट के जवाब में, कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (COP16) में प्रवाल भित्तियों पर एक विशेष आपातकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा।
- इस सत्र का उद्देश्य प्रवाल संरक्षण के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना और आवश्यक निधि सुरक्षित करना है, जो वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना को संबोधित करने और इन आवश्यक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रवाल विरंजन:

- प्रवाल विरंजन तब होता है जब तनावग्रस्त प्रवाल शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं।
- बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाएं 1998, 2010, 2016 और अब 2023 में घटित हो चुकी हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ 25% समुद्री प्रजातियों का पोषण करती हैं, तटीय सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करती हैं।

निष्कर्ष:

वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का ह्रास व्यापक संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रवाल भित्तियों के महत्वपूर्ण हिस्से के खतरे में होने के कारण, इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए COP16 जैसे मंचों पर सहयोगात्मक कार्रवाई अनिवार्य है। ऐसा करने से इन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और वे हमारे ग्रह को निरंतर लाभ प्रदान कर सकेंगी।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का प्रयोग कर गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के एक बच्चे का जन्म हुआ। यह उपलब्धि राजस्थान के जैसलमेर स्थित सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में प्राप्त की गई है। आवासीय ह्रास और पर्यावरणीय खतरों के कारण विलुप्त होने की कगार पर खड़ी इस प्रजाति के लिए यह एक नई आशा है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अंतिम बची हुई जंगली आबादी का प्राकृतिक आवास है, जहाँ यह कार्यक्रम प्रजाति की संरक्षण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से सफलता:

- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के एक बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ, जो इस अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह पहला अवसर है जब इस तकनीक का उपयोग कर GIB प्रजाति के पुनरुत्थान प्रयासों को महत्वपूर्ण गति और दिशा मिली है।

महत्व:

- इस सफलता के बाद संरक्षण प्रयासों में तेजी लाने हेतु शुक्राणु बैंक की स्थापना की संभावना बढ़ी है।
- जंगलों में, विशेषकर राजस्थान में, 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) बचे होने के कारण आनुवंशिक विविधता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

जैसलमेर में संरक्षण प्रयास:

- सुदासरी प्रजनन केंद्र की स्थापना 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बस्टर्ड रिकवरी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य बंदी प्रजनन और भविष्य में जंगल में छोड़ने के लिए एक स्थायी वातावरण बनाने पर है।

बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के बारे में:

- इसे पांच वर्षों (2016-2021) के लिए प्रारंभ किया गया था, जिसे 2021 से 2024 तक बढ़ाया गया है।

उद्देश्य:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का संरक्षण प्रजनन।
- बस्टर्ड संरक्षण के प्रति हितधारकों और निर्णयकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और वकालत।
- बस्टर्ड के अनुकूल भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करना।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के बारे में:

- **प्राकृतिक वास:** यह मुख्यत: राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी छोटी आबादी विद्यमान है।

संरक्षण की स्थिति:

- **आईयूसीएन स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- **कानूनी संरक्षण:** भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध और CITES के परिशिष्ट I में शामिल।
- **प्रजाति विशेषता:** यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्थानिक घासस्थलीय पक्षी है।
- **जनसंख्या:** जंगलों में लगभग 150 से भी कम GIB बचे हैं, जो लगभग पूरी तरह भारत तक ही सीमित हैं।

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति और जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि:

- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2023 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुंच गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% अधिक है।

भारत का योगदान:

- भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक कुल उत्सर्जन में 8% का योगदान हुआ। उत्सर्जन में यह वृद्धि तेजी से बढ़ती आबादी की ऊर्जा मांगों को रेखांकित करती है।
- वार्षिक उत्सर्जन में वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद, वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत का योगदान तुलनात्मक रूप से कम, लगभग 3% बना हुआ है।
- उत्सर्जन में वृद्धि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को दर्शाती है, जो अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन CO2 समतुल्य (tCO2e) है, जो वैश्विक औसत 6.6 tCO2e से काफी कम है।

वैश्विक उत्सर्जन असमानताएँ:

- रिपोर्ट में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि G20 देश (अफ्रीकी संघ को छोड़कर) सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार हैं।

उत्सर्जन का चरम स्तर:

- भारत, चीन और अन्य देशों में उत्सर्जन अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों के लिए चरम के बाद तेजी से कमी लाने के प्रयास आवश्यक हैं।

ऐतिहासिक योगदान और जिम्मेदारी:

- भारत का उत्सर्जन बढ़ रहा है, फिर भी इसने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में केवल 3% का योगदान दिया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 20% है। यह अंतर वैश्विक जलवायु जिम्मेदारी की जटिलताओं को रेखांकित करता है।

कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता:

- रिपोर्ट में जलवायु प्रतिज्ञाओं और वास्तविक प्रगति के बीच के अंतर को पाटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि वैश्विक उत्सर्जन 2023 में 57.1 गीगाटन CO2 समतुल्य के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

भविष्य के लक्ष्य:

- वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, 2030 तक उत्सर्जन में 42% की कमी करनी होगी। 2 डिग्री की सीमा के लिए भी 28% की कमी आवश्यक है।

सर्वाधिक उत्सर्जक क्षेत्र:

- बिजली क्षेत्र सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है, इसके बाद परिवहन, कृषि और उद्योग का स्थान है। महामारी के बाद यात्रा में उछाल आने से अंतर्राष्ट्रीय विमानन उत्सर्जन में लगभग 20% की वृद्धि हुई।

महत्वाकांक्षी कटौती आवश्यक:

- 1.5°C के लक्ष्य पर बने रहने के लिए राष्ट्रों को 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42% और 2035 तक 57% की कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।
- बिना इन कटौतियों के, इस सदी में विश्व के 2.6-3.1°C तक गर्म होने का अनुमान है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

रिपोर्ट के बारे में:

- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जोकि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा और वैश्विक तापमान

को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर के बीच के अंतर को उजागर करता है, जैसा कि पेरिस समझौते में सहमति व्यक्त की गई थी।

गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन के लिए भारत का व्यापक सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और राज्य वन विभाग गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिनों के आकलन और संरक्षण के लिए 8,000 किलोमीटर का व्यापक सर्वेक्षण शुरू करने जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण मीठे पानी की डॉल्फिन की आबादी का वैश्विक स्तर पर पहला व्यापक सर्वेक्षण होगा, जोकि भविष्य में होने वाले संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं:

- **सर्वेक्षण क्षेत्र:** यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सहित कई भारतीय राज्यों की प्रमुख नदी प्रणालियों में डॉल्फिन की उपस्थिति और उनकी जनसंख्या के स्वास्थ्य का आकलन करने हेतु आयोजित किया जाएगा।
- **आधारभूत डेटा:** यह सर्वेक्षण डॉल्फिन की आबादी पर विस्तृत डेटा संग्रहण का पहला प्रयास है, जो दीर्घकालिक जनसंख्या प्रवृत्तियों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आवश्यक होगा।
- **संरक्षण पर ध्यान:** सर्वेक्षण से प्रमुख डॉल्फिन हॉटस्पॉट पर वर्षभर की निगरानी प्रणाली विकसित करने और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर लक्षित संरक्षण रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

नदी डॉल्फिन का महत्व:

- **पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य संकेतक:** नदी डॉल्फिन को नदी के स्वास्थ्य का 'प्रहरी' माना जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता का परिचायक होती है। वे प्रदूषण, आवास विनाश और नदी के प्रवाह में कमी जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
- **सांस्कृतिक महत्व:** गंगा नदी की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्रजाति है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। इसी प्रकार, सिंधु नदी की डॉल्फिन को पंजाब के राज्य जलीय पशु का दर्जा प्राप्त है, जो इसके क्षेत्रीय महत्व को रेखांकित करता है

वर्तमान संरक्षण चुनौतियाँ:

- **जनसंख्या में गिरावट:** पिछले कुछ दशकों में गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिनों की जनसंख्या में गिरावट आई है, जिसका प्रमुख कारण आवास विखंडन, जल प्रदूषण, अवैध शिकार और बांधों तथा सिंचाई परियोजनाओं के कारण जल प्रवाह में बदलाव है।
- गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में गंगा नदी डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,600 है, जो 19वीं शताब्दी की तुलना में 50-65% की गिरावट दर्शाती है।
- भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या बहुत सीमित है और पंजाब के ब्यास नदी में केवल कुछ ही बची हैं, जबकि अधिकांश आबादी पाकिस्तान में है।
- **संरक्षित क्षेत्र:** नदी डॉल्फिन के निवास क्षेत्रों का 10% से भी कम भाग संरक्षित है, जिससे इनके प्रभावी संरक्षण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

कानूनी और संरक्षण प्रयास:

- **कानूनी संरक्षण:** गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिनें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-प और ब्ज्ैै परिशिष्ट-प में सूचीबद्ध हैं, जो इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का दर्जा प्रदान करता है और तत्काल संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन प्रजातियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि इनकी प्रजनन दर धीमी है और मानव-जनित खतरों के प्रति ये अत्यधिक संवेदनशील हैं।

निष्कर्ष:

8,000 किलोमीटर का यह सर्वेक्षण भारत की गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन की वर्तमान स्थिति का गहन आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पारिस्थितिकी तंत्र के 'प्रहरी' के रूप में इन डॉल्फिनों की भूमिका और उनके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते

हुए, उनके संरक्षण हेतु तत्काल और सतत प्रयासों की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डेटा इन प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रभावी रणनीतियों के निर्माण में सहायक होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और समृद्ध नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों में आर्द्रभूमि की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने '35 प्रतिशत लिमिटेड' नामक संगठन द्वारा एक मूल्यांकन कराया, जोकि आर्द्रभूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- इस मूल्यांकन में, सीओपी 15 (COP-15) के बाद पेश की गई राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (एनबीएसएपी) में आर्द्रभूमियों के महत्व को विशेष रूप से उजागर किया गया है
- रिपोर्ट में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (केएमजीबीएफ) द्वारा निर्धारित वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति में आर्द्रभूमि संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसे 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने हेतु निर्धारित किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **आर्द्रभूमियों की मान्यता:**
  - » 83% राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (एनबीएसएपी) में आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय जल या मीठे पानी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
  - » अफ्रीका और ओशिनिया में योजनाओं में आर्द्रभूमि को शामिल करने की दर 100% है, जबकि यूरोपीय देशों ने यह दर 90% से अधिक हैं।
- **आर्द्रभूमि पुनरुद्धार एवं संरक्षण:**
  - » 71% योजनाओं में आर्द्रभूमियों के लिए विशिष्ट पुनर्स्थापन उपाय शामिल हैं।
  - » 50% योजनाएं आर्द्रभूमि संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, हालांकि कुछ एनबीएसएपी में मापनीय और विशिष्ट लक्ष्य प्रदान किए गए हैं।
- **आर्द्रभूमि के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - » पीटलैंड जैसे विशिष्ट आर्द्रभूमि प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें मैंग्रोव, नदियाँ और झीलें प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं।
  - » अमेजन नदी बेसिन और हडसन बे लोलैंड जैसे विशाल आर्द्रभूमि क्षेत्रों को, उनके महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय महत्व के बावजूद, राष्ट्रीय रणनीतियों में कम संबोधित किया गया है।
- **एकीकरण और फोकस क्षेत्र:**
  - » मूल्यांकन में आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए स्पष्ट, मापनीय लक्ष्यों की आवश्यकता जताई गई है।
  - » राष्ट्रीय रणनीतियों में प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्रों को प्रमुखता से उजागर करने से पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य और जैव विविध ता में सुधार होगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया:

- यह रिपोर्ट, 'एनबीएसएपी में आर्द्रभूमियों के समावेशन का आकलन', सीओपी15 के बाद प्रस्तुत राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (एनबीएसएपी) में आर्द्रभूमियों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करती है।
- विश्लेषण में 24 एनबीएसएपी को शामिल किया गया है, जो जैव विविधता पर कन्वेंशन के 196 देशों का 12% प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तुतियाँ यूरोप (10), एशिया (7), अफ्रीका (2), उत्तरी अमेरिका (2), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (2), और ओशिनिया (1) से प्राप्त हुई।

आर्द्रभूमि का महत्व:

- आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो कई आवश्यक पारिस्थितिकीय सेवाएँ प्रदान करती हैं:
  - » **जल गुणवत्ता में सुधार:** आर्द्रभूमियाँ प्रदूषकों को छानकर जल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
  - » **बाढ़ भंडारण:** ये अतिरिक्त बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है।
  - » **वन्यजीव आवास:** आर्द्रभूमियाँ विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं।
  - » **जल प्रवाह विनियमन:** आर्द्रभूमियाँ शुष्क मौसम में सतही जल को बनाए रखती हैं, जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक जैव विविधता का 40% हिस्सा है, लेकिन यह सबसे तेजी से लुप्त होने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इसलिए, इनका संरक्षण और पुनर्स्थापन जैव विविधता और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष:

यह मूल्यांकन देशों से राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं में आर्द्रभूमियों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता है। देशों को आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए मापने योग्य और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है। सीओपी16 राष्ट्रों के लिए इन पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण में नवाचारी कदम उठाने, जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन पर निर्भर समुदायों को लाभ पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में स्पेस टेक्नोलॉजीः स्टार्टअप और उनका अभिनव दृष्टिकोण

संदर्भः

भारत सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जोकि अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

वेंचर फंड का महत्वः

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहनः** अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए समर्पित कोष की स्थापना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और अंतरिक्ष उद्योग में विकास और नवाचार में निजी उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावाः** इस फंडिंग से भारतीय स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने में सहायता मिलेगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- **रोजगार सृजन और आर्थिक प्रभावः** अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देने से रोजगार के कई अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। एक मजबूत अंतरिक्ष क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा कर सकता है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करनाः** यह फंड नवाचार, प्रतिभा को आकर्षित करने, निवेश और सहयोग के लिए एक अधिक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। इससे स्टार्टअप, स्थापित कंपनियों और शोध संस्थानों के बीच तालमेल हो सकता है।
- **रणनीतिक राष्ट्रीय हितः** अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्षमताओं को बढ़ाता है। संचार, मौसम पूर्वानुमान और रक्षा सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत अंतरिक्ष उद्योग आवश्यक है।
- **भविष्य के लिए दृष्टिकोणः** यह वित्तपोषण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना और 2040 तक 100 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कारकः

- **पारिस्थितिकी तंत्र विकासः** भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 2024 तक लगभग 200 स्टार्टअप उभरने की उम्मीद है, जबकि 2022 में यह संख्या केवल एक थी। यह प्रवृत्ति महत्वपूर्ण सुधारों और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करती है, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- **सरकारी सहायताः** भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर फंड की घोषणा भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जैसी नीतियों ने निजी भागीदारी के लिए और भी रास्ते खोल दिए हैं।
- **निवेश में वृद्धिः** 2023 में, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश लगभग 124.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इस क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास और रुचि का संकेत है।
- **एफडीआई प्रावधानः** अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति ने नई पहलों को काफी बढ़ावा दिया है और उद्यमियों को आकर्षित किया है। यह नीति स्टार्टअप के लिए पूंजी और संसाधनों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।
- **मुख्य संस्थानः** उल्लेखनीय निजी संस्थान में पिक्सल, ध्रुव स्पेस और स्काईरूट एयरोस्पेस शामिल हैं, जिन्होंने नवीन उपग्रह प्रौद्योगिकियों और प्रक्षेपण क्षमताओं का विकास किया है, जैसे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, विक्रम-एस।
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाः** वर्तमान में, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 6,700 करोड़ रुपये) है और यह तेजी से विकास कर रही है। वास्तव में, 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी चार गुना बढ़कर 2% से 8% होने की संभावना है। 2047 तक, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली 15% तक पहुँचने की उम्मीद है।

अंतरिक्ष स्टार्टअप सहित स्टार्टअप के लिए सरकारी सहायताः

- **एंजल टैक्स को हटानाः** 31% एंजल टैक्स को समाप्त करने से स्टार्टअप्स पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **कॉर्पोरेट कर में कटौतीः** विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर में कटौती का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है।
- **मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धिः** मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने से स्टार्टअप्स को अपने विकास में उपयोग करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व वाली सरकारी संस्थाएं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती हैं:

सरकारी निकाय	गठन वर्ष	कर्तव्य/भूमिका/लक्ष्य
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN& SPACe)	2020	• अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना। • प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के विकास में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को अधिकृत और पर्यवेक्षण करना। • अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और सुविधाएं स्थापित करना।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1992	• अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) की वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में कार्य करता है।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)	2019	• घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए उपग्रह सेवाएं प्रदान करना। • अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार में एसएमई को सहायता प्रदान करना।
भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए)	2021	• भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो):

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत की प्रमुख

अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्यरत है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।

इसरो का इतिहासः

- भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति (इन्कोस्पार) की स्थापना डॉ. विक्रम साराभाई के सुझाव पर परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत 1962 में गठित किया गया। इन्कोस्पार ने तमिलनाडु में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) का निर्माण किया। पहला साउंडिंग रॉकेट (नाइके-अपाचे) 21 नवंबर 1963 को टीईआरएलएस से प्रक्षेपित किया गया था।
- **इसरो की स्थापनाः** इसरो की आधिकारिक स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई थी, जिसने विस्तृत कार्यक्षेत्र के साथ INCOSPAR का स्थान लिया था।

इसरो के उद्देश्यः

- इसका प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग करना है।
- इसरो ने संचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियां स्थापित की हैं।

इसरो के हालिया मिशनः

उद्देश्य	प्रक्षेपण की तारीख	विवरण
एसएसएलवी-डी3/ ईओएस-08 मिशन	16 अगस्त, 2024	ईओएस-08 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का उपयोग किया गया।
जीएसएलवी-एफ14/ इनसैट-3डीएस मिशन	17 फरवरी, 2024	जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) का उपयोग करके इनसैट-3डीएस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया।
पीएसएलवी-सी58/ एक्सपोसैट मिशन	1 जनवरी, 2024	एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का उपयोग किया गया।
चंद्रयान-3 मिशन	14 जुलाई, 2023	प्रक्षेपण यान मार्क 3 (एलवीएम3) का उपयोग करके महत्वपूर्ण चंद्र मिशन प्रक्षेपित किया गया।
आदित्य-एल1 मिशन	2 सितंबर, 2023	सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के उद्देश्य से, इसे पीएसएलवी-एक्सएल का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया।
गगनयान टीवी-डी1 मिशन	21 अक्टूबर, 2023	भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा।
पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन (आरएलवी लेक्स-03)	23 जून, 2024	पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

निष्कर्षः

अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रूपये का वेंचर फंड भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फंड निजी निवेश को बढ़ावा देगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और नई तकनीकों के विकास में मदद करेगा। इससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन सकता है। इस कदम से भारत की आर्थिक वृद्धि में भी मदद मिलेगी, जिससे देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बन सकेगा।

भारत में दुर्लभ बीमारी: वर्तमान चुनौतियाँ और नीति निर्देश

संदर्भ:

दुर्लभ बीमारियाँ गंभीर और आजीवन बनी रहने वाली स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं, जोकि जनसंख्या के एक सीमित वर्ग को प्रभावित करती हैं। ये बीमारियाँ वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुर्लभ बीमारियाँ वे स्थितियाँ हैं जिनकी व्यापकता प्रति 1,000 व्यक्तियों में 1 या उससे कम होती है। इन बीमारियों का वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ता है, फिर भी, ये बीमारियाँ वित्तीय संसाधनों की कमी और अध्ययन के अभाव के कारण उपेक्षित रह जाती हैं। भारत में दुर्लभ बीमारियों से संबंधित चुनौतियाँ अधिक गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ व्यापक महामारी विज्ञान डेटा की कमी है। इस कमी के कारण इन बीमारियों के प्रभाव, उपचार और प्रबंधन में जटिलता उत्पन्न हो गई है।

- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक अनाथ दवाओं की पहुंच में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए है। वर्तमान में, भारत में लगभग 55 चिकित्सा स्थितियाँ इस वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं, जिनमें गौचर रोग (एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो माता-पिता से बच्चों में (वंशानुगत रूप से) स्थानांतरित होता है) और मांसपेशियों की दुर्बलता के विभिन्न रूप शामिल हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि इन दुर्लभ बीमारियों में से केवल 5% का ही प्रभावी उपचार उपलब्ध है। इसका परिणाम यह है कि अधिकांश रोगी विशिष्ट देखभाल के बिना रह जाते हैं, जो उनकी जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य निर्देश:

दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गये निर्देश में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष (एनआरडीएफ) का गठन:** इस कोष का उद्देश्य कीमतों को कम करना और दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 में समावेशन:** दुर्लभ बीमारियों के लिए दान को अनुसूची VII के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी, जिससे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान से वित्तपोषण का विस्तार होगा।
- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रशासन:** एनआरडीएफ का प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH-FW) के तहत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में एक या अधिक नोडल अधिकारी होंगे।
- **केंद्रीकृत सूचना पोर्टल का विकास:** तीन महीने के भीतर एक राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिसमें रोगी रजिस्ट्री और उपलब्ध उपचारों की जानकारी शामिल होगी।
- **फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया:** भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को निर्देश दिया गया है कि वे दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाओं और उपचारों के लिए 60 दिनों के भीतर एक विशेष फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित करें।

वर्तमान भारतीय परिदृश्य:

- भारत में दुर्लभ बीमारियों से संबंधित आंकड़ों की कमी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा शुरू की गई दुर्लभ और अन्य वंशानुगत विकारों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री (NRROID) ने लगभग 14,472 दुर्लभ बीमारी के रोगियों को दर्ज किया है; हालाँकि, यह संख्या प्रभावित लोगों का केवल एक अंश दर्शाती है। अनुमान बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर, 7,000 से 8,000 अलग-अलग दुर्लभ बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनमें गौचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसी प्रचलित स्थितियाँ शामिल हैं।
- दुर्लभ बीमारियों का आर्थिक बोझ बहुत अधिक है, क्योंकि उपचार अक्सर महंगे होते हैं। कई अनाथ दवाओं का पेटेंट कराया जाता है, जिससे उनकी कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं, जो उन्हें अधिकांश रोगियों के लिए दुर्गम बना देती हैं। वर्तमान में, 5% से भी कम दुर्लभ बीमारियों के लिए उपचार उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप 10 में से 1 से भी कम रोगियों को बीमारी- विशिष्ट देखभाल मिलती है। यह स्थिति नीति और व्यवहार में प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अनाथ दवाओं (Orphan drugs) की लागत और उपलब्धता:

- अनाथ दवाओं की उच्च लागत उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। इनमें से कई दवाएँ पेटेंटेड हैं, जिसके कारण उनकी कीमतें अत्यधिक होती हैं। दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए छोटे बाजार अक्सर दवा कंपनियों को उनके विकास में निवेश करने से रोकते हैं। न्यायालय ने दवा कंपनियों के साथ बातचीत करने और लागत कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने 2019 के उस आदेश पर चिंता व्यक्त की, जिसमें अनाथ दवाओं को मूल्य नियंत्रण से छूट दी गई थी, तथा इस क्षेत्र में विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

नीतिगत ढांचा और हालिया घटनाक्रम:

- 2021 में, भारत सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD) शुरू की, जिसका उद्देश्य व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों की घटनाओं और व्यापकता को कम करना है। यह नीति एम्स दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ जैसे पहचाने गए उत्कृष्टता केंद्रों (COE) में इलाज कराने वाले मरीजों को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनाथ दवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निर्देश जारी किए, जिसमें उपचार तक बेहतर पहुंच की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचाना गया। न्यायालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष (NRDF) की स्थापना का आदेश दिया, जिसका प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के भीतर एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।
- इस कोष का उद्देश्य दवाओं की कीमतें कम करना और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है।

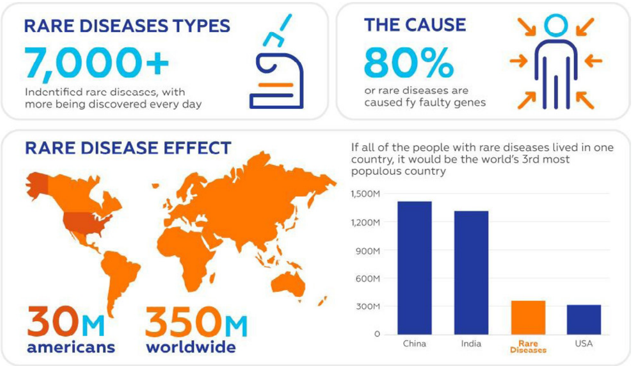

आर्थिक विचार और वित्तपोषण चुनौतियाँ:

- दुर्लभ बीमारियों का उपचार महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है, विशेषकर भारत जैसे सीमित संसाधन वाले देशों में। नीति निर्माताओं को संसाधनों का आवंटन करते समय प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है। दुर्लभ बीमारियों के उपचार की उच्च लागत के कारण प्राथमिकता निर्धारित करना जरूरी है। इसमें उन हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बड़ी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।
- वर्तमान वित्तपोषण नीतियाँ, जैसे कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि, दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके बावजूद, अनेक परिवार आवश्यक देखभाल तक पहुँचने में संघर्षरत हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 तक दुर्लभ बीमारियों के रोगियों के लिए 24 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई थी, किंतु आवश्यकता के मुकाबले यह धनराशि अपर्याप्त है। व्यवस्थित महामारी विज्ञान अध्ययनों की कमी दुर्लभ बीमारियों के बोझ के सटीक अनुमानों में बाधक बनती है, जिससे संसाधनों का उचित आवंटन जटिल हो जाता हैं।

आगे की राह: ढांचे को मजबूत करना

- **दुर्लभ रोगों का डेटा विश्लेषण:** दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण और उनसे जुड़ी रुग्णता तथा मृत्यु दर को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है। प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों को विकसित करने के लिए यह डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और आम जनता के बीच दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से शीघ्र निदान और उपचार में सहायता मिल सकती है। शैक्षिक पहल इन स्थितियों की समझ को विकसित करने और संभावित उपचारों पर शोध को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- **घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना:** सरकार को दवा कंपनियों को स्थानीय स्तर पर दुर्लभ बीमारियों के उपचार विकसित करने और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए। इसमें कर में छूट या अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान शामिल हो सकते हैं, जिससे लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **औषधि अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** दुर्लभ रोगों की औषधियों के लिए एक समर्पित त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना से आवश्यक उपचारों तक पहुँच में तेजी लाने में सहायता मिल सकती है।
- **वित्तपोषण तंत्र में वृद्धि:** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दुर्लभ बीमारियों के लिए दान को शामिल करने जैसे वित्तपोषण तंत्र का विस्तार करने से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान को उपयोग किया जा सकेगा, जिससे प्रभावित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत में दुर्लभ बीमारियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीति सुधार, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और बेहतर डेटा संग्रहण शामिल है। इस विशेष जनसंख्या की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकती है और उपचार तक समान पहुँच सुनिश्चित कर सकती है। जैसे-जैसे परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं, भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए एक समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण हेतु हितधारकों 'जिनमें रोगी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, नीति निर्माता और दवा कंपनियाँ शामिल हैं' के बीच निरंतर संवाद अत्यंत आवश्यक है।

मारबर्ग वायरस रोग (एमवीडी)

चर्चा में क्यों?

रवांडा में मारबर्ग वायरस रोग (एमवीडी) के प्रकोप के कारण छह लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से अधिकतर स्वास्थ्यकर्मी हैं।

मारबर्ग वायरस रोग:

- मारबर्ग वायरस रोग (एमवीडी) एक अत्यधिक घातक बीमारी है, जो मारबर्ग वायरस के कारण होती है।
- यह इबोला वायरस के समान फिलोविरिडे परिवार से संबंधित है, जो गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है।

उत्पत्ति:

- पहली बार 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में पहचाना गया, जब प्रयोगशाला कर्मचारी युगांडा के संक्रमित हरे बंदरों के संपर्क में आए थे।
- मिस्र का रौसेट चमगादड़ (रूसेटस एजिपियाकस) मारबर्गवायरस का प्राकृतिक भंडार है और मनुष्यों में वायरस के फैलने का लगातार स्रोत है।

संक्रमण:

- मारबर्ग वायरस रोग चमगादड़ों से मनुष्यों में जूनोटिक संक्रमण के माध्यम से फैल सकता है और फिर सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्य से मनुष्य में रक्तस्राव, संक्रमित व्यक्ति के अन्य शारीरिक तरल पदार्थ से फैल सकता है
- यदि सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए हैं, तो संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवा कर्मी, देखभाल करने वाले और परिवार के सदस्य उच्च जोखिम में होते हैं।

मारबर्ग वायरस रोग के लक्षण:

- रोग के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और धड़ पर चपटे और उभरे दाने शामिल हैं। मरीजों को सीने में दर्द, गले में खराश, साथ ही मतली, उल्टी और दस्त का भी अनुभव हो सकता है।
- मारबर्ग वायरस रोग के उन्नत लक्षण गंभीर होते हैं, जैसे लीवर फेलियर, प्रलाप और सदमा। इस चरण में, रोगी को आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव हो सकता है, जिससे कई अंगों में शिथिलता उत्पन्न होती है। इससे मृत्यु का जोखिम काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण त्वरित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है।
- **मृत्यु दर:** वायरस के प्रकार और चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता के आधार पर, औसतन 50% के साथ 24% से 88% तक होती है।

उपचार और रोकथाम:

- वर्तमान में, मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। सहायक देखभाल इस बीमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहायक देखभाल में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » तरल पदार्थ का उपयोग
  - » इलेक्ट्रोलाइट संतुलन
  - » ऑक्सीजन पूरकता
  - » रक्त उत्पाद प्रतिस्थापन

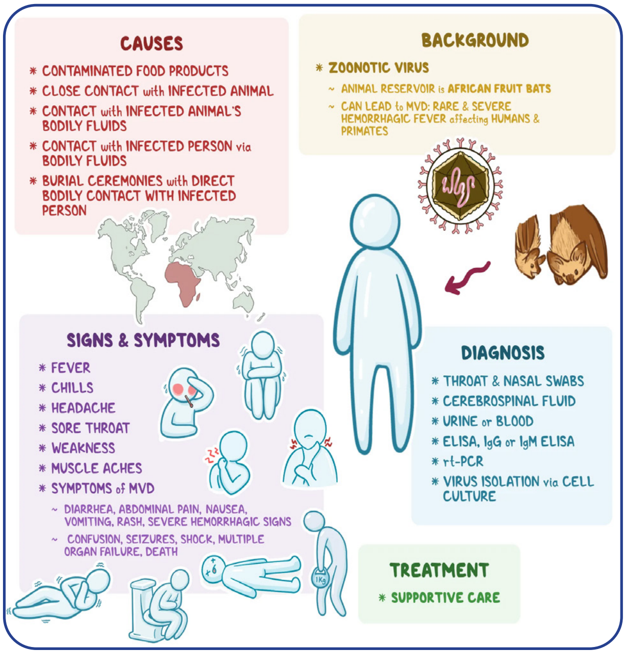

रोकथाम:

- मारबर्ग वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख निवारक रणनीतियों में शामिल हैं:
  - » अच्छी स्वच्छता प्रथाएँ, विशेषकर हाथ धोने की आदतें।
  - » संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से बचाव।
  - » स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और देखभाल करने वालों के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने, मास्क, गाउन का उपयोग।
  - » जानवरों की सुरक्षित हैंडलिंग और पशु उत्पादों को अच्छे से पकाना सुनिश्चित करना।

फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड

चर्चा में क्यों?

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में, पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड (FNDs) को

उच्च निर्वात में लेविटेट (लटका) कर और अल्ट्रा-फास्ट घुमा कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

- इस प्रयोग का क्वांटम यांत्रिकी और कई उद्योगों के लिए बड़ा महत्व है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए अवसर खुलते हैं।

फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड (FNDs):

- फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड (FNDs) कार्बन नैनोकणों से बने नैनोमीटर आकार के हीरे हैं। इन्हें उच्च तापमान और दबाव में उत्पादित किया जाता है, जिससे ये जीवित जीवों के लिए बेहद स्थिर और गैर-विषाक्त होते हैं। FNDs में कई अनूठी विशेषताएं हैं:
  - » **उच्च स्थिरता:** वे कई अन्य फ्लोरोसेंट सामग्रियों के विपरीत, प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब नहीं होते हैं।
  - » **गैर-विषाक्त प्रकृति:** यह उन्हें जैविक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए सुरक्षित बनाता है, जैसे कि लंबी अवधि तक कोशिकाओं को ट्रैक करना।

FNDs की प्रतिदीप्ति और स्थिरता:

- प्रतिदीप्ति किसी पदार्थ की वह क्षमता है, जिसके तहत वह उच्च-आवृत्ति वाले प्रकाश से विकिरणित होने पर कम-आवृत्ति वाला प्रकाश उत्सर्जित करता है।
- FNDs इसलिए विशिष्ट होते हैं क्योंकि वे अन्य नैनोस्केल पदार्थों की तरह पल्सेटिंग (रुक-रुक कर प्रकाश उत्सर्जन) नहीं करते।
- फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड का प्रतिदीप्ति जीवनकाल 10 नैनोसेकंड से अधिक होता है, जो उन्हें क्वांटम डॉट्स की तुलना में दीर्घकालिक अनुप्रयोगों के लिए अधिक विश्वसनीय बनाता है, उल्लेखनीय है कि क्वांटम डॉट्स ने रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता।

क्वांटम स्पिन और बेरी चरण:

- FNDs अपनी क्षमता के कारण क्वांटम यांत्रिकी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों जैसे कणों के स्पिन को नियंत्रित कर सकते हैं। स्पिन एक मौलिक क्वांटम गुण है, जो कणों को विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद रहने की अनुमति देता है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्पिन क्वाबिट में जानकारी को संग्रहित करता है।
- बेरी चरण क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वर्णन करती है कि किसी कण की तरंग का चरण विभिन्न क्वांटम अवस्थाओं से गुजरने के बाद कैसे बदलता है और अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है।
- यह घटना निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:
  - » **क्वांटम यांत्रिकी:** यह चुंबकीय क्षेत्रों और घूर्णन प्रणालियों में कणों के व्यवहार को समझने में मदद करती है।
  - » **क्वांटम गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान:** लेविटेटेड FNDs जैसी जटिल प्रणालियों में बेरी चरण को मापकर, शोधकर्ता क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण एक-दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, जो भौतिकी की बड़ी चुनौतियों में से एक है।

FNDs के औद्योगिक अनुप्रयोग

- लेविटेटेड फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड (FNDs) की त्वरण और विद्युत क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें विभिन्न उच्च-मूल्य वाले उद्योगों में सेंसर के रूप में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है। कुछ संभावित अनुप्रयोग इस प्रकार हैं:
  - » **सेंसर तकनीक:** FNDs का उपयोग सटीक रोटेशन मापने के लिए उन्नत सेंसर और जाइरोस्कोप में किया जा सकता है।
  - » **क्वांटम कंप्यूटिंग:** FNDs को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर नाइट्रोजन-रिक्ति (NV) केंद्र बनाए जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्यूबिट उत्पन्न करते हैं। ये भविष्य के क्वांटम सुपरपोजिशन प्रयोगों और कंप्यूटिंग में मदद करते हैं

FNDs के अन्य अनुप्रयोग:

- **चिकित्सा निदान:** अपनी गैर-विषाक्त प्रकृति और उच्च स्थिरता के कारण, FND का उपयोग उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और कोशिकाओं की दीर्घकालिक ट्रैकिंग में किया जाता है।
- **तापमान संवेदन:** FND सूक्ष्म स्तर पर तापमान माप सकते हैं, जिससे वे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी हो जाते हैं।
- **सहसंबंधी माइक्रोस्कोपी:** फ्लोरोसेंट गुण FNDs को कई इमेजिंग तकनीकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जिससे सूक्ष्म अवलोकनों की सटीकता में सुधार होता है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** नाइट्रोजन के साथ FND मिलाने से ये स्पिन क्यूबिट बनाते हैं, जो क्वांटम प्रयोगों और नए क्वांटम कंप्यूटरों के लिए सहायक होते हैं।

चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को "माइक्रोआरएनए की अभूतपूर्व खोज और पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका" के लिए दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज की है।

माइक्रोआरएनए:

- माइक्रोआरएनए (miRNA) छोटे, एकल-स्ट्रैंडेड आरएनए का एक रूप है, जो 18-25 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है।

- माइक्रोआरएनए अणुओं के एक परिवार का नाम है जो कोशिकाओं को उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- कोशिकाएं जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए माइक्रोआरएनए का उपयोग करती हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में अन्य जीन के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसलिए, माइक्रोआरएनए ऐसे जीन हैं जो अन्य प्रोटीन-कोडिंग जीन को मॉड्यूलेट करते हैं।
- **उपस्थिति:** पौधों, जानवरों और कुछ वायरसों में पाए जाने वाले माइक्रोआरएनए, आरएनए साइलेंसिंग और जीन सक्रियता के पोस्ट- ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

माइक्रोआरएनए के कार्य:

- **प्रोटीन-कोडिंग जीन का मॉड्यूलेशन:** माइक्रोआरएनए अन्य प्रोटीन- कोडिंग जीन की अभिव्यक्ति को मॉड्यूलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नियामक तंत्र:

- **संश्लेषण को रोकना:** mRNA से प्रोटीन के संश्लेषण को रोकना।
- **माइक्रोआरएनए क्षरण को प्रेरित करना:** यह mRNA अणुओं के विघटन को बढ़ाता है।
- **जीन सक्रियता को कम करना:** विशिष्ट जीन की गतिविधि को प्रभावी ढंग से कम करना।

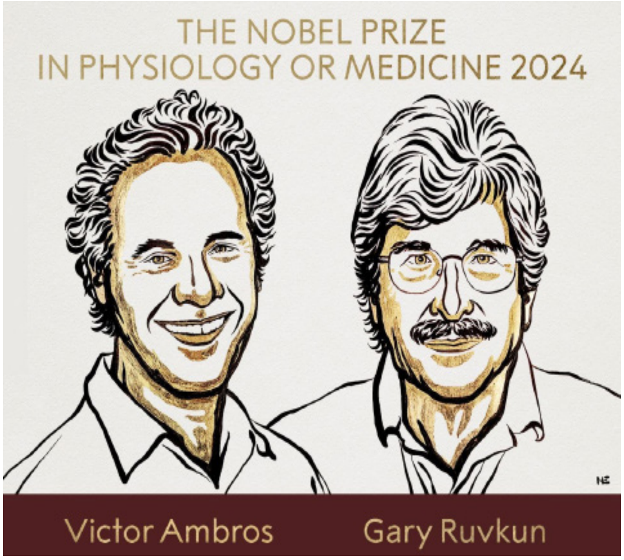

माइक्रोआरएनए का महत्व:

- **विकास:** माइक्रोआरएनए कोशिका के विकास, विभेदन और वृद्धि की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **रोगों में भागीदारी:** इनकी संलग्नता विभिन्न रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय संबंधी विकार और तंत्रिका संबंधी विकारों में देखी गई है।
- **उपचारात्मक क्षमता:** माइक्रोआरएनए संभावित उपचार रूप में उभर रहे हैं, जो नई चिकित्सीय विधियों के विकास में सहायक हो सकते हैं।

माइक्रोआरएनए क्रियातंत्र:

- **प्रतिलेखन (Transcription):** माइक्रोआरएनए (miRNAs) को डीएनए से प्राथमिक माइक्रोआरएनए (pri-miRNA) के रूप में प्रतिलेखित किया जाता है।
- **प्रसंस्करण (Processing):** प्राथमिक miRNAs को पूर्ववर्ती माइक्रोआरएनए (pre-miRNA) में संसाधित किया जाता है।
- **निर्यात और परिपक्वता:** पूर्ववर्ती miRNAs को कोशिका द्रव्य में भेजा जाता है, जहां वे परिपक्व उपत्छो में बदल जाते हैं।
- **लक्ष्य अंत:क्रिया:** परिपक्व miRNAs लक्ष्य मैसेंजर आरएनए (mRNAs) से जुड़कर, या तो mRNA को तोड़कर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।
- **खोज:** माइक्रोआरएनए की अवधारणा की खोज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन द्वारा किया गया, जिन्होंने इसे जीन विनियमन के नए सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जो मनुष्यों सहित बहुकोशिकीय जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **मानव जीनोम:** मानव जीनोम 1,000 से अधिक माइक्रोआरएनए को एनकोड करता है, जो जीन विनियमन की जटिलता दर्शाता है। प्रत्येक माइक्रोआरएनए विभिन्न संदर्भों में जीन सक्रियता को नियंत्रित करते हुए मैसेंजर आरएनए (mRNAs) के साथ अंत:क्रिया कर सकता है।

नोबेल पुरस्कारों के बारे में:

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की।
- ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो।
- पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने की परंपरा की शुरुआत की।
- प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार पांच श्रेणियों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में प्रदान किये गए।
- अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वेरिग्स रिक्सबैंक (स्वीडन का केंद्रीय बैंक) द्वारा की गई।

भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफ्री ई. हिंटन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क

(Artificial Neural Networks - ANNs) के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उनके शोध ने मशीन लर्निंग की तकनीकों को एक नई दिशा दी है, जोकि वर्तमान समय के एआई अनुप्रयोगों का आधार हैं।

हॉपफील्ड का योगदान:

- जॉन जे. हॉपफील्ड एक प्रख्यात अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं और वह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 'हॉपफील्ड नेटवर्क' की अवधारणा विकसित की जो सूचना के भंडारण और पुनःस्मरण (Memory Recall) की प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- उनके इस नवाचारी कार्य ने यह सिद्ध किया कि कैसे आपस में जुड़े हुए नोड्स का एक नेटवर्क डेटा को प्रभावी ढंग से संग्रहीत कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। हॉपफील्ड के इस शोध ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया और तंत्रिका नेटवर्क आधारित कंप्यूटिंग की क्षमताओं को विस्तारित किया।

हिंटन का योगदान:

- ब्रिटिश-कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक जेफ्री ई. हिंटन ने हॉपफील्ड के आधारभूत कार्य पर काम करते हुए बोल्ट्जमैन मशीन बनाई। इस विकास ने मशीन लर्निंग की प्रमुख अवधारणाओं को पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क डेटा इनपुट से कैसे सीख सकते हैं?
- हिंटन के शोध ने आधुनिक एआई सिस्टम के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मशीन लर्निंग के माध्यम से तकनीकी प्रगति को तेज किया है।

कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के बारे में:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आज के संदर्भ में व्यापक रूप से समझा जाता हैं, का मुख्य आधार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में परस्पर जुड़े हुए नोड्स होते हैं जिन्हें जानवरों के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्रत्येक नोड निश्चित नियमों के अनुसार इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, इससे आउटपुट प्राप्त होता है। नोड्स की कई परतों को जोड़कर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क डीप लर्निंग क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है, जिससे मशीनें कुछ कार्यों में मानवीय क्षमताओं से आगे निकल सकती हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का विकास पारंपरिक कंप्यूटिंग से जटिल पैटर्न पहचानने में सक्षम उन्नत प्रणालियों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
- हॉपफील्ड और हिंटन द्वारा किए गए कार्य ने न केवल कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (एएनएन) के सिद्धांतों को स्थापित किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि सांख्यिकीय भौतिकी, तंत्रिका जीव विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों की अवधारणाओं को कम्प्यूटेशनल ढांचे में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है।

John J. Hopfield   Geoffrey E. Hinton

कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के अनुप्रयोग:

- **छवि पहचान:** स्वचालित कारों और चिकित्सा इमेजिंग के लिए महत्वपूर्ण।
- **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी):** भाषा अनुवाद और भावना विश्लेषण जैसे कार्यों को बढ़ाना।
- **वाक् पहचान:** आभासी सहायकों और आवाज नियंत्रित उपकरणों में उपयोग।
- **सुझाव प्रणालियाँ:** व्यक्तिगत सुझावों के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे प्लेटफार्मों द्वारा नियोजित।
- **वित्तीय पूर्वानुमान:** बाजार के रुझान और स्टॉक की कीमतों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करना।
- **चिकित्सा निदान:** छवि विश्लेषण के माध्यम से रोग निदान में सहायता करना।
- **रोबोटिक्स:** वस्तु पहचान और गति नियोजन को सुविधाजनक बनाना।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना:** विभिन्न क्षेत्रों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन की पहचान करना।

प्रगति और खतरे:

- हॉपफील्ड और हिंटन के योगदान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है, जिसके परिणामस्वरूप छवि पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, और स्वायत्त निर्णय लेने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- हालांकि उनके कार्य ने उन्नत एआई प्रणालियों के निहितार्थों को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं। हिंटन ने एआई के विकास की तीव्र गति और इसके संभावित खतरों के प्रति अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, जिससे एआई के प्रभावी नियोजन के लिए नैतिक विचारों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा को प्रोत्साहन मिला है।

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों-डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर को प्रोटीन के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके अग्रण ी कार्य के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा मिलेगा।

- डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर को पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा मिलेगा, उन्होंने अल्फाफोल्ड का विकास किया है। अल्फाफोल्ड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, जो सटीकता के साथ जटिल प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है।
- प्रोटीन जटिल जैविक अणु होते हैं, जो पेप्टाइड बांड से जुड़े अमीनो एसिड से बनते हैं। ये सभी जीवों के लिए जरूरी होते हैं और विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

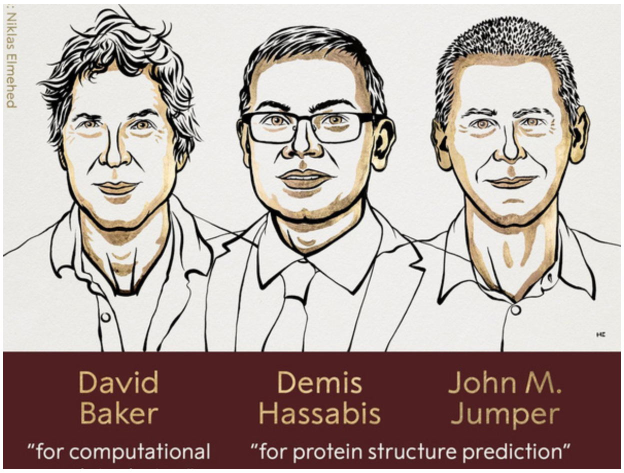

डेविड बेकर का योगदान:

- डेविड बेकर ने नये और अभिनव प्रोटीनों के डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। डेविड बेकर ने 20 मानक अमीनो एसिड का उपयोग करके ऐसे प्रोटीन का निर्माण किया गया जो प्रकृति में विद्यमान नहीं हैं।
- डेविड बेकर ने विभिन्न कार्यों के लिए प्रोटीन विकसित किए हैं, जिनमें औषधीय उत्पाद, टीके, नैनो सामग्री और सेंसर शामिल हैं।
- बेकर का कार्य प्रोटीन की बहुपक्षीय क्षमताओं और चिकित्सा एवं तकनीकी समस्याओं के समाधान में उनके योगदान को उजागर करता है। विशिष्ट कार्यात्मकता वाले प्रोटीनों का डिजाइन करते हुए, वे लक्षित औषधि वितरण प्रणालियों और विकसित रोगजनकों के लिए अनुकूलनीय टीकों की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर का योगदान:

- डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर ने प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जो अमीनो एसिड अनुक्रमों से संबंधित है। प्रोटीन के आकार की सही भविष्यवाणी, जो उनके कार्य को निर्धारित करती है, जीव विज्ञान में दशकों से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है।
- 2020 में, उन्होंने अल्फाफोल्ड2 का विकास किया, जो एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल है। यह मॉडल प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में एक नई क्रांति लाने में सक्षम है, क्योंकि यह लगभग सभी ज्ञात 200 मिलियन प्रोटीनों की संरचनाओं को उच्च सटीकता के साथ पूर्वानुमानित करता है।
- अल्फाफोल्ड2 का उपयोग 190 देशों के दो मिलियन से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। इसके अनुप्रयोगों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का अध्ययन और प्लास्टिक कचरे को नष्ट करने वाले एंजाइमों का अन्वेषण शामिल हैं। यह न केवल विज्ञान में नई संभावनाओं को खोलता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खोजों के अनुप्रयोग:

प्रोटीन की समझ बनाने में सहायक:

- प्रोटीन जीवित जीवों के मौलिक घटक होते हैं। पुरस्कार विजेताओं का कार्य प्रोटीन की संरचना और कार्य को स्पष्ट करता है, जिससे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

चिकित्सा पर प्रभाव:

- डेविड बेकर का कम्प्यूटेशनल डिजाइन लक्षित रोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित प्रोटीन के निर्माण को सक्षम बनाता है।
- इससे नए उपचार और चिकित्सा पद्धतियां सामने आ सकती हैं, जैसे कि दवा वितरण प्रणालियाँ और नवीन चिकित्सा तकनीकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीव विज्ञान में प्रगति:

- हसबिस और जॉन जम्पर का अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह मॉडल लगभग सभी ज्ञात प्रोटीनों की संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है और प्रोटीन की अंतः क्रियाओं एवं कार्यों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है।

अन्य अनुप्रयोग:

- सटीक प्रोटीन संरचनाएं नई दवा लक्ष्यों की पहचान और अधिक प्रभावी फार्मास्यूटिकल्स के डिजाइन में सहायक होती हैं।
- इंजीनियर्ड प्रोटीन से फसल के लचीलेपन और उपज में सुधार संभव है।
- नवाचारों के माध्यम से ऐसे प्रोटीन विकसित किए जा सकते हैं, जो जैव-उपचार और अन्य पारिस्थितिक अनुप्रयोगों में सहायक हो सकते हैं।

बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन प्रक्षेपित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल. कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन संभव है या नहीं। यह नासा की सबसे बड़ी ग्रह अन्वेषण परियोजना है, जिसका बजट 5.2 बिलियन डॉलर है।

- यूरोपा क्लिपर का उद्देश्य बृहस्पति की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करना है, जिससे यूरोपा नामक चंद्रमा का गहन अध्ययन किया जा सके। इसके बारे में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इसकी मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल जल का महासागर मौजूद है।
- यूरोपा क्लिपर मिशन का प्रमुख लक्ष्य यह आकलन करना है कि इस बर्फीले चंद्रमा पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं या नहीं। यह नासा का पहला समर्पित मिशन होगा, जो पृथ्वी से परे किसी समुद्री दुनिया की संभावित रहने की क्षमता का अध्ययन करेगा।

मिशन में प्रयोग हुए उपकरण:

अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यह अंतरिक्ष यान यूरोपा की सतह, उपसतह और वायुमंडल का अध्ययन करेगा। प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं:

- **चुंबकीय परिज्ञान हेतु प्लाज्मा उपकरण (PIMS):** यह उपकरण यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा ताकि इसके महासागर की गहराई और लवणता का विश्लेषण किया जा सके।
- **यूरोपा के लिए मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (MISE):** यह उपकरण यूरोपा की सतह की रासायनिक संरचना की पहचान करेगा।
- **यूरोपा इमेजिंग सिस्टम (EIS):** यह चंद्रमा की सतह के उच्च-रिजॉल्यूशन चित्र कैप्चर करेगा।
- **यूरोपा आकलन और महासागर से निकट सतह तक की जांच के लिए रडार (REASON):** यह बर्फ की सतह के नीचे की जांच करके भूमिगत संरचनाओं, जैसे संभावित झीलों और ज्वालामुखी की जांच करेगा।
- **यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर:** यह यूरोपा के चुंबकीय वातावरण का विश्लेषण करेगा, जोकि चंद्रमा की संभावित आवास क्षमता को समझने के लिए आवश्यक है।

शक्ति और उड़ान पथ:

- अंतरिक्ष यान में बड़े सोलर समूह लगे हैं, जो इसे दूरस्थ बृहस्पति प्रणाली में परिचालन के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है।
- मिशन 2030 में बृहस्पति की कक्षा में पहुँचने से पहले मंगल और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करेगा। 49 फ्लाईबाई के दौरान, यूरोपा क्लिपर सौर मंडल के सबसे तीव्र विकिरण क्षेत्रों में से एक से गुजरते हुए डेटा एकत्र करेगा।

यूरोपा का महत्व:

- बृहस्पति के चौथे सबसे बड़े चंद्रमा यूरोपा, में पृथ्वी के महासागरों की तुलना में अधिक जल होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे यह संभावित जीवन के अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्थल बन गया है।
- यह मिशन यह सत्यापित करने का प्रयास करेगा कि यूरोपा में जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक जल, ऊर्जा एवं रासायनिक घटक विद्यमान हैं या नहीं। उपसतह महासागर का विश्लेषण करते हुए, यह मिशन चंद्रमा की रहने योग्य क्षमता से संबंधित मूलभूत प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में सहायक होगा।

निष्कर्ष:

नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन एक अभूतपूर्व प्रयास है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को समाहित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन की संभावना है। यह मिशन न केवल यूरोपा के पर्यावरण की गहन जानकारी प्रदान करने का आश्वासन देता है, बल्कि पृथ्वी से परे जीवन के संबंध में मानवता की समझ को पुन: आकार देने की संभावनाएं भी प्रस्तुत करता है।

मस्तिष्क क्षय रोग (Brain Tuberculosis)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत संचालित मोहाली स्थित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आ. ईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने क्षय रोग (टीबी) की दवा को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाने की एक नवीन विधि विकसित की है। यह विधि रक्त-मस्तिष्क अवरोध (बीबीबी) को प्रभावी ढंग से पार करने में सक्षम है। इसके माध्यम से मस्तिष्क क्षय रोग (टीबी) के उपचार में सुविधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है, जिसमें मृत्यु दर का जोखिम अत्यधिक होता है।

मस्तिष्क क्षय रोग:

- मस्तिष्क क्षय रोग, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्षय रोग (सीएनएस-टीबी) कहा जाता है, तपेदिक (टीबी) का एक अत्यंत गंभीर रूप है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होती हैं और मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- सीएनएस-टीबी के उपचार में प्रमुख चुनौती यह है कि टीबी

दवाएं रक्त-मस्तिष्क अवरोध (बीबीबी) के कारण पहुँचने में कठिनाई महसूस करती हैं। यह अवरोध मस्तिष्क की रक्षा करता है, लेकिन कई आवश्यक दवाओं को वहाँ पहुँचने से रोकता है।

- पारंपरिक उपचार में एंटी-टीबी दवाओं की उच्च खुराक दी जाती है। लेकिन, ये दवाएं रक्त-मस्तिष्क अवरोध (बीबीबी) की वजह से मस्तिष्कमेरु द्रव (Cerebrospinal Fluid) में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती हैं। इसलिए, ऐसी विधियों की आवश्यकता है जो दवाओं को सीधे मस्तिष्क तक पहुँचाने में सक्षम हों।

अध्ययन के बारे में:

- टीबी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिकों ने चिटोसन नैनो-एग्रीगेट्स का विकास किया है। ये नैनोकणों के छोटे समूह हैं, जो चिटोसन से बने होते हैं और यह एक जैव-संगत तथा जैव-निम्नीकरणीय सामग्री है।
- ये नैनो-एग्रीगेट्स विशेष रूप से नाक के माध्यम से देने में सहायक हैं और इनमें आइसोनियाजिड (INH) और रिफाम्पिसिन (RIF) जैसी टीबी दवाएं समाहित की जा सकती हैं।
- शोधकर्ताओं ने नाक से मस्तिष्क (N2B) दवा वितरण तकनीक का उपयोग किया है, जो रक्त-मस्तिष्क अवरोध (BBB) को बायपास करने के लिए नाक गुहा में घ्राण (olfaction) और ट्राइजेमिनल तंत्रिका मार्गों (Trigeminal Nerve Pathways) का लाभ उठाती है। यह विधि मस्तिष्क संक्रमण स्थल पर सीधे दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- चिटोसन के म्यूकोएडेसिव गुण इन नैनो-एग्रीगेट्स को नाक की म्यूकोसा से चिपकने में मदद करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक अपनी स्थिति बनाए रखते हैं और दवा को स्थिर रूप से छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, इन नैनो-एग्रीगेट्स को बनाने के लिए प्रयुक्त स्प्रे-ड्राइंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ये स्थिर हों और आसानी से नाक के माध्यम से प्रबंधित किए जा सकें, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में कुशल अवशोषण संभव हो सके।
- प्रयोगशाला परीक्षणों में, इन नैनो-एग्रीगेट्स ने नाक गुहा में बेहतर चिपकने की क्षमता प्रदर्शित की, जिससे पारंपरिक टीबी उपचारों की तुलना में मस्तिष्क कोशिकाओं में अधिक मात्रा में दवा पहुँच सकी। टीबी से संक्रमित चूहों पर किए गए प्रयोगों में, इन नैनो-एग्रीगेट्स के नाक के माध्यम से प्रशासित किए जाने पर, अनुपचारित चूहों की तुलना में मस्तिष्क में बैक्टीरिया की संख्या लगभग 1,000 गुना कम हो गई। यह सीएनएस-टीबी के लिए लक्षित उपचार के रूप में उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन दर्शाता है कि इन उन्नत कणों का उपयोग करके नाक के माध्यम से टीबी की दवाएँ पहुँचाने से मस्तिष्क की टीबी का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। नया उपचार यह सुनिश्चित करता है कि दवा मस्तिष्क तक पहुँचती है और संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को कम करने में भी मदद करती है। इसके अतिरिक्त, इस अभिनव वितरण पद्धति को मस्तिष्क में कुशल दवा वितरण को सक्षम करके अन्य मस्तिष्क संक्रमणों, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों (जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस), मस्तिष्क ट्यूमर और मिर्गी के इलाज के लिए भी लागू किया जा सकता है।

स्मार्ट इंसुलिनः मधुमेह के उपचार में सफलता

चर्चा में क्यों?

डेनमार्क, ब्रिटेन और चेक गणराज्य की कंपनियों के वैज्ञानिकों ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक 'स्मार्ट' इंसुलिन विकसित किया है, जो रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। इस खोज ने मधुमेह के उपचार में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह नवीन दृष्टिकोण इंसुलिन अणु में संशोधन कर उसमें एक 'चालू-बंद स्विच' (ऑन एंड ऑफ स्विच) को शामिल करता है, जो ग्लूकोज के स्तर में परिवर्तन के प्रति स्वतः सक्रिय हो जाता है।

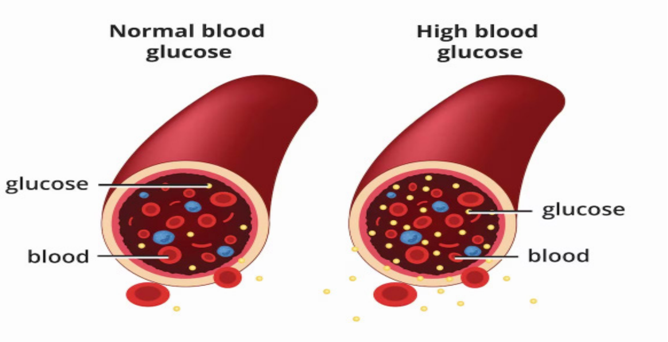

मधुमेह (Diabetes):

- मधुमेह एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जो वर्तमान में दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है और प्रतिवर्ष लगभग सात मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनती है।
- जैसे-जैसे मधुमेह का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके उपचार में प्रगति तेजी से आवश्यक होती जा रही है। मधुमेह को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » **टाइप 1 मधुमेह:** यह रोग सामान्यतः बाल्यकाल में प्रारंभ होता है और तब विकसित होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन का अत्यधिक कम या शून्य उत्पादन करता है। इंसुलिन, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक हार्मोन है।
  - » **टाइप 2 मधुमेह:** यह प्रकार वयस्कों तब उत्पन्न होता है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो

जाती हैं, जिससे अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न इंसुलिन की मात्रा से अधिक की आवश्यकता होती है।

- दोनों प्रकार के मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन में आमतौर पर सिंथेटिक इंसुलिन का प्रयोग शामिल होता है। हालाँकि, रोगियों को रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए निरंतर निगरानी और इंसुलिन की खुराक में समायोजन की आवश्यकता होती है। ओवरडोज के परिणामस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर खतरनाक रूप से गिर सकता है, जिससे गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

स्मार्ट इंसुलिन के विकास में सफलता:

- एनएनसी2215 के नाम से जाना जाने वाला 'स्मार्ट' इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के प्रति स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे निरंतर निगरानी का बोझ कम हो जाता है। स्मार्ट इंसुलिन में दो आवश्यक घटक होते हैं:
  - » वलय के आकार की संरचना
  - » ग्लूकोज जैसा अणु, जिसे ग्लूकोसाइड कहा जाता है।
- जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है, तो ग्लूकोसाइड रिंग से बंध जाता है, जिससे इंसुलिन निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही रक्त शर्करा बढ़ता है, ग्लूकोसाइड की जगह ग्लूकोज ले लेता है, जिससे इंसुलिन सक्रिय हो जाता है और रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करता है।

चुनौतियाँ:

- जानवरों पर किए गए परीक्षणों में आशाजनक परिणामो के बावजूद, एनएनसी2215 को सक्रिय करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएनसी2215 (स्मार्ट इंसुलिन) के मौजूदा तंत्र को सक्रिय करने के लिए शरीर में ग्लूकोज के स्तर में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता होती है। जब ग्लूकोज का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है, तब यह इंसुलिन का तेजी से प्रवाह उत्पन्न करता है। इंसुलिन की मात्रा अचानक बढ़ जाने पर शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में एनएनसी2215 प्रभावी नहीं रह पाती।
- शोधकर्ता इस अणु को परिष्कृत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ताकि अधिक नियंत्रित और क्रमिक इंसुलिन स्राव सुनिश्चित किया जा सके तथा इसका मानव परीक्षण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष:

स्मार्ट इंसुलिन NNC2215 का विकास मधुमेह प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन लाखों व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने की क्षमता रखता है, जोकि इंसुलिन थेरेपी पर निर्भर हैं। इस नवाचार के माध्यम से मधुमेह उपचार के परिदृश्य में परिवर्तन संभव है, जिससे लोगों के लिए अपनी स्थिति का प्रबंधन करना सरल होगा।

हीरे का चूर्ण सौर विकिरण प्रबंधन में सहायक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया शोध में हीरे के चूर्ण को सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management -SRM) के लिए प्रभावी पदार्थ के रूप में उजागर किया है। शोध में सात अलग-अलग यौगिकों की तुलना की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि हीरे सौर विकिरण को परावर्तित करने के लिए सबसे कुशल हैं। शोधकर्ताओं ने सालाना पाँच मिलियन टन हीरे के चूर्ण को ऊपरी वायुमंडल में छिड़कने की एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव किया है, जिससे तापमान में लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।

हीरे के चूर्ण (Diamond Dust) के बारे में:

- भू-इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हीरे का चूर्ण ऊपरी वायुमंडल, विशेष रूप से समताप मंडल में छिड़कने के लिए प्रस्तावित माइक्रोन आकार के छोटे हीरे के कणों को संदर्भित करता है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना और पृथ्वी के ताप को कम करने में योगदान देना है।

हीरे के चूर्ण के मुख्य गुण:

- **उच्च एल्बिडो (परावर्तन):** हीरे में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की एक उल्लेखनीय क्षमता होती है, जो उन्हें सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाती है।
- **स्थायित्व:** हीरे के कणों की मजबूत प्रकृति उन्हें विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों का सामना करने की अनुमति देती है।
- **कम विषैले:** रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण, हीरे पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हैं, जो पारंपरिक रूप से SRM के लिए मानी जाने वाली अन्य सामग्रियों के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

जियोइंजीनियरिंग:

- जियोइंजीनियरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का मुकाबला करना है। इसमें दो मुख्य रणनीतियाँ शामिल हैं:
  - » **सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management - SRM):** यह रणनीति वैश्विक तापमान को कम करने के लिए पृथ्वी से दूर सौर विकिरण को परावर्तित करने पर केंद्रित है।
  - » **कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon Dioxide Removal - CDR):** यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को

हटाने का प्रयास करता है।

सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management - SRM):

- सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकने के लिए वायुमंडल या अंतरिक्ष में परावर्तक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह अवधारणा प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, 1991 में माउंट पिनातुबो के विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलने से ऐसे कण बने, जिन्होंने सूर्य की रोशनी को परावर्तित किया। इससे वैश्विक तापमान में अस्थायी रूप से 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई।

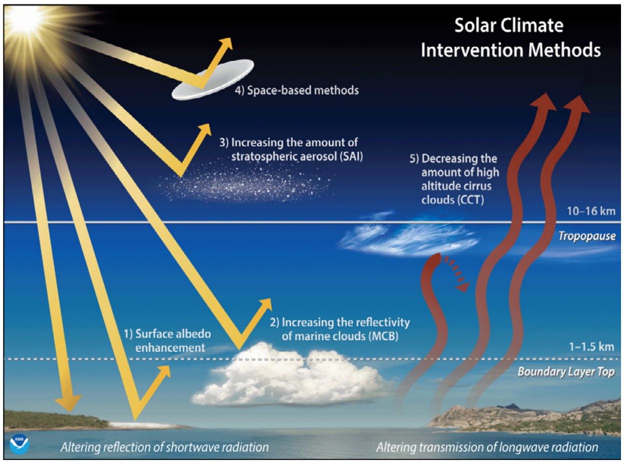

डायमंड डस्ट बनाम अन्य SRM सामग्री:

- ऐतिहासिक रूप से, सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) के लिए सल्फर, कैल्शियम, और सोडियम क्लोराइड जैसी विभिन्न सामग्रियों पर विचार किया गया है। प्रत्येक सामग्री के अपने विशेष लाभ और सीमाएँ होती हैं। हालांकि, हीरे अपने अद्वितीय परावर्तक गुणों के कारण इन सामग्रियों से भिन्न हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि हीरे का चूर्ण सौर विकिरण के प्रबंधन के लिए एक अधिक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर सकता है।

कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीकें:

- विभिन्न तकनीके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकती हैं:
  - **कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन (Carbon Capture and Sequestration - CCS):** औद्योगिक स्रोतों से CO2 उत्सर्जन को कैप्चर करता है और उन्हें भूमिगत संग्रहीत करता है।
  - **कार्बन कैप्चर और उपयोग (Carbon Capture and Utilization - CCU):** औद्योगिक प्रक्रियाओं में कैप्चर की गई CO2 का उपयोग करता है।
  - **डायरेक्ट एयर कैप्चर (Direct Air Capture -DAC):** परिवेशी वायु से सीधे CO2 निकालता है।
- जबकि ये तकनीकें वायुमंडलीय CO2 के स्तर को कम करने में भूमिका निभा सकती हैं, वे मापनीयता और लागत-प्रभावशीलता के संबंध में चुनौतियों का सामना करती हैं।

कार्बन कैप्चर तकनीकों के साथ चुनौतियाँ:

- जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन (CCS) पर अत्यधिक निर्भर रहना अव्यावहारिक और महंगा साबित हो सकता है। अनुमान हैं कि जलवायु लक्ष्यों को मुख्य रूप से CCS के माध्यम से पूरा करने की लागत 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है, जिससे अक्षय ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के लिए सुरक्षित भंडारण स्थलों की खोज में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं, जैसे कि भंडारण स्थलों की उपलब्धता और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

भारत में साइबर धोखाधड़ी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत को साइबर अपराध के कारण अगले वर्ष 1.2 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आंकड़ा देश में साइबर अपराध की गतिविधियों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और भेद्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह संभावना है कि यह आर्थिक क्षति भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.7% हिस्सा प्रभावित कर सकती हैं।

धोखाधड़ी नेटवर्क में वृद्धि:

- दक्षिण पूर्व एशिया में धोखाधड़ी नेटवर्क का उदय, जोकि कॉल सेंटर की भांति कार्य करते है, घोटालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इन स्थानों से काम करने वाले लोग पूरे देश में अनजान पीड़ितों को ठगने के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का सहारा लेते हैं।

साइबर धोखाधड़ी में प्रमुख योगदानकर्ता:

- साइबर धोखाधड़ी में एक महत्वपूर्ण कारक फर्जी बैंक खातों का प्रसार है, जिनका उपयोग अक्सर अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि साइबर धोखाधड़ी में खोए गए अधिकांश धन को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें से कई फ्रॉड चीन, कंबोडिया

और म्यांमार की संस्थाओं से जुड़े हैं।

धोखाधड़ी के चिंताजनक आँकड़े:

- जांच एजेंसियाँ प्रतिदिन लगभग 4,000 फर्जी बैंक खातों (Mule Accounts) की पहचान कर रही हैं। इस वर्ष की पहली छमाही में, गृह मंत्रालय के साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज साइबर अपराध शिकायतों में कुल 11,269 करोड़ के नुकसान की सूचना मिली है।
- यह आंकड़ा साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

एटीएम और वैश्विक धोखाधड़ी:

- इसके अतिरिक्त, देश भर में 18 एटीएम हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जहाँ धोखाधड़ी से निकासी हुई है। दुबई, हांगकांग, बैंकॉक और रूस जैसे स्थानों पर विदेशी एटीएम से नकदी निकाले जाने की भी रिपोर्ट मिली है, जिससे साइबर अपराध से निपटने के प्रयास और जटिल हो गए हैं।

साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारत की पहल:

- भारत ने लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने और 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करके साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम उन कनेक्शनों के खिलाफ है, जोकि जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे या जिनका साइबर अपराध के लिए दुरुपयोग किया गया।
- केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की अगुवाई में इस पहल का उद्देश्य साइबर शिकायतों में वृद्धि को संबोधित करना है, जिसमें जनवरी 2023 से अब तक 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

लागू किए गए प्रमुख उपाय:

- **सिम कार्ड के लिए केवाईसी प्रोटोकॉल:** दूरसंचार विभाग (DoT) ने दुरुपयोग को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीद के लिए सख्त 'नो योर कस्टमर' (KYC) प्रोटोकॉल लागू किए हैं।
- **नकली कॉल को ब्लॉक करना:** DoT ने भारतीय मोबाइल नंबर दिखाने वाली इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉल को ब्लॉक करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में, ऐसी 35% कॉल पहले से ही ब्लॉक की जा रही हैं और इसका पूर्ण कार्यान्वयन 31 दिसंबर, 2024 तक होने की अपेक्षा है।
- **साप्ताहिक रिपोर्टिंग:** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में रोमिंग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- **एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को पॉइंट-ऑफ-सेल एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है, जो सिम कार्ड बेचते हैं और जिनका उपयोग बाद में दक्षिण-पूर्व एशिया में घोटाले के संचालन में किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इस पहल में साइबर अपराधों से निपटने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संयुक्त प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग करने के उपाय शामिल हैं।

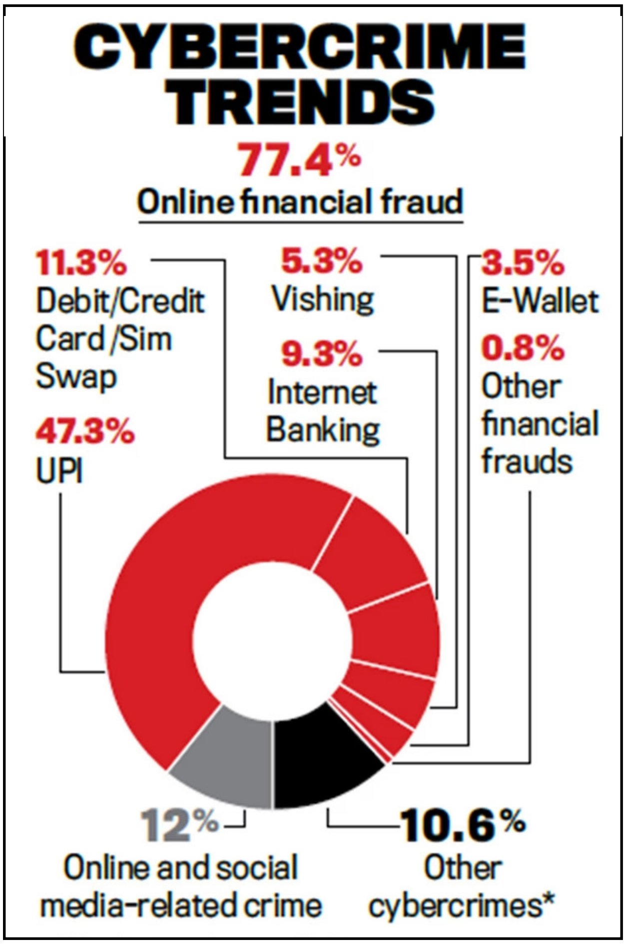

भविष्य की योजनाएँ:

गृह मंत्रालय (MHA) फर्जी खातों (Mule Accounts) के संचालन को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है। बैंकों को असामान्य लेनदेन की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, विशेषकर उन खातों में जिनमें कम शेष राशि है या जो वेतनभोगी व्यक्तियों के हैं।

5 आर्थिक मुद्दे

उड़ान योजनाः हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास में बढ़ोत्तरी

संदर्भः

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), रीवा (मध्य प्रदेश) और अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) में तीन नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है, विशेषकर दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया और ये हवाई अड्डे जल्द ही उड़ान योजना के तहत परिचालन प्रारंभ करेंगे, जिसने देश भर के कई वंचित और सीमित सेवा वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ा है।

उड़ान योजनाः एक संक्षिप्त अवलोकन

- क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)- उड़ान को 21 अक्टूबर, 2016 को राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (एनसीएपी) 2016 के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लॉन्च किया गया था। उड़ान को आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हवाई सेवाएं सीमित हैं या मौजूद नहीं हैं।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाना और इसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 'लोगों को हवाई जहाज में चढ़ते हुए चप्पल पहने हुए देखना' के दृष्टिकोण से जुड़ा है।
- अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, उड़ान योजना ने काफी प्रगति की है। 27 अप्रैल, 2017 को पहली उड़ान शिमला से दिल्ली को जोड़ते हुए शुरू हुई थी और तब से अब तक 144 लाख (14.4 मिलियन) से ज्यादा यात्री इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। आज तक, 601 से ज्यादा रूट चालू हो चुके हैं और 86 एयरोड्रोम (हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम सहित) चालू हो चुके हैं, जो भारत के सबसे दूरदराज के इलाकों को भी जोड़ते हैं।

उड़ान योजना का विकासः विभिन्न चरण और संस्करण

उड़ान योजना अपनी शुरुआत से लेकर अब तक विकास के कई चरणों से गुजर चुकी हैः

- **उड़ान 1.0 (2017):** पहले चरण में, पांच एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 128 उड़ान मार्ग आवंटित किए गए, जिनमें 36 नए परिचालन वाले हवाई अड्डे भी शामिल हैं।
- **उड़ान 2.0 (2018):** इस चरण में 73 सीमित सेवा वाले और सीमित सेवा वाले हवाई अड्डों को शामिल किया गया और पहली बार हेलीपैड को जोड़ा गया।

- **उड़ान 3.0 (2019):** इस चरण में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्ग शुरू किए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार किया गया। इसमें जल हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी के लिए सीप्लेन भी शामिल किए गए।
- **उड़ान 4.0 (2020):** पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हेलीकॉप्टर और सीप्लेन परिचालन का और विस्तार किया गया।
- **उड़ान 5.0 (2023):** नवीनतम चरण, उड़ान 5.0 ने 600 किलोमीटर की उड़ान दूरी की सीमा के पहले के प्रतिबंध को हटा दिया। इसने उन मार्गों को प्राथमिकता दी जिन्हें जल्दी से चालू किया जा सकता था, जिसमें एयरलाइनों को मार्ग पुरस्कार प्राप्त करने के चार महीने के भीतर परिचालन शुरू करना आवश्यक था।
- इसके अतिरिक्त, उड़ान 5.1 को हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जबकि उड़ान 5.2 को छोटे विमानों के संचालन के लिए लक्षित किया गया है। उड़ान 5.3 और 5.4 के मौजूदा संस्करण बंद हो चुके मार्गों को फिर से चालू करने और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

योजना का महत्व:

उड़ान योजना (UDAN) देश का आम नागरिक) भारत के विमानन क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

- **क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना:** यह योजना दूरदराज के क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क में कमी को दूर करती है। छोटे हवाई अड्डों को चालू कर और नए मार्ग स्थापित कर, यह योजना तेजू (अरुणाचल प्रदेश), दरभंगा (बिहार) और झारसुगुड़ा (ओडिशा) जैसे क्षेत्रों को प्रमुख शहरों के करीब लाती है, जिससे सेवाओं और बाजारों तक पहुंच में वृद्धि होती है।
- **आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन:** इससे नए हवाई अड्डों के विकास से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है, जोकि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान करता है। इन हवाई अड्डों के निर्माण और रखरखाव से विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार और आतिथ्य, पर्यटन तथा स्थानीय वाणिज्य में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** उड़ान योजना ने पर्यटन को विशेष रूप से कम पहुंच वाले क्षेत्रों में बढ़ावा दिया है। उड़ान 3.0 के अंतर्गत नए मार्ग खजुराहो और अमृतसर जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थलों को जोड़ते हैं, और उत्तर-पूर्व तक पहुंच में सुधार करते हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। पासीघाट, जीरो और होलोंगी में हवाई अड्डे इस पहल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
- **उभरती हुई एयरलाइनों के लिए सहायता:** यह योजना फ्लाईबिग और स्टार एयर जैसी नई एयरलाइनों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इन क्षेत्रीय एयरलाइनों को सरकार के समर्थन से लाभ मिलता है, जिसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ), विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर कम कर और लैंडिंग एवं पार्किंग शुल्क में छूट शामिल हैं।
- **पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव:** आरसीएस-उड़ान क्षेत्रीय उड़ानों को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये उड़ानें छोटी होती हैं और कम ईंधन का उपभोग करती हैं। यह योजना हवाई यात्रा की व्यापकता को भी बढ़ाती है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के विमानन क्षेत्र में समावेशिता के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

विमानन उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा:

उड़ान योजना ने भारतीय विमानन परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया है और नागरिक विमानन उद्योग को पुनर्जीवित किया है।

- **परिचालन मार्ग:** हेलीकॉप्टर मार्गों सहित लगभग 601 मार्ग चालू किए गए हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से लगभग 28% मार्ग दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण इलाकों में पहुंच में सुधार होता है।
- **नई एयरलाइंस:** फ्लाईबिग, स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई91 जैसी क्षेत्रीय एयरलाइनों के उदय में आरसीएस-उड़ान योजना महत्वपूर्ण रही है। इन वाहकों ने टिकाऊ व्यवसाय मॉडल विकसित किए हैं, जोकि क्षेत्रीय हवाई यात्रा के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं।
- **विमानों की मांग:** इस योजना के विस्तार ने सभी आकारों के नए विमानों की बढ़ती मांग को जन्म दिया है। आरसीएस मार्गों पर सेवा देने वाले बेड़े में एयरबस A320/A321, बोइंग 737, एटीआर 42 और 72, डीएचसी क्यू400, ट्विन ओटर, एम्ब्रेयर

145 और 175, टेकनम पी2006टी, सेसना 208बी ग्रैंड कारवां ईएक्स, डोर्नियर 228, एयरबस एच130 और बेल 407 जैसे विभिन्न विमान शामिल हैं। भारतीय वाहकों ने अगले 10-15 वर्षों में डिलीवरी के लिए 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर भी दिए हैं, जिससे लगभग 800 विमानों के मौजूदा बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- **हवाई अड्डों की वृद्धि:** परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 350-400 तक पहुंचना है। कुल 86 हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं, जिनमें 71 हवाई अड्डे, 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसने 2.8 लाख से अधिक उड़ानों में 1.44 करोड़ से अधिक यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया है।
- **परिचालन उपलब्धियां:** फिक्स्ड-विंग ऑपरेशनों ने लगभग 112 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है, जो पृथ्वी का लगभग 28,000 बार चक्कर लगाने के बराबर है।

निष्कर्ष:

उड़ान योजना हर भारतीय को उड़ान भरने का अवसर देकर सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाकर और किफायती यात्रा सुनिश्चित करके, उड़ान ने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है, साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। जैसे-जैसे यह योजना विकसित होती जा रही है, यह भारत के विमानन परिदृश्य को नया आकार देने का वादा करती है, जिससे आकाश सभी के लिए सुलभ हो जाएगा। वंचित क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, उड़ान भारतीय विमानन में एक परिवर्तनकारी शक्ति है, जो भारत के एक जुड़े हुए और समृद्ध राष्ट्र के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत

संदर्भ:

हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2024 के 8वें संस्करण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्टफोन विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2014 में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयों से बढ़कर आज 200 से अधिक इकाइयों तक की वृद्धि का उल्लेख किया। यह परिवर्तन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य बिंदु:

- **स्मार्टफोन विनिर्माण वृद्धि:**
  - » 2014 में भारत मोबाइल फोन के आयात पर अत्यधिक निर्भर था, लेकिन आज देश पहले की तुलना में छह गुना अधिक फोन का उत्पादन करता है।
  - » यह वृद्धि 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों से प्रेरित है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बनाए गए थे।
- **वैश्विक कंपनियों के आकर्षण में वृद्धि:**
  - » भारत अब एक प्रमुख मोबाइल फोन निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्तमान में, 14% आईफोन भारत में निर्मित होते हैं, और एप्पल तथा गूगल जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां देश में अपने उत्पादन की उपस्थिति बढ़ा रही हैं।
  - » भू-राजनीतिक कारकों के कारण, जब कंपनियां अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, तब भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक प्रमुख स्थान बन रहा है।
- **भविष्य के लक्ष्य:**
  - » प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पूरी तरह से निर्मित मोबाइल फोन के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने की योजना की घोषणा की है। इसमें स्थानीय स्तर पर चिप्स के निर्माण के लिए एक मजबूत घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।
  - » भारत सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीक वाले घटकों में भी अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है, जिससे न केवल देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- **सेमीकंडक्टर क्षेत्र की वृद्धि:**
  - » यद्यपि भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण अभी भी प्रारंभिक चरण में है, सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को वर्तमान 155 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  - » वर्तमान में ताइवान विश्व का सबसे बड़ा चिप निर्माता बना हुआ है, भारत अपने सेमीकंडक्टर विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग चाहता है।

प्रोत्साहन उपाय:

- भारत की मोबाइल विनिर्माण सफलता का श्रेय सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सहायता उपायों को दिया जा सकता है:
  - » उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और टैरिफ प्रोत्साहनों ने घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।
  - » इन पहलों ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, निर्यात को बढ़ावा दिया है और उच्च तकनीक उत्पादन में देश की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

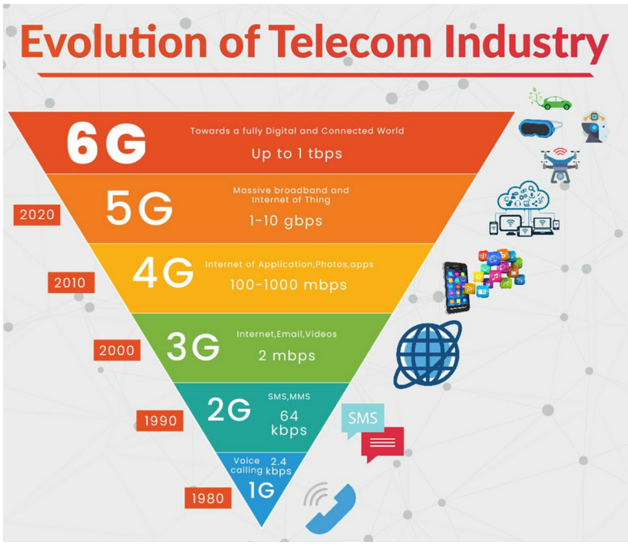

दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक:

- **डिजिटल इंडिया पहल:** 2015 में शुरू की गई इस सरकारी पहल का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है, जिससे इंटरनेट सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतनेट जैसी परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि के साथ, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2023 में 881 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 तक 954 मिलियन हो गई।
- **किफायती स्मार्टफोन का प्रवेश:** कम लागत वाले स्मार्टफोनों का उदय भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2023 में 146 मिलियन डिवाइसों की आपूर्ति ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही गूगल की एंड्रॉइड वन जैसी पहलों और स्थानीय विनिर्माण के समर्थन ने ग्राहक आधार का विस्तार करने में सहायक सिद्ध हुआ है, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में।
- **5G क्रांति:** अक्टूबर 2022 में शुरू की गई 5G सेवाओं की शुरुआत ने दूरसंचार परिदृश्य को बदल दिया है। दिसंबर 2023 तक, 5G 738 जिलों में लगभग 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच गया, जिससे स्मार्ट शहरों में नए अवसर खुल गए। अनुमान है कि 2025 तक भारत में 920 मिलियन अद्वितीय मोबाइल ग्राहक होंगे।
- **डिजिटल भुगतान में वृद्धि:** डिजिटल भुगतान की ओर बदलाव ने दूरसंचार विकास को गति दी है, वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8.375 बिलियन हो गया है। दूरसंचार कंपनियाँ वित्तीय सेवाओं के लिए विशेष डेटा प्लान पेश करके इस प्रवृत्ति का लाभ उठा रही हैं।
- **ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कंटेंट बूम:** ओटीटी प्लेटफॉर्म के विकास से डेटा खपत में उछाल आया है। अगले दशक में भारतीय ओटीटी स्ट्रीमिंग उद्योग के 13-15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए ओटीटी सब्सक्रिप्शन को बंडल कर रहे हैं।
- **रिमोट वर्क और शिक्षा:** महामारी ने रिमोट वर्क और ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने में तेजी ला दी, जिसके परिणामस्वरूप डेटा खपत में 30-40% की वृद्धि हुई। दूरसंचार कंपनियों ने नेटवर्क क्षमताओं को उन्नत किया और हाई-स्पीड इंटरनेट की इस निरंतर मांग को पूरा करने के लिए विशेष योजनाएँ पेश कीं।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्त की कमी:** दूरसंचार उद्योग भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। उच्च स्पेक्ट्रम लागत, तीव्र प्रतिस्पर्धा और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश इस वित्तीय तनाव में योगदान कर रहे हैं। विशेष रूप से, वोडाफोन आइडिया पर 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो पूंजीगत व्यय में बाधा डाल रहा है और 5G रोलआउट में देरी का कारण बन रहा है।
- **एजीआर विवाद:** सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को विस्तार देते हुए इसमें गैर-दूरसंचार राजस्व को भी शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार कंपनियों पर कुल 1.69 लाख करोड़ रुपये की देनदारी हो गई। सरकारी स्थगन और बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के विकल्पों के बावजूद, यह वित्तीय बोझ ऑपरेटरों की बैलेंस शीट पर दबाव डालता है।
- **बुनियादी ढांचे का अंतराल:** दूरसंचार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण विभाजन है। मार्च 2023 तक शहरी दूरसंचार घनत्व 133.81% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 57.71% है। कठिन भूभाग और असंगत बिजली आपूर्ति जैसी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार और गुणवत्ता में बाधा डालती हैं।
- **स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण:** स्पेक्ट्रम की ऊँची कीमतें ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं। सरकार ने 2022 की 5G

स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.5 लाख करोड़ जुटाए, लेकिन ऑपरेटरों का तर्क है कि ये लागत नेटवर्क विस्तार और गुणवत्ता सुधार में बाधा डालती हैं, जिससे प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी हो जाती है।

- **सेवा की गुणवत्ता:** उच्च कॉल ड्रॉप दर और कम कनेक्शन सफलता दर जैसी सेवा की गुणवत्ता की समस्याएँ ग्राहक असंतोष और बढ़ती हुई ग्राहकी को जन्म देती हैं, जो राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- **साइबर सुरक्षा खतरें:** भारत के डिजिटल परिदृश्य के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा खतरों में वृद्धि हुई है। 2022 में 1.39 मिलियन से अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं। दूरसंचार नेटवर्क हमलों के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है और ग्राहकों का विश्वास कम होता है।
- **विनियामक चुनौतियाँ:** यह क्षेत्र जटिल विनियामक वातावरण से जूझ रहा है, जिसमें लगातार नीतिगत परिवर्तन और परिचालन अनिश्चितताएँ शामिल हैं। ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं की अनसुलझी परिभाषा और उनके विनियामक दायित्व दीर्घकालिक योजना और निवेश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।

सरकारी पहल और सिफारिशें:

- सरकार ने इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) और भारत नेट परियोजना शामिल हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 दूरसंचार क्षेत्र में इष्टतम स्पेक्ट्रम उपयोग और बेहतर प्रशासन पर केंद्रित है।
- भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है:
  - **स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना:** दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक संतुलित मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू करना।
  - **बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए प्रोत्साहन:** कर छूट और साझा करने योग्य परिसंपत्तियों के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से सक्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने को प्रोत्साहित करना।
  - **ग्रामीण संपर्क निधि:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समर्पित निधि की स्थापना करना।
  - **नवाचार के लिए विनियामक तंत्र:** दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नवीन सेवाओं का परीक्षण करने हेतु एक लचीला ढांचा तैयार करना।
  - **कौशल विकास पहल:** 5G और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा अंतराल को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करना।
  - **हरित दूरसंचार नीति:** क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत का दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, जहाँ इसे वित्तीय चुनौतियों, जटिल विनियामक ढाँचे और बुनियादी ढाँचे की कमियों से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना, बुनियादी ढाँचे के साझा उपयोग को प्रोत्साहित करना और नवाचार को आगे बढ़ाना जैसे उपाय इस क्षेत्र की संपूर्ण क्षमता को अनलॉक करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार अधिनियम 2023 जैसी सरकारी पहलों, जो स्थिरता और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि यह क्षेत्र भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में प्रभावी रूप से योगदान दे सके।

संक्षिप्त मुद्दे

एफ एंड ओ ट्रेडिंग पर सेबी के नए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग के लिए छह नए नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य अनुबंध बाजार को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

नियमों में बदलाव का कारण:

- पिछले कुछ वर्ष से फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग की गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसमे अधिकांश निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए, SEBI ने नए नियम लागू कर सट्टेबाजी पर नियंत्रण और निवेशकों के नुकसान को सीमित करने का प्रयास किया है।

SEBI द्वारा लागू किए गए प्रमुख उपाय:

- **कॉन्ट्रैक्ट साइज में वृद्धि:** खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव्स बाजार में भाग लेने से हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट

साइज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

- **उच्च मार्जिन आवश्यकताएँ:** सट्टेबाजी से बचाने के लिए मार्जिन की राशि बढ़ाई गई है।
- **प्रीमियम का अग्रिम भुगतान:** ऑप्शन खरीदारों को अब प्रीमियम पहले ही देना होगा, जिससे अनावश्यक इंट्राडे लीवरेज को रोका जा सके।
- **साप्ताहिक एक्सपायरी पर सीमा:** सभी एक्सचेंजों पर साप्ताहिक एक्सपायरी को एक सीमा तक सीमित कर दिया गया है।
- **इंट्राडे स्थिति सीमा की निगरानी:** अब स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे के दौरान इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स की स्थिति की निगरानी करेंगे, जिससे बाजार में हेरफेर को रोका जा सके।
- **कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन समाप्त:** एक्सपायरी के दिनों में सट्टेबाजी कम करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन लाभ हटाया गया है।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में:

- **फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट:** यह एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें खरीदार और विक्रेता पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी परिसंपत्ति को भविष्य की एक निश्चित तिथि पर खरीदने या बेचने का वचन देते हैं।
- **बाध्यता:** खरीदार को परिसंपत्ति को खरीदना और विक्रेता को परिसंपत्ति को बेचने का दायित्व होता है, चाहे एक्सपायरी तिथि पर मौजूदा बाजार मूल्य कुछ भी हो।
- **ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट:** ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक निवेशक को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित भविष्य की तारीख पर वस्तु को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं होती।
- फ्यूचर्स के विपरीत, ऑप्शंस में लेन-देन को निष्पादित करने का अनिवार्य दायित्व नहीं होता, निवेशक ऑप्शन का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है।

SEBI के बारे में:

- **SEBI की स्थापना:** SEBI की स्थापना 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में हुई और 1992 में भारतीय संसद द्वारा SEBI अधिनियम पारित होने के बाद इसे सांविधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई।

संगठनात्मक संरचना%

- **अध्यक्ष:** भारत सरकार द्वारा नामित
- **सदस्य:**
    - दो सदस्य (भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से)
    - एक सदस्य (भारतीय रिजर्व बैंक से)
    - पाँच सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामित,इनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए)
- **मुख्यालय:** मुंबई
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं को तर्कसंगत बनाने को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- दो प्रमुख योजनाओं को तर्कसंगत बनाया गया है: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को सुव्यवस्थित करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
- दोनों योजनाएं 1,01,321.61 करोड़ रूपये के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ लागू की जाएंगी और राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी। नई संरचना का उद्देश्य विभिन्न घटकों में कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
- 1,01,321.61 करोड़ रूपये के कुल अनुमानित व्यय में से, निधि का आवंटन इस प्रकार किया गया है:
    - केंद्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DA-FW) का हिस्सा: 69,088.98 करोड़
    - राज्य का हिस्सा: 32,232.63 करोड़

नई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं:

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई):

- **फोकस:** सतत कृषि और कृषक कल्याण को बढ़ाना।
- **संरचना:** राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलेपन और अनुकूलन की अनुमति देने वाली कैफेटेरिया योजना।
- **वित्तीय आवंटन:** अनुमानित व्यय 57,074.72 करोड़।

पीएम-आरकेवीवाई के घटक:

- पीएम-आरकेवीवाई में कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शामिल होंगी, जिनमें शामिल हैं:
    - मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
    - वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
    - कृषि वानिकी
    - परम्परागत कृषि विकास योजना

» कृषि मशीनीकरण (फसल अवशेष प्रबंधन सहित)
» प्रति बूंद अधिक फसल
» फसल विविधीकरण कार्यक्रम
» आरकेवीवाई डीपीआर घटक
» कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि

कृषोन्नति योजना (केवाई):

- **फोकस:** खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना और कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय आवंटन:** 44,246.89 करोड़ का अनुमानित व्यय।

योजनाओं के युक्तिकरण का उद्देश्य कई उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

- **दोहराव से बचना:** पहलों में अतिरेक से बचने के लिए प्रयासों और संसाधनों का अभिसरण सुनिश्चित करना।
- **उभरती चुनौतियों का समाधान:** पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **समग्र रणनीतिक योजना:** राज्यों को फसल उत्पादन, उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अपने कृषि क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने की अनुमति देता है।
- **सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया:** राज्यों को व्यक्तिगत योजना-वार योजनाओं के बजाय एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देकर वार्षिक कार्य योजना (एएपी) अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
- पीएम-आरकेवीवाई में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन का पुनर्वितरण कर सकती हैं।

भारत विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर पार पहुँचने वाला चौथा देश बना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार में 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे भारत चीन, जापान और स्विटजरलैंड जैसे देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार यह ऐतिहासिक उपलब्धि 27 सितंबर, 2024 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान दर्ज की गई है।

- 27 सितंबर, 2024 को आखिरी सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 12.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि जुलाई 2023 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है। इस वृद्धि के साथ, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 705 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जो देश की भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा वृद्धि में योगदान देने वाले कारक:

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे कई कारक हैं, जिनमें स्थिर वैश्विक तेल की कीमतें और भारतीय शेयरों एवं बॉन्ड में मजबूत पूंजी प्रवाह प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश, व्यापार संतुलन और प्रेषणों के कारण भारत के भुगतान संतुलन अधिशेष ने भी भंडार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इससे पूर्व, पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $2.8 बिलियन की वृद्धि के साथ $692.3 बिलियन पर पहुंचा था, जिसके बाद यह $700 बिलियन के स्तर को पार कर गया।

विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व:

- **आर्थिक झटकों के विरुद्ध सुरक्षा कवच:** विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे मुद्रा अस्थिरता, अचानक पूंजी बहिर्वाह और व्यापार असंतुलन जैसे बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करते हैं।
- **साख वृद्धि:** भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा

विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होता है, जिससे देश की साख वैश्विक स्तर पर मजबूत होती है।

- **भारतीय रुपये की स्थिरता:** विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे अत्यधिक अस्थिरता के दौरान रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके।
- हाल के महीनों में जब रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.98 के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया था, तब आरबीआई ने रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया।

आगे की चुनौतियाँ:

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। सितंबर 2021 में 642 बिलियन डॉलर के शिखर पर पहुँचने के बाद, एक साल के भीतर भंडार गिरकर 525 बिलियन डॉलर पर आ गया, जिसका मुख्य कारण पुनर्मूल्यांकन घाटा (मूल्य में गिरावट का नुकसान) था।
- रुपये की अस्थिरता को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का हस्तक्षेप और उन्नत देशों में ब्याज दरों की बढ़ोतरी जैसे बाहरी कारणों ने कभी-कभी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाला है।
- इसके अतिरिक्त, आरबीआई का मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप यह सुनिश्चित नहीं करता कि रुपया सदैव मजबूत बना रहेगा, जैसा कि रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तरों के आसपास होने से स्पष्ट होता है।
- एक महत्वपूर्ण चिंता रिजर्व में मंदी की संभावना है। बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के अनुसार, यदि भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष सालाना 40-50 बिलियन डॉलर के सुरक्षित स्तर पर बना रहता है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 तक 745 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, व्यापार संतुलन को संतुलित करना और बाहरी जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करना आवश्यक होगा।

आरबीआई ने रेपो दर स्थिर रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता बताते हुए लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 'तटस्थ' मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण पर बल दिया तथा तटस्थ मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति के नियंत्रण और आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमुख अनुमान:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दर 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमानों के अनुरूप है। अनुकूल कृषि उत्पादन के परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है, हालांकि मौसम संबंधी जोखिम अभी भी विद्यमान हैं।
- समिति ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और कुछ एनबीएफसी की अतिसक्रिय विकास रणनीतियों और उच्च ब्याज दरों के प्रति चिंता व्यक्त भी की।
- उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पूर्व-भुगतान दंड पर प्रतिबंधों को व्यापक बनाने और एनईएफटी तथा आरटीजीएस लेनदेन में खाता सत्यापन को बढ़ाने की योजना बनाई है।
- आरबीआई के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में बढ़ोतरी से बाहरी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी होंगी।

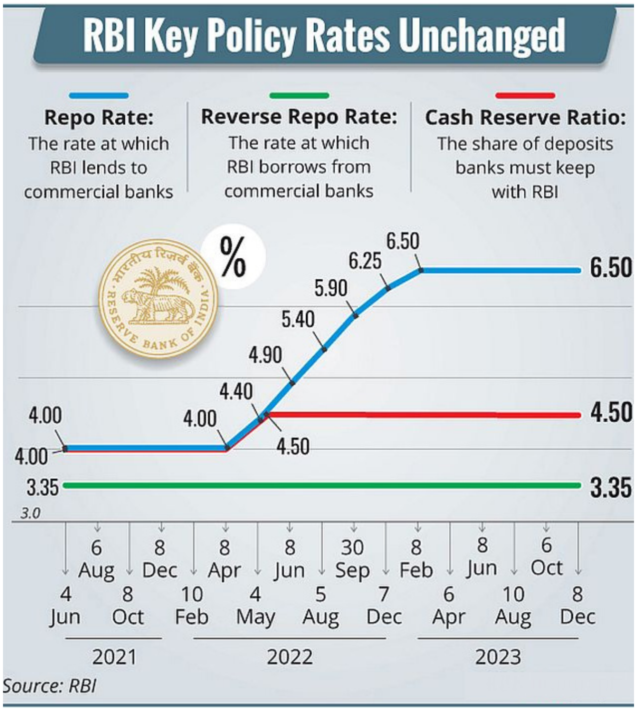

आरबीआई के तटस्थ रुख के निहितार्थ:

- **ब्याज दर समायोजन:** तटस्थ स्थिति ब्याज दर में कटौती की संभावना को अनुमति देती है, बशर्ते मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे और आर्थिक विकास स्थिर बने। इससे निवेश और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिल सकता है।
- **मुद्रास्फीति प्रबंधन:** आरबीआई का फोकस मुद्रास्फीति की

प्रवृत्तियों पर हैं। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा। इससे आर्थिक संतुलन और उपभोक्ता विश्वास सुरक्षित रहेगा।

- **आर्थिक विकास को समर्थन देना:** आरबीआई विकास को प्रोत्साहित करने के साथ, मुद्रास्फीति को निर्धारित स्तर में रखने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।
- **बाजार स्थिरता:** एक तटस्थ रुख ब्याज दरों के बारे में अपेक्षाओं को संतुलित करता हैं, जिससे वित्तीय बाजारों में विश्वास बढ़ता है। यह स्थिरता बाजार की अस्थिरता को कम करने और निवेशकों के विश्वास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है।

मूल्य स्थिरता में आरबीआई की भूमिका:

- केंद्रीय बैंक की प्रमुख जिम्मेदारी मूल्य स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति की दर एक विशेष अवधि में मूल्य स्तरों में वृद्धि को दर्शाती है।
- विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति के लक्ष्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका का लक्ष्य 2% है, जबकि भारत में, मुद्रास्फीति के लिए 2% से 6% के बीच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 4% का लक्ष्य अनिवार्य है। ये मानक सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श मुद्रास्फीति दर के रूप में स्थापित किए गए हैं, जो आर्थिक अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित हैं।

मौद्रिक नीति के बारे में:

- **मौद्रिक नीति मुख्यत:** अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों से जुड़ी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हर दो महीने में मौद्रिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए बैठक करती है, जिसमें मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु रेपो दर (वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है) को समायोजित कर सकती है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) एक छह सदस्यीय निकाय है, जिसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का निर्धारण करना है।
- इसमें आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होते हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं यदि मत बराबर हो जाते हैं, तो आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत प्रदान करते हैं।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाबार्ड ने दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2021-22) के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। यह सर्वेक्षण 100,000 ग्रामीण परिवारों के डेटा पर आधारित है और कोविड-19 के बाद की अवधि में विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों का विश्लेषण करता है। पहले सर्वेक्षण का आयोजन कृषि वर्ष 2016-17 में किया गया था और नवीनतम परिणाम पिछले पाँच वर्षों में ग्रामीण आर्थिक स्थितियों के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

एनएएफआईएस 2021-22 के प्रमुख निष्कर्ष:

- **औसत मासिक आय में वृद्धि:** 2021-22 में औसत मासिक आय 57.6% की वृद्धि के साथ 8,059 से बढ़कर 12,698 हो गई। इस दौरान कृषि परिवारों की औसत आय 13,661 रही , जबकि गैर-कृषि परिवारों की औसत आय 11,438 रही।
- **औसत मासिक व्यय में वृद्धि:** इस अवधि में औसत मासिक व्यय 6,646 से बढ़कर 11,262 हो गया है। कृषक परिवारों ने औसतन 11,710 और गैर-कृषि परिवारों ने 10,675 का खर्च किया।
- **वित्तीय बचत में वृद्धि:** वार्षिक औसत वित्तीय बचत 9,104 से बढ़कर 13,209 हो गई। बचत की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत 50.6% से बढ़कर 66% हो गया। कृषि परिवारों में से 71% ने अपनी वित्तीय बचत कर की।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** 44% कृषि परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है।
- **बीमा कवरेज:** कम से कम एक बीमित सदस्य वाले परिवारों की संख्या 25.5% से बढ़कर 80.3% हो गई है। वाहन बीमा सबसे सामान्य प्रकार का बीमा है, जो 55% परिवारों को कवर करता है।
- **पेंशन कवरेज:** उन परिवारों का प्रतिशत, जिनके सदस्यों को किसी न किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त होती है, 18.9% से बढ़कर 23.5% हो गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों वाले परिवारों में से 54% को पेंशन मिलती है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां 51.3% लोगों ने अच्छी वित्तीय समझ प्रदर्शित की है, जो कि पहले 33.9% थी। इसके साथ ही वित्तीय व्यवहार भी 56.4% से बढ़कर 72.8% हो गया है।

नाबार्ड के बारे में:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नाबार्ड ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों की

आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नाबार्ड के कार्यः

- **पुनर्वित्त सहायताः** ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना।
- **ऋण योजनाः** ग्रामीण वित्तपोषण लक्ष्यों की प्राप्ति में बैंकों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए जिला स्तरीय ऋण योजनाओं का निर्माण करना।
- **विकास योजना का डिजाइनः** केंद्र सरकार के लिए विकास योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल होना।
- **कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और सहायताः** हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके उत्पादों के विपणन के लिए मंच विकसित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियांः** ग्रामीण विकास और कृषि अनुकूलन के लिए वैश्विक संगठनों और विश्व बैंक से संबद्ध संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- **सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षणः** सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पर्यवेक्षण करना और उन्हें बैंकिंग पद्धतियां विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उभरते रोजगार बाजार के लिए भारतीय युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है। यह पहल कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना की शुरुआत एक पायलट परियोजना के रूप में हुई है, जोकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप को लक्षित करती है। इसमें तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, ऑटोमोटिव, और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं सहित कुल 24 क्षेत्र शामिल हैं।
- इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिभागियों को ऐसे संगठनों में रखा जाए, जो नैतिक प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षुता और छात्र प्रशिक्षण पहलों से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का प्रमुख ध्यान इंटर्नशिप पर है, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मूल्यवान अनुभव प्रदान करना है जो उनकी रोजगार क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।

वित्तीय सहायताः

- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को उनकी इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रुपये का मासिक वजीफा प्राप्त होगा, जिसकी संरचना निम्नलिखित हैः

योगदान का विवरणः

- उपस्थिति और आचरण के आधार पर साझेदार कंपनियों द्वारा 500 रूपए का योगदान किया जाएगा।
- शेष 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे।

अतिरिक्त अनुदानः

- इंटर्नशिप में शामिल होने पर प्रशिक्षुओं को डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा।

बीमा कवरेजः

- सभी प्रशिक्षुओं को सरकार की बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगाः
  - » प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - » प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- सरकार इन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान करेगी। साझेदार कंपनियाँ अपने प्रशिक्षुओं के लिए अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती हैं।

पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वयनः

- यह योजना एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण इंटर्नशिप का प्रबंधन करती है। यह प्लेटफॉर्म योग्य उम्मीदवारों को रिज्यूमे बनाने, इंटर्नशिप ब्राउज

करने और अपने पसंदीदा क्षेत्रों में पदों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। योजना में विविधता और सामाजिक समावेशिता पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिनसन को राष्ट्रों के बीच समृद्धि में असमानताओं पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने यह स्पष्ट किया है कि इन विद्वानों ने देशों की आर्थिक सफलता में सामाजिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित कर देशों की सामाजिक और आर्थिक दशा को समझने में मदद की।

- यह शोध अर्थव्यवस्थाओं में नियमों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समान विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में देशों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने में मदद करता है।
- 1968 में, स्वेरिग्स रिक्सबैंक (स्वीडन का केंद्रीय बैंक) ने 'अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार' की स्थापना की और तब से इसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है, जिनके अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते रहे हैं।

आर्थिक असमानताओं पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि:

- नोबेल समिति ने पुरस्कार विजेताओं के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि 'जिन समाजों में कानून का शासन खराब है और संस्थाएं आबादी का शोषण करती हैं, वे विकास या बेहतर बदलाव नहीं ला पाते।' यह अवलोकन अविकसित देशों की विफलताओं के पीछे के कारणों को समझने में पुरस्कार विजेताओं की भूमिका को उजागर करता है।
- विजेताओं के द्वारा राष्ट्रों के बीच धन के मामले में भारी अंतर को उजागर किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज सबसे अमीर 20% देशों की औसत आय, सबसे गरीब 20% देशों की औसत आय से 30 गुना अधिक है। यह असमानता अर्थशास्त्रियों के बीच इसके मूल कारणों पर लंबे समय से चल रहे वाद विवाद को नया आयाम प्रस्तुत करती है।
- ऐतिहासिक सिद्धांतों ने धन-संपत्ति के अंतर को विभिन्न कारकों के कारण माना है, जिनमें शामिल हैं:
  - **औपनिवेशिक विरासत:** कुछ लोग तर्क करते हैं कि पश्चिमी उपनिवेशवाद ने समकालीन असमानताओं की नींव रखी।
  - **प्राकृतिक संसाधन:** अन्य लोग सुझाव देते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
  - **सांस्कृतिक कारक:** ऐतिहासिक दुर्घटनाओं और बुद्धिमत्ता के स्तर को भी असमानता का कारण माना गया हैं।

संस्थाओं की भूमिका:

ऐसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन का मानना है कि आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की गुणवत्ता राष्ट्रीय समृद्धि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। उनकी थीसिस, जिसे पुस्तक व्हाई नेशंस फेल में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, यह सुझाव देती है कि संस्थाओं को समावेशी या शोषक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **समावेशी संस्थाएं:** इनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित संपत्ति अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और उच्च जीवन स्तर को प्रोत्साहित करती हैं।
- **शोषक संस्थाएं:** असुरक्षित संपत्ति अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी वाली ये संस्थाएं आर्थिक अस्थिरता और गरीबी को बढ़ावा देती हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और निहितार्थ:

- अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक व्यवस्था पर संस्थागत प्रभावों को समझने के लिए औपनिवेशिक प्रथाओं की जांच की। जिन क्षेत्रों में औपनिवेशिक शक्तियों ने दीर्घकालिक बसावट का उद्देश्य रखा, वहां समावेशी संस्थानों की स्थापना की गई, जो विकास को बढ़ावा देती थीं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में।
- इसके विपरीत, जिन क्षेत्रों को बसावट के लिए अनुपयुक्त माना गया, वहां शोषक संस्थाओं को लागू किया गया। इन संस्थाओं में सतत विकास के स्थान पर अल्पकालिक संसाधन निष्कर्षण को प्राथमिकता दी गई। इसका एक प्रमुख उदाहरण औपनिवेशिक भारत है।
- पुरस्कार विजेताओं ने इस प्रश्न पर भी चर्चा की अधिकतर देश समावेशी संस्थाओं को क्यों नहीं अपनाते। उनका तर्क है कि

शासक अक्सर शोषणकारी प्रणालियों से लाभ उठाते हैं और ऐसे सुधारों को लागू करने में अनिच्छुक होते हैं जो सत्ता का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं और व्यापक आबादी को लाभ पहुँचा सकते हैं।

2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रमुख एमएसपी बढ़ोतरी:

- **गेहूं:** 150 रूपये प्रति क्विंटल बढ़कर 2,425 हो गया, जो 6.59% की वृद्धि है।
- **जौ:** 130 रूपये प्रति क्विंटल बढ़कर 1,980 हो गया, जो 7.03% की वृद्धि है।
- **चना:** 210 बढ़कर 5,650 हो गया, जो 3.86% की वृद्धि है।
- **मसूर दाल:** मसूर दाल 275 की वृद्धि के साथ 6,700 हो गई।
- **रेपसीड और सरसों:** रू. 300 प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ अब इसका मूल्य 5,990 हो गया है।
- **कुसुम:** 140 की वृद्धि के साथ कुसुम का मूल्य 5,940 हो गया।

गेहूं:

- धान के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी फसल गेहूं के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023-24 में, 318.33 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई, जिसका अनुमानित उत्पादन 113.92 मिलियन टन था।
- गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्थान है। चालू रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 के दौरान सरकार ने 26.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जिससे 22 लाख किसानों को लाभ मिला।

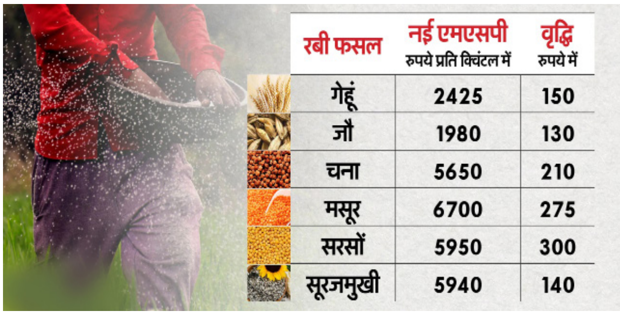

रबी फसल	नई एमएसपी रुपये प्रति क्विंटल में	वृद्धि रुपये में
गेहूं	2425	150
जौ	1980	130
चना	5650	210
मसूर	6700	275
सरसों	5950	300
सूरजमुखी	5940	140

चना:

- भारत की सबसे बड़ी दलहनी फसल चना के एमएसपी में रू. 210 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023-24 में, 95.87 लाख हेक्टेयर में चने की खेती की गई, जिससे 11.03 मिलियन टन उत्पादन हुआ।
- महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। अन्य प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

मसूर और तिलहन:

- मसूर की एमएसपी में रू. 275 की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख मसूर उत्पादक राज्य हैं। भारत अपनी मसूर की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है; 2023-24 में 1.67 मिलियन टन मसूर का आयात किया गया।
- सोयाबीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी तिलहन फसल रेपसीड और सरसों के लिए नया एमएसपी 5,990 प्रति क्विंटल है। राजस्थान सबसे अधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा का स्थान है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नियोजित एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
- एमएसपी को केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एक वैधानिक निकाय हैं। ये सिफारिशें खरीफ विपणन सीजन (KMS) और रबी विपणन सीजन (RMS) के लिए अलग-अलग की जाती हैं।
- कटाई के बाद, सरकार किसानों से उस सीजन के लिए अधिसूचित MSP पर फसल खरीदती है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत सरकार हर साल 22 प्रमुख कृषि जिंसों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड और सरसों तथा खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है।

एमएसपी का महत्व:

- एमएसपी किसानों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विभिन्न कारकों जैसे कि अच्छी फसल के कारण कीमतों में गिरावट के कारण हो सकता है।
- न्यूनतम मूल्य की गारंटी प्रदान करके, एमएसपी किसानों को फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे

एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है और कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन मिलता है।

विश्व बैंक का बी-रेडी सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स (बी-रेडी) के साथ अपने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) की रैंकिंग को संरेखित कर रहा है, ताकि कारोबारी माहौल और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार बीआरएपी के 2024 संस्करण में बी-रेडी सूचकांक के कुछ संकेतकों को शामिल किया जाएगा।

बी-रेडी सूचकांक:

- बी-रेडी इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) इंडेक्स का अपडेटेड संस्करण है, जिसे 2021 में विश्व बैंक द्वारा अनियमितताओं के कारण बंद कर दिया गया था।
- ईओडीबी के विपरीत, बी-रेडी इंडेक्स व्यवसाय निर्माण और संचालन के कानूनी और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं का आकलन करता है, साथ ही बाजार में व्यवसायों के सामने आने वाली वास्तविक स्थितियों का भी मूल्यांकन करता है।
- नया ढांचा किसी कंपनी के जीवनचक्र के दौरान दस प्रमुख मापदंडों पर नजर रखता है, जिसमें व्यवसाय शुरू करने, संचालन करने, बंद करने और पुनर्गठन में आसानी शामिल है।
- यह व्यवसाय में प्रवेश, उपयोगिता सेवाओं, श्रम कानूनों और दिवालियापन पर विनियमन जैसे कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।
- इसका फोकस सैद्धांतिक विनियमों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर उनके वास्तविक कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है, जिससे यह व्यवसाय की तत्परता का एक अधिक व्यापक माप बन जाता है।

बी-रेडी सूचकांक के साथ भारत का एकीकरण:

- 2026 तक बी-रेडी इंडेक्स में भारत को सीधे स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैश्विक ढांचे का विस्तार कर इसमें 180 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि, भारत पहले ही अपने व्यापार सुधार प्रयासों को बी-रेडी ढांचे के साथ संरेखित करने के लिए कदम उठा चुका है।
- भारत में बी-रेडी सूचकांक के लिए विश्व बैंक का उद्यम सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। इस सर्वेक्षण में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) का सहयोग प्राप्त रहेगा, जो उद्योगों के प्रतिनिधि नमूने का निर्धारण करने में मदद करेगा।
- इन सर्वेक्षणों के परिणाम भारत को अपने कारोबारी माहौल में मौजूद खामियों को पहचानने और सुधार की योजना बनाने में सहायक होंगे, जिससे भारत का व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर हो सकेगी।

राज्यों में व्यापार सुधारों को प्रोत्साहन:

- भारत सरकार ने BRAP और वैश्विक B-REDDY सूचकांक दोनों में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए राज्यों को अपने कारोबारी माहौल में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्यों से यह आग्रह किया जाएगा कि वे ऐसे सुधार लागू करें जो न केवल कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करें, बल्कि इन सुधारों का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी सुनिश्चित करें।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक टीम को बी-रेडी ढांचे के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने और भारत के स्कोर को बेहतर बनाने के लिए रणनीति तैयार करने का कार्य सौंपा है। सरकार के प्रयास कानूनी सुधारों और व्यापार विनियमों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

बी-रेडी सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:

- **विस्तृत मापदंड:** यह किसी फर्म के सम्पूर्ण जीवनचक्र को ट्रैक करता है, जिसमें व्यवसाय की शुरुआत से लेकर बंद करने या पुनर्गठन तक के सभी पहलू शामिल हैं। यह उपयोगिता सेवाओं, श्रम विनियमों और दिवालियापन जैसे प्रमुख व्यावसायिक कारकों को भी कवर करता है।
- **वास्तविक मूल्यांकन:** यह सूचकांक केवल कानूनी ढांचे पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधारों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है। यह उन सुधारों की वास्तविक कार्यान्वयन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है।
- **विनियामक वातावरण का आकलन:** यह वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देशों के विनियामक वातावरण का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

बी-रेडी सूचकांक के साथ भारत का संरेखण वैश्विक मंच पर अपने कारोबारी माहौल और प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बी-रेडी ढांचे से प्रमुख संकेतकों को अपनाकर, भारत का लक्ष्य अपने कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, विकास को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है। यह सक्रिय संरेखण भारत को वैश्विक मूल्यांकन में बेहतर रैंकिंग दिलाने में मदद करेगा, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और व्यावसायिक समृद्धि का समर्थन करेगा।

विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ा रोजगार

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जोकि पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद, इस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 7.5% बढ़कर 2021-22 में 1.72 करोड़ से 2022-23 में 1.84 करोड़ हो गई।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- **कारखानों में वृद्धि:** 2021-22 में कारखानों की संख्या 2.49 लाख से बढ़कर 2022-23 में 2.53 लाख हो गई।
- **क्षेत्र-विशिष्ट रोजगार:** खाद्य उत्पाद, वस्त्र, मूल धातु, पहनने वाले परिधान, और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार वृद्धि देखी गई।
- **वेतन वृद्धि:** 2022-23 में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि इस क्षेत्र में बेहतर वेतन स्तर को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय योगदान:** बुनियादी धातु, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद और मोटर वाहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लगभग 58% का योगदान दिया। इसमें उत्पादन और सकल मूल्य वर्धन (GVA) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- 2022-23 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) में 77% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे यह 5.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

क्षेत्रीय वितरण:

- 2022-23 में विनिर्माण जीवीए और रोजगार में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य:
  - » महाराष्ट्र
  - » गुजरात
  - » तमिलनाडु
  - » उत्तर प्रदेश
  - » कर्नाटक
- इन राज्यों का संयुक्त योगदान कुल विनिर्माण जीवीए में 54% से अधिक तथा क्षेत्रीय रोजगार में लगभग 55% था।

विकास के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति:** इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना है, जिससे यह देश की अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** 2022 में शुरू की गई यह योजना स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसायन, शिपिंग कंटेनर और वैक्सीन इनपुट में प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **केंद्रीय बजट 2023-24 के उपाय:**
  - » कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स के लिए अपने लाभ का 100% तक कटौती का प्रावधान है, जिससे वे अधिक पूंजी संचय कर अपने विकास को गति दे सकते हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - » विनिर्माण में शामिल नई सहकारी समितियों के लिए आयकर 22% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- **रक्षा विनिर्माण:** रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करना है, जिसमें निर्यात पर फोकस किया जाएगा। रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)-2016 में 'खरीदें [भारतीय-आईडीडीएम]' श्रेणी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देती है।

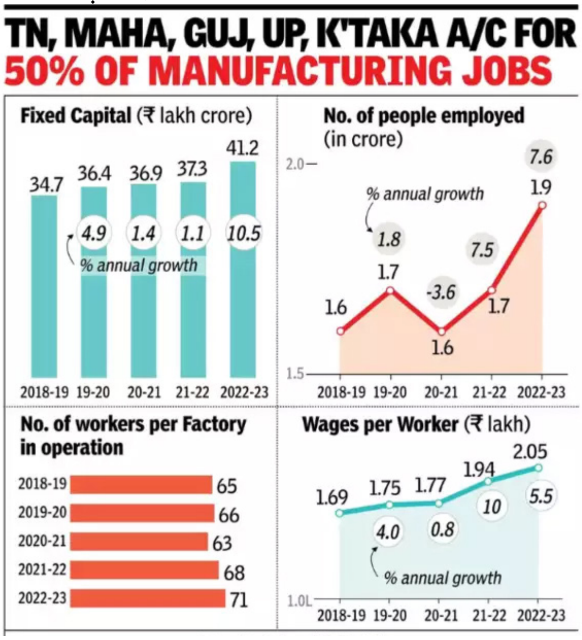

निष्कर्ष:

भारत का विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन और मजबूत वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है, जो आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। सरकारी पहलों, रणनीतिक नीतियों और निवेशों के साथ, भारत अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है।

फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024' शीर्षक से एक रिपोर्ट

जारी की गई, जोकि भारत में गिग और प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों की कार्य स्थितियों का व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर (आईआईआईटी-बी) के आईटी और सार्वजनिक नीति केंद्र (सीआईटीएपीपी) द्वारा तैयार किया गया है। अध्ययन में पांच प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर अमेजन फ्लेक्स, बिगबास्केट, स्विगी, ओला और उबर समेत 11 प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों का मूल्यांकन किया गया है।

फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024 के प्रमुख निष्कर्ष:

- फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024 ने गिग और प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों की स्थिति का मूल्यांकन पांच सिद्धांतों के तहत किया है: उचित वेतन, उचित शर्तें, निष्पक्ष अनुबंध, निष्पक्ष प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व।
- 11 प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि किसी भी प्लेटफॉर्म को 10 में से छह अंक से अधिक नहीं मिले और किसी भी प्लेटफॉर्म ने सभी सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं किया, जिससे कार्य स्थितियों में महत्वपूर्ण अंतराल की ओर संकेत मिलता है।

वेतन और शर्तें:

- **उचित वेतन:** केवल बिगबास्केट और अर्बन कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों को खर्चों के बाद कम से कम स्थानीय न्यूनतम वेतन मिले। हालांकि, किसी भी प्लेटफॉर्म ने जीवनयापन योग्य वेतन की गारंटी नहीं दी।
- **उचित शर्तें:** बिगबास्केट, स्विगी और जोमैटो को सुरक्षा उपकरण और समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सराहा गया। इसके अलावा, बिगबास्केट, स्विगी और अर्बन कंपनी ने दुर्घटना बीमा और मेडिकल लीव मुआवजे का भी प्रावधान किया।

अनुबंध और प्रबंधन:

- **निष्पक्ष अनुबंध:** बिगबास्केट और ब्लूस्मार्ट जैसे प्लेटफार्मों ने पारदर्शी अनुबंधों और श्रमिकों के डेटा सुरक्षा का ध्यान रखा।
- **निष्पक्ष प्रबंधन:** स्विगी और जोमैटो ने शिकायत निवारण के लिए चौनल उपलब्ध कराए और कार्य आवंटन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रक्रिया का पालन किया।

श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ:

- श्रमिकों के सामूहिकीकरण के प्रयासों के बावजूद, किसी भी प्लेटफॉर्म ने यूनियनों या श्रमिक निकायों को मान्यता नहीं दी, जिससे सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार सीमित रह गए।

भारत में गिग वर्कर्स के लिए विधायी ढांचा:

- भारत में गिग अर्थव्यवस्था को विधायी ढांचे में स्वीकार किया जा रहा है, हालांकि इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी जारी है:
  - » **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग श्रमिकों को मान्यता प्रदान करती है और राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिए जाने तक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।
  - » **वेतन संहिता, 2019:** यह सभी क्षेत्रों में लागू होती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है, हालांकि राज्य-विशिष्ट भिन्नताओं की अनुमति है।
  - » **नीति आयोग रिपोर्ट (2022):** गिग श्रमिकों के लिए नीति निर्माण को समर्थन देने हेतु बेहतर डेटा संग्रह पर जोर देते हुए प्लेटफॉर्म-आधारित कौशल और सामाजिक सुरक्षा पहल की सिफारिश करती है।

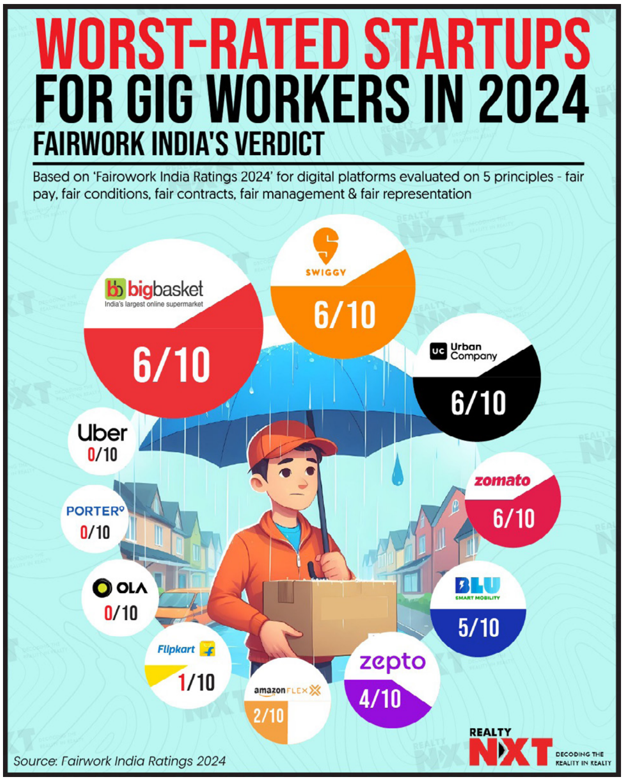

निष्कर्ष:

स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा संचालित भारत की बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था ने उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधाएँ प्रदान की हैं। अब आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन यह सुविधा मानवीय लागत के साथ आती है। नीति आयोग के अनुसार, भारत का गिग कार्यबल 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ सकता है, जिससे इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2024 रिपोर्ट ने भारत की प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में मौजूद गंभीर चुनौतियाँ सामने लायी हैं। कुछ प्लेटफॉर्म सुरक्षा और अनुबंध जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, किन्तु महत्वपूर्ण अंतर अभी भी मौजूद हैं जिन्हें शीघ्र संबोधित करने की आवश्यकता है।

6 विविध मुद्दे

भारत में जनजातीय सशक्तिकरणः चुनौतियां, सरकारी योजनाऐं और भविष्य की दिशा

भारत विविध जनजातीय आबादी का घर है, जिसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी)की संख्या 10.45 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 8.6% है। 705 से अधिक विभिन्न समूहों से मिलकर बने ये समुदाय अक्सर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से, 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने झारखंड यात्रा के दौरान जनजातीय विकास के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानः

- 2 अक्टूबर, 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। 79,150 करोड़ रुपये के बजट वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 63,000 आदिवासी गाँवों में सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करना है।
- इससे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इस पहल में आदिवासी विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए 17 मंत्रालयों के बीच समन्वित 25 हस्तक्षेप शामिल हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):

- हाल ही में, 40 नए EMRS का उद्घाटन किया गया और 25 अतिरिक्त विद्यालयों की नींव रखी गई, जिसकी कुल लागत 2,800 करोड़ से अधिक है। ये विद्यालय खेल और कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) दूरदराज के क्षेत्रों में एसटी (ST) बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- प्रत्येक विद्यालय में कक्षा VI से XII तक के 480 छात्र अध्ययन करते हैं, जो उनके शैक्षणिक और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराते हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN):

- धरती आबा कार्यक्रम के साथ, सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत भी कई परियोजनाएँ शुरू की हैं। 1,360 करोड़ रुपये के बजट वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाना, आंगनवाड़ी और बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण करना, तथा स्कूल छात्रावासों की स्थापना करना है। उल्लेखनीय रूप से, 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के घरों में बिजली पहुंचाई गई है, और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार के लिए 500 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ 275 मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की गई हैं।

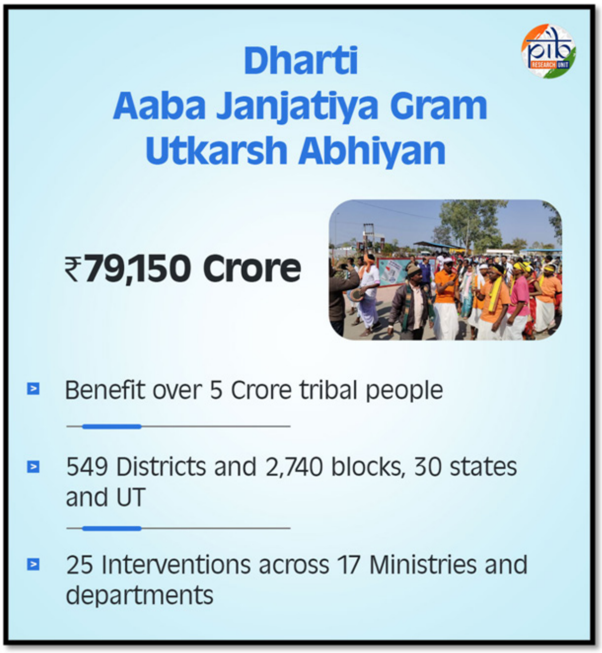

जनजातीय कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धताः

- भारत सरकार की आदिवासी विकास के प्रति प्रतिबद्धता 1974-75 में जनजातीय उप-योजना (TSP) के आरंभ से है, जिसे बाद में अनुसूचित जनजाति घटक (STC) और अनुसूचित जनजातियों के विकास योजना (DAPST) में परिवर्तित किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर

जनजातीय कल्याण सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रतिबद्धता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां DAPST का बजट सालाना 25,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ हो गया। 2024-25 के केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का आवंटन 13,000 करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष के अनुमान से 73.60% अधिक है।

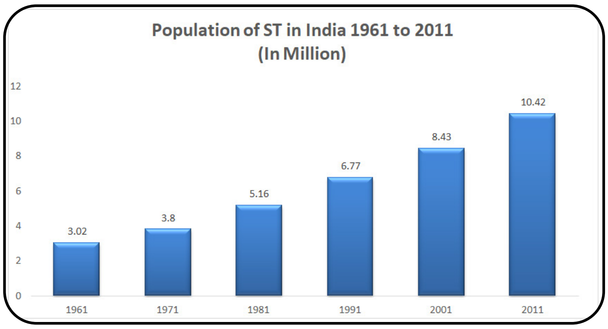

आदिवासी सशक्तिकरण के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

भूमि का वितरण:

- **कुल वितरित:** 31 अक्टूबर, 2023 तक वन अधिकार अधिनियम के तहत 23.43 लाख भूमि के शीर्षक वितरित किए गए, जो 1.8 करोड़ एकड़ भूमि को कवर करते हैं।

रोजगार प्रोत्साहन:

- **रोजगार मेला:** आदिवासी युवाओं के लिए 'कौशल महोत्सव' का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ प्राप्त हुई।
- **कौशल विकास:** आदिवासी उत्पादों और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनायें चलायी गयी हैं।

राष्ट्रीय विदेश स्कॉलरशिप योजना:

- यह योजना मेधावी अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा (पोस्ट-ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट-डॉक्टरेट) हासिल करने के अवसर प्रदान करती है। हर वर्ष कुल 20 लोगो को प्रदान की जाती हैं, जिनमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) विकास कार्यक्रम:

- यह कार्यक्रम सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की भलाई पर केंद्रित है, जिसमें लगभग 7 लाख परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छ पानी और बिजली तक पहुँच प्रदान की जाती है, जोकि 22,000 बस्तियों में फैले हुए हैं।

आदिवासी अनुसंधान संस्थानों (TRIs) को समर्थन:

- इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करना और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST):

- यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालय आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:

- यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया द्वारा समय पर वित्तीय सहायता डिजीलॉकर माध्यम से शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC):

- यह अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सांस्कृतिक प्रचार:

- **आदि महोत्सव:** आदिवासी संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख आदिवासी उत्सव, जिसमें विभिन्न विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की भागीदारी होगी।
- **जी20 शोकेस:** भारत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने जी20 शिखर सम्मेलन में आदिवासी शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया।

जन जातीय गौरव दिवस:

- **तारीख:** 15 नवंबर को मनाया जाएगा।
- **उद्देश्य:** भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देना।

सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण:

- **टर्म लोन योजना:** व्यावसायिक उद्यमों के लिए 90% तक की आसान ऋण प्रदान करता है।
- **आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (AMSY):** आदिवासी महिलाओं के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है।
- **सूक्ष्म ऋण योजना:** आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए 5 लाख तक के ऋण।

स्वास्थ्य पहलकदमी: सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

- **कार्यान्वयन:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आईसीएमआर और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से।
- **लक्ष्य:** जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग को स्क्रीनिंग और प्रबंधन के माध्यम से हल करना।
- **शुभारंभ तिथि:** प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई, 2023 को कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
  - » **लक्ष्य:** 3 वर्षों में 40 वर्ष से कम आयु के 8 करोड़ से अधिक आदिवासियों की स्क्रीनिंग करना।

आदिवासी विरासत का सम्मान:

- आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और उसका उत्सव मनाने के उद्देश्य से, उन राज्यों में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों

को स्वीकृति दी गई है, जहाँ आदिवासी समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। 1913 में सामूहिक गोलीबारी में मारे गए भील स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण स्मारक, मानगढ़ धाम का निर्माण भी किया जा रहा है।

आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकार

श्रेणी	अनुच्छेद	विवरण
शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण	अनुच्छेद 15(4)	अन्य पिछड़े वर्गों, जिनमें अनुसूचित जनजातियाँ (STs) शामिल हैं, की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान।
	अनुच्छेद 29	अल्पसंख्यकों, जिनमें STs शामिल हैं, के हितों की सुरक्षा।
	अनुच्छेद 46	राज्य द्वारा कमजोर वर्गों, विशेषकर STs की शैक्षिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना।
	अनुच्छेद 350	विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।
	अनुच्छेद 350(A)	मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
सामाजिक संरक्षण	अनुच्छेद 23	मानव व्यापार और जबरन श्रम जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध।
	अनुच्छेद 24	बाल श्रम पर रोक।
आर्थिक संरक्षण	अनुच्छेद 244	अनुसूचित क्षेत्रों और STs के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पांचवीं अनुसूची का प्रावधान।
	अनुच्छेद 275	पांचवीं और छठी अनुसूचियों में शामिल विशेष राज्यों के लिए अनुदान।
राजनीतिक संरक्षण	अनुच्छेद 164(1)	बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी मामलों के मंत्रियों की व्यवस्था।
	अनुच्छेद 330	लोकसभा में STs के लिए सीटों का आरक्षण।
	अनुच्छेद 332	राज्य विधानसभाओं में STs के लिए सीटों का आरक्षण।
	अनुच्छेद 334	10 वर्षों की अवधि के लिए आरक्षण (समय-समय पर संशोधित कर बढ़ाया गया)।
	अनुच्छेद 243	पंचायतों में सीटों का आरक्षण।
	अनुच्छेद 371	उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान।
सेवा संरक्षण		अनुच्छेद 16(4), 16(4I), 164(ठ), 335, और 320(4) के तहत सेवाओं में संरक्षण एवं पदोन्नति।

आदिवासी लोगों के लिए कानूनी अधिकारः

अधिनियम	उद्देश्य	मुख्य प्रावधान
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) पर अत्याचारों को रोकना।	• हिंसा, धमकी और उत्पीड़न जैसी घटनाओं को 'अत्याचार' के रूप में परिभाषित करता है। • गैर-जमानती अपराध। • विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था। • दोषी अपराधियों के लिए कठोर दंड। • पीड़ितों को राहत और पुनर्वास।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार।	• आदिवासी रीति-रिवाज और परंपराओं को मान्यता। • भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास निर्णयों में आदिवासियों की भागीदारी। • स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं की व्यवस्था। • भूमि अधिग्रहण से पहले आदिवासी समुदायों से परामर्श। • आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA)	अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देना।	• वन भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करना। • उपयोग, राहत और विकास अधिकारों को मान्यता देना। • वन प्रबंधन अधिकार प्रदान करना। • वन संरक्षण में आदिवासियों के हितों की रक्षा। • पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान।

निष्कर्ष:

भारत सरकार की जनजातीय कल्याण से जुड़ी पहलें जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रति गहन प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम-जनमन जैसी रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से सरकार विकास की खाई को पाटने और जनजातीय आबादी को भारत की विकास गाथा का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये प्रयास न केवल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाते हैं, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी सम्मान करते हैं।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक: आय से परे गरीबी के समाधान की जरूरत

सन्दर्भ:

गरीबी केवल वित्तीय कमी नहीं है बल्कि यह इससे अधिक जटिल समस्या है, जिसमे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी जीवन सुविधाओं तक सीमित पहुंच भी शामिल है। पारंपरिक गरीबी के माप, जो प्रायः केवल आय पर केंद्रित होते हैं, इस समस्या की संपूर्णता को सही तरीके से नहीं दर्शाते हैं।

- यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) प्रस्तुत किया गया था। जिसका नवीनतम एमपीआई 2024 रिपोर्ट एक गंभीर परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है, दशकों के विकास के बावजूद, दुनिया भर में 1.1 बिलियन से अधिक लोग अभी भी घोर गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं और उन्हें कल्याण के लिए आवश्यक विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुआयामी गरीबी में 234 मिलियन लोगों के साथ, भारत एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है, यद्यपि वह गरीबी में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। इस वर्ष के निष्कर्षों ने आय से परे देखने और उन कारकों की व्यापक श्रेणी को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है जो व्यक्तियों और परिवारों को गरीबी के चक्र में फंसा रहे हैं।
- नीति निर्माताओं के लिए, एमपीआई एक माप उपकरण तथा कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है। जब हम भारत और उसके बाहर 2024 एमपीआई के निहितार्थों का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित और बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है, जोकि व्यक्तियों और समुदायों को विभिन्न प्रकार के अभाव से ऊपर उठने के लिए सशक्त बनाते हैं।

बहुआयामी गरीबी की अवधारणा:

- पारंपरिक गरीबी माप, जैसे आय गरीबी, केवल वित्तीय अभाव पर ध्यान केंद्रित करती है। हालाँकि, ओपीएचआई और यूएनडीपी द्वारा 2010 में प्रस्तुत वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गरीबी को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित करता है, जो जीवन के कई आयामों में अभावों की जांच करता है।
- इस व्यापक दृष्टिकोण में विभिन्न कारक शामिल हैं, जो अनुपस्थित रहने पर जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और बुनियादी जीवन स्थितियों तक पहुँच।

वैश्विक एमपीआई की संरचना:

- वैश्विक एमपीआई तीन मुख्य आयामों में गरीबी का मूल्यांकन करता है:
  - » **स्वास्थ्य:** इसमें पोषण और बाल मृत्यु दर जैसे संकेतक शामिल हैं, जो व्यक्तियों और परिवारों की भलाई तथा जीवित रहने की संभावनाओं को दर्शाते हैं।
  - » **शिक्षा:** इसमें स्कूली शिक्षा के वर्षों और विद्यालय में उपस्थिति शामिल हैं, जो शैक्षिक अवसरों और व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को उजागर करते हैं।
  - » **जीवन स्तर:** इसमें स्वच्छ जल, स्वच्छता, बिजली, आवास और खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच जैसे संकेतक शामिल

हैं, जो समग्र जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- प्रत्येक आयाम का योगदान एक-तिहाई (1/3) होता है, और प्रत्येक परिवार का मूल्यांकन दस संकेतकों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन संकेतकों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) में अभाव का अनुभव होता है, तो उसे 'एमपीआई गरीब' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वैश्विक एमपीआई रिपोर्ट 2024 के मुख्य बिंदु:

- **वैश्विक गरीबी:** रिपोर्ट के अनुसार, 1.1 बिलियन लोग- 112 देशों में लगभग 18.3% आबादी-बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही हैं। इसमें 584 मिलियन बच्चे शामिल हैं, जोकि यह दर्शाता है कि गरीबी युवा पीढ़ियों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सीमित हैं।
- **वैश्विक गरीबी में भारत की स्थिति:** भारत में बहुआयामी गरीबों की सबसे बड़ी संख्या है, जहां 234 मिलियन लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन नाइजर जैसे कम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले देशों की तुलना में प्रगति को भी दर्शाता है, जहां बहुआयामी गरीबी अधिक व्यापक है।
- **संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी:** लगभग 40% बहुआयामी गरीब व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो हिंसक संघर्ष से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं में गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ता है, जिससे गरीबी और बढ़ती है और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **समय के साथ भारत के एमपीआई में सुधार:** भारत ने गरीबी कम करने में काफी प्रगति की है। यूएनडीपी के अनुसार, भारत का एमपीआई 2005-06 में 55.1% से घटकर 2015-16 में 27.7% हो गया, जिससे लगभग 271 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए। यह प्रगति सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई नीतियों के प्रभाव को रेखांकित करती है।

वैश्विक एमपीआई बनाम भारत का राष्ट्रीय एमपीआई:

नवंबर 2021 में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) पेश किया, जोकि वैश्विक एमपीआई पद्धति को भारत की अनूठी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुकूल बनाता है। यहाँ मुख्य अंतर दिए गए हैं:

- **संकेतक गणना और अनुकूलन:** राष्ट्रीय एमपीआई में 12 संकेतक शामिल हैं, जबकि वैश्विक एमपीआई में 10 संकेतक हैं। अतिरिक्त संकेतक निम्नलिखित हैं:
  - » मातृ स्वास्थ्य (स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत), जो प्रजनन स्वास्थ्य की पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - » बैंक खाता (जीवन स्तर के आयाम के अंतर्गत), जो गरीबी के मापदंडों में वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
  - » ये संशोधन भारत की विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं को मान्यता देते हैं, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सुलभ बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।
- **डेटा स्रोत और सर्वेक्षण:** भारत का राष्ट्रीय एमपीआई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 और 5 (क्रमशः 2015-16 और 2019-21) के डेटा पर निर्भर करता है। यह डेटा स्रोत राष्ट्रीय एमपीआई को भारत के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने की अनुमति देता है, जिससे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर गरीबी को दूर करने के लिए नीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है।
- **लक्षित गरीबी में कमी:** हाल के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय एमपीआई भारत की गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी दर्शाता है, जो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में लक्षित हस्तक्षेप के कारण उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

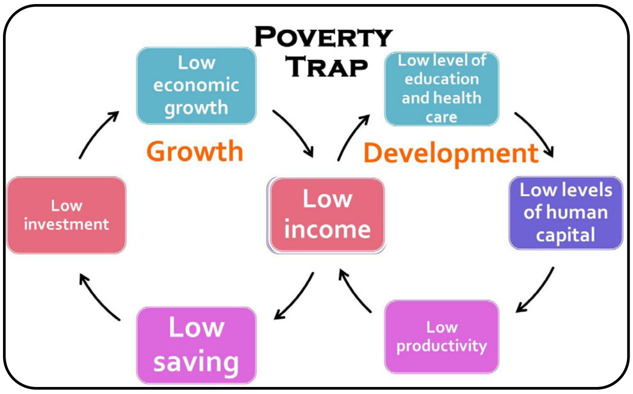

गरीबी उन्मूलन के लिए भारत का बहुआयामी दृष्टिकोण:

- **भारत के राष्ट्रीय और वैश्विक गरीबी उन्मूलन लक्ष्य:** राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 1 को पूरा करने के लिए एक मजबूत ढांचे के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है। बहुआयामी गरीबी को लक्षित करके, भारत का नीति ढांचा अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ता है और उन्हें देश की सामाजिक-आर्थिक विविधता के अनुकूल बनाता है।
- **क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय हस्तक्षेप:** भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर में असमानताएँ हैं, जिससे राष्ट्रीय एमपीआई राज्य सरकारों को केंद्रित कार्यक्रम विकसित करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, बिहार और झारखंड

जैसे राज्यों में गरीबी में कमी, जहाँ ऐतिहासिक रूप से गरीबी दर अधिक रही है, स्थानीय रूप से संचालित बहुआयामी गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।

- **वित्तीय समावेशन और मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान:** बैंक खातों को एक संकेतक के रूप में जोड़ना, बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने, बचत को बढ़ावा देने और ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाता है। इसके साथ ही, मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना प्रजनन और पारिवारिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के महत्व को उजागर करता है, जो स्थायी गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

ग्लोबल एमपीआई वैश्विक गरीबी का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जोकि महत्वपूर्ण चुनौतियों और प्रगति के क्षेत्रों को उजागर करता है। राष्ट्रीय एमपीआई में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार, गरीबी में कमी लाने में भारत की प्रगति, गरीबी के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोणों के महत्व को रेखांकित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करके, भारत धीरे-धीरे गरीबी के अंतर को कम कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका विकास एजेंडा केवल आर्थिक अभाव से परे है।

संक्षिप्त मुद्दे

असम राज्य के आठ पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम राज्य के आठ पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है।

GI टैग प्राप्त उत्पाद:

विशिष्ट चावल बियर:

- **'बोडो जोउ ग्वारन':** इसमें 16.11% अल्कोहल की मात्रा होती है, जो इस क्षेत्र की पारंपरिक शराब बनाने की कला को दर्शाता है।
- **'मैब्रा जोउ बिडवी':** यह एक लोकप्रिय स्वागत पेय है, जो आधा पका हुआ चावल और खमीर से तैयार किया जाता है।
- **'बोडो जोउ गिशी':** यह बोडो समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है और इन पेय पदार्थों से संबंधित गहरे पारंपरिक रीति-रिवाजों को दर्शाता है।

पारंपरिक व्यंजन:

- **'बोडो नफाम':** यह पारंपरिक रूप से धूम्रपान और नमक के जरिए संरक्षित मछली से बना एक व्यंजन है।
- **'बोडो ओंडला':** यह चावल के आटे से बना एक स्वादिष्ट करी है।
- **'बोडो नारजी':** यह एक अर्ध-खमीरयुक्त भोजन है, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है।
- **'बोडो ग्वखा' (ग्वका ग्वखी):** यह बोडो समुदाय द्वारा ब्विसागु त्योहार के दौरान तैयार किया जाने वाला पारंपरिक व्यंजन है।

पारंपरिक शिल्पकला:

- **'बोडो एरोनाई':** यह हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, जिसे GI टैग मिला है।

भौगोलिक संकेत (GI) टैग के बारे में:

- भौगोलिक संकेत (GI) एक संकेतक है जो यह बताता है कि कोई वस्तु विशेष गुणों या प्रतिष्ठा के साथ किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। इसका मतलब है कि इस उत्पाद की विशेषताएँ या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र के मूल स्थान से जुड़ी हुई हैं।
- **कानूनी ढांचा:** भारत में GIs का संरक्षण और पंजीकरण 'भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' के तहत किया जाता है।
- **क्षेत्र:** GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, और हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं सहित निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है।
- **मान्यता की अवधि:** GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' के रूप में दी मान्यता

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच भाषाओं 'मराठी, पालि, प्राकृत, असमिया और बंगाली' को 'शास्त्रीय भाषा' की मान्यता दी है। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची का विस्तार करता है और भाषा धरोहर को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखता है।

महत्वः

- इन भाषाओं के समावेशन से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलता है। इस निर्णय से ये भाषाएं पहले से शास्त्रीय भाषा मान्यता प्राप्त छह अन्य भाषाओं में शामिल हो गई हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया।
- किसी भाषा को 'सांस्कृतिक' के रूप में वर्गीकृत करने से अकादमिक और सांस्कृतिक रुचि में वृद्धि होती है और इन प्राचीन भाषाओं के शोध और संरक्षण के लिए नए मार्ग खुलते हैं।

शास्त्रीय भाषा मान्यता के लिए मानदंडः

- किसी भाषा को शास्त्रीय रूप से मान्यता देने के लिए कुछ विशेष मानदंडों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिन्हें भाषाई विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें शामिल हैं:
  - **उच्च प्राचीनता:** भाषा के पास प्रारंभिक ग्रंथ और 1,000 वर्षों से अधिक का रिकॉर्डेड इतिहास होना चाहिए।
  - **प्राचीन साहित्य:** सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मूल्यवान प्राचीन साहित्य का महत्वपूर्ण संग्रह होना चाहिए।
  - **ज्ञान ग्रंथ:** भाषा में ज्ञान ग्रंथों और अभिलेखीय साक्ष्यों सहित गद्य का संग्रह होना चाहिए।
  - **विशिष्ट विकास:** शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य अपने आधुनिक रूपों से विशिष्ट होना चाहिए, जिसमें संभावित विकास के कारण उनके मूल संरचना से भिन्नता हो।
- **राजभाषा आयोग:** राजभाषा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका गठन साल 1955 में गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

संविधानिक संदर्भः

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत, हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा है, जबकि आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 अंग्रेजी के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए जारी रखने की अनुमति देती है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें हाल ही में मान्यता प्राप्त कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल हैं।

आठवी अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं:

असमिया	सिंधी
हिंदी	कोंकणी
बोडो	मैथिली
बंगाली	तमिल
डोगरी	मणिपुरी
पंजाबी	मराठी
गुजराती	संथाली
कन्नड़	नेपाली
संस्कृत	तेलुगु
कश्मीरी	उर्दू
मलयालम	उड़िया

आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता के लाभः

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को कई लाभ मिलते हैं:

- **साहित्यिक मान्यता:** राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्वचालित रूप से अनुसूची की भाषाओं को साहित्यिक भाषाओं के रूप में मान्यता देती है।
- **शिक्षण का माध्यम:** आठवीं अनुसूची माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण के माध्यम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं:** आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उपयोग की जाती हैं।

हाल ही में पाँच अतिरिक्त भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप मान्यता देने का निर्णय भारत की समृद्ध भाषा धरोहर को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अकादमिक रुचि और शोध के अवसरों को बढ़ावा देकर यह पहल इन भाषाओं और उनकी भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान की गहरी सराहना को बढ़ावा देने की अपेक्षा करती है।

साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखिका

हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया है, जो ऐतिहासिक घटनाओं की पीड़ा को गहराई की व्याख्या एवं मानव जीवन की कोमलता और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। हान कांग साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं।

हान कांग का साहित्यिक कैरियरः

- हान कांग ने 1993 में कविता के माध्यम से अपने लेखन की यात्रा की शुरुआत की, इसकी सफलता ने दक्षिण कोरियाई साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।
- 1995 में, उन्होंने अपने लघु कथाओं के पहले संग्रह लव ऑफ योसु का प्रकाशन किया, जिसने उन्हें साहित्यिक समाज में व्यापक प्रशंसा और पहचान दिलाई।
- उपन्यास द वेजिटेरियन (2007) ने हान कांग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। इस कृति के माध्यम से उनका लेखन व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचा और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।

प्रमुख कृतियाँः

- **द वेजिटेरियन (2007):** यह उपन्यास एक महिला के मांस का सेवन बंद करने के निर्णय के गहन परिणामों को दर्शाता है तथा उसके परिवार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को चुनौती देता है।
- **ह्यूमन एक्ट्स (2014):** 1980 के ग्वांगजू विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह उपन्यास विभिन्न दृष्टिकोणों से घटना की जांच करता है और हिंसा, आघात और लचीलेपन के विषयों पर विचार करता है।
- **द व्हाइट बुक (2016):** जीवन और मृत्यु की धारणाओं पर गहन चिंतन करते हुए, यह कृति दार्शनिक विश्लेषण को प्रस्तुत करती है।

साहित्यिक शैली और विषयवस्तुः

- हान कांग की लेखनी सरल है जिससे जटिल भावनाएँ भी आसानी से व्यक्त होती हैं।
- उनकी कृतियों में ऐतिहासिक घटनाओं से उत्पन्न पीड़ा के विषय शामिल हैं, जिन्हें संवेदनशीलता के साथ पेश किया गया है।
- हान कांग की रचनाएँ महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और लैंगिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं।
- हान कांग का लेखन मानव जीवन की गहनता की सूक्ष्मता से पड़ताल करता है, जिससे जीवन के अर्थ और उद्देश्य के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

अन्य पुरस्कारः

- **मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (2016):** यह पुरस्कार 'द वेजिटेरियन' के लिए प्रदान किया गया है।
- **प्रिक्स फेमिना एट्रेंजर (2017):** यह पुरस्कार 'ह्यूमन एक्ट्स' के लिए प्रदान किया गया, जिसने उन्हें एक सशक्त कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित किया।

साहित्य में हाल के नोबेल पुरस्कार विजेताः

- **2023%** जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए सम्मानित किया गया।
- **2022%** एनी एरनॉक्स को उनके साहित्य में सामाजिक परिवर्तनों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया।
- **2021%** अब्दुलरजाक गुरनाह को यह पुरस्कार उपनिवेशवाद और शरणार्थी अनुभव के उनके करुणामय प्रस्तुति के लिए दिया गया।
- **2020%** लुईस ग्लुक को उनकी काव्यात्मक कृति के लिए सम्मानित किया गया।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार के बारे मेंः

- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन लेखकों को दिया जाता है, जिनकी रचनाएं आदर्शवाद का प्रतीक होती हैं और मानवीय स्थिति का अन्वेषण करती हैं।
- प्रथम पुरस्कार 1901 में सुली प्रुधोमे को उनके काव्य योगदान के लिए दिया गया।

नोबेल शांति पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी एनजीओ निहोन हिडांक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की गई।

एनजीओ का योगदानः

जागरूकता बढ़ाने में भूमिकाः

- निहोन हिडांक्यो (NGO) ने शांति को बढ़ावा देने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- वैश्विक स्तर परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया है, जो मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

अनुभवों का दस्तावेजीकरणः

- संगठन का प्रमुख उद्देश्य परमाणु बम विस्फोटों की भयावहता के प्रत्यक्ष गवाह, हिबाकुशा, के अनुभवों को दस्तावेजित करना है। इसके तहत हजारों गवाहों के बयान एकत्रित किए गए हैं, जो निरस्त्रीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सार्वजनिक वकालतः

- निहोन हिडांक्यो (NGO) प्रस्तावों और सार्वजनिक अपीलों के माध्यम से सार्वजनिक वकालत में संलग्न रहता है।
- इसका उद्देश्य जनमत को आकार देना और नीति निर्माताओं पर परमाणु निरस्त्रीकरण की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट करना

है।

अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव:

- यह संगठन संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न शांति सम्मेलनों में वार्षिक प्रतिनिधिमंडल भेजता है।
- इसके माध्यम से यह वैश्विक मंच पर परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करता है।

संवाद और समर्थन जुटाना:

- निहोन हिडांक्यो (NGO) निरस्त्रीकरण के लिए समर्थन जुटाता है और राष्ट्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु बम विस्फोट के जीवित बचे लोगों की आवाज अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में सुनी जाए।

निहोन हिदानक्यो के बारे में:

- निहोन हिदानक्यो एक जापानी गैर सरकारी संगठन है।
- जिसकी स्थापना 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों के बाद परमाणु बम से बचने वाले लोगों (जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है) द्वारा की गई थी।
- यह संगठन परमाणु हथियारों से प्रभावित लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।

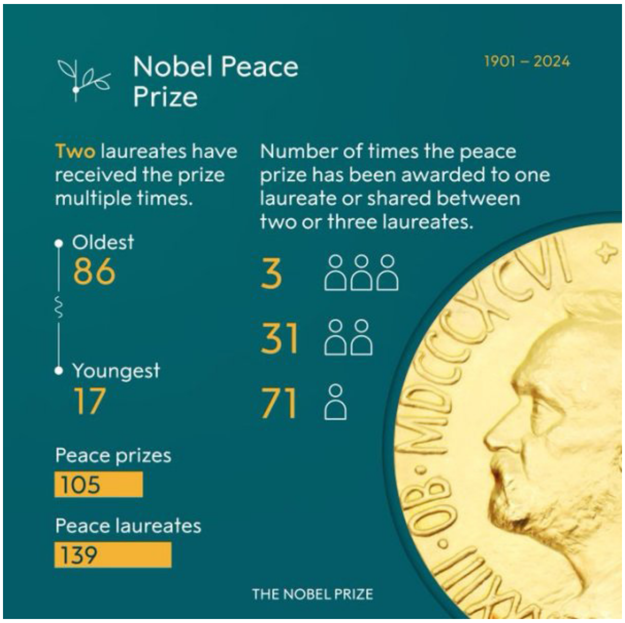

पुरस्कार का महत्व:

- नोबेल समिति ने इस पुरस्कार के माध्यम से वैश्विक संघर्षों के बीच 'परमाणु निषेध' को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। यह रेखांकित करता है कि परमाणु हथियार अब तक बनाए गए सबसे विनाशकारी हथियार हैं।
- यह पुरस्कार परमाणु निरस्त्रीकरण के इर्द-गिर्द महत्वपूर्ण चर्चा को उजागर करता है और ऐसे विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल को रोकने की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल देता है।

2023 की नोबेल पुरस्कार विजेता:

- 2023 में, नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। उन्हें महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी साहसी लड़ाई और मानवाधिकारों की वकालत के लिए सम्मानित किया गया।

औपचारिक प्रस्तुति समारोह:

- नोबेल शांति पुरस्कार 2024 औपचारिक रूप से 10 दिसंबर, 2024 को ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित समारोह में निहोन हिडांक्यो को प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन परमाणु निरस्त्रीकरण के संदर्भ में वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण को होगा।

वैश्विक भूख सूचकांक 2024

चर्चा में क्यों?

वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 105वां स्थान है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों के आधार पर जीएचआई स्कोर के साथ भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।

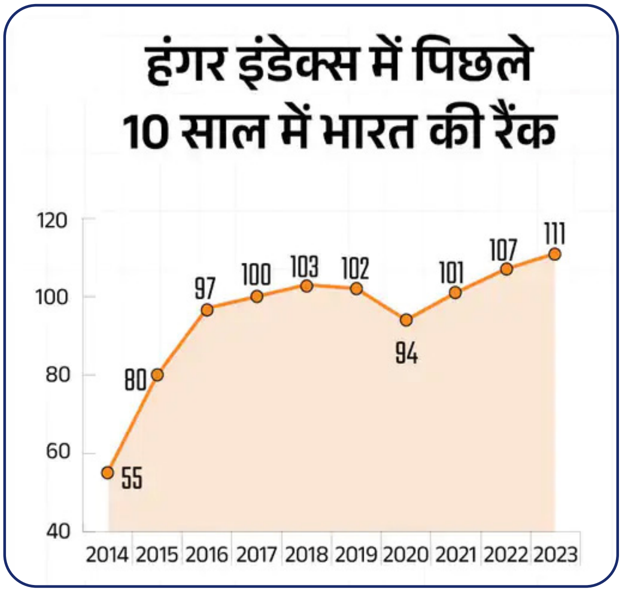

सूचकांक के संकेत:

- भारत का 2024 वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) स्कोर 27.3 भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को रेखांकित करता है।
- रिपोर्ट बताती है कि 13.7% आबादी कुपोषित है, जो कैलोरी सेवन से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है।

- चिंताजनक रूप से, पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित हैं, और 18.7% कमजोर हैं, जो क्रोनिक और तीव्र कुपोषण दोनों को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, पाँच वर्ष की आयु से पहले 2.9% बाल मृत्यु दर अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है।

संकेतकों की भूमिका:

- ये संकेतक पोषण में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने और भूख में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।
- इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर आबादी को स्वस्थ भविष्य के लिए आवश्यक सहायता मिले।

सूचकांक की गणना:

- वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) स्कोर की गणना 100-बिंदु पैमाने पर की जाती है, जहाँ कम स्कोर बेहतर स्थिति और शून्य भूख को दर्शाता है, जबकि उच्च स्कोर अधिक गंभीर भूख को दर्शाता है।
- कुपोषण, बाल विकास में कमी, कमजोरी और बाल मृत्यु दर के चिंताजनक संकेतकों के परिणामस्वरूप भारत का 27.3 का स्कोर भूख से निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत देता है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास:

- भूख से निपटने के लिए तत्काल मानवीय सहायता और दीर्घकालिक समाधान दोनों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों को इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
  - » **खाद्य सुरक्षा:** सभी के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  - » **स्वास्थ्य सेवा की पहुंच:** खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।
  - » **सतत खाद्य प्रणालियां:** कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना जो पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य उपलब्धता का समर्थन करें।

समाधान और हस्तक्षेप:

- इन समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:
  - » **सरकारी पहल:** खाद्य सुरक्षा में सुधार, पोषण कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को लागू करने वाली नीतियों को अपनाना।
  - » **एनजीओ और सामुदायिक प्रयास:** एनजीओ और स्थानीय संगठन शिक्षा, आउटरीच, और सीधे समर्थन के माध्यम से कमजोर वर्गों की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
  - » **सहयोगी रणनीतियाँ:** सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि स्थायी समाधान विकसित किए जा सकें।

ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्रीनवाशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए ग्रीनवाशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ग्रीनवाशिंग के बारे में:

- ग्रीनवाशिंग किसी उत्पाद या अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में गलत या भ्रामक बयान देने का कार्य है।
- यह कंपनियों के लिए अपने प्रदूषणकारी और साथ ही संबंधित हानिकारक व्यवहारों को जारी रखने या विस्तारित करने का एक तरीका हो सकता है, जबकि वे सिस्टम को धोखा दे रहे हैं या अच्छे इरादे वाले, स्थायी सोच वाले उपभोक्ताओं से लाभ कमा रहे हैं।
- यह शब्द 1986 में पर्यावरणविद् और तत्कालीन छात्र जे वेस्टरवेल्ड द्वारा एक निबंध में दिया गया था।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं:

- **स्पष्ट परिभाषाएं:** यह दिशानिर्देश ग्रीनवाशिंग और पर्यावरणीय दावों से संबंधित शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों की एक समान समझ हो।
- **पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं:** निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को अपने पर्यावरण संबंधी दावों को विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है। इसमें ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली और डेटा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना शामिल है।
- **भ्रामक शब्दों का निषेध:** उचित प्रमाण के बिना 'पर्यावरण अनुकूल', 'हरित' और 'टिकाऊ' जैसे अस्पष्ट या भ्रामक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है।
- **तृतीय-पक्ष प्रमाणन:** पर्यावरणीय दावों की पुष्टि के लिए

तृतीय-पक्ष प्रमाणन भी स्वीकार किए जाते हैं।

- **पर्याप्त खुलासे:** कंपनियों को महत्वपूर्ण जानकारी का स्पष्ट तरीके से खुलासा करना आवश्यक है, जो सुलभ हो। दावों में संदर्भित पहलुओं (वस्तु, विनिर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, आदि) को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और इनके संबंध में विश्वसनीय प्रमाण या विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करना चाहिए।

दिशा-निर्देशों में मुख्य परिभाषाएँ:

पर्यावरणीय दावे:

- पर्यावरणीय दावों का अर्थ है किसी भी रूप में निम्नलिखित के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व:
  - » कोई भी सामान (या तो उसकी संपूर्णता में या उसके घटक के रूप में), विनिर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, सामान के उपयोग का तरीका या उसका निपटान; या
  - » कोई भी सेवा (या उसका कोई भाग) या सेवा प्रदान करने में शामिल प्रक्रिया में
  - » पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं का सुझाव देना जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी या पर्यावरण मित्रता की भावना को व्यक्त करना है।

ग्रीनवाशिंग:

- ग्रीनवाशिंग का अर्थ है:
  - » कोई भी भ्रामक या गुमराह करने वाला व्यवहार, जिसमें प्रासंगिक जानकारी को छोड़ना या छिपाना, बढ़ा-चढ़ाकर बताना, अस्पष्ट, झूठे या अप्रमाणित पर्यावरणीय दावे करना शामिल है।
  - » भ्रामक शब्दों, प्रतीकों या छवियों का उपयोग, हानिकारक विशेषताओं को कम करके या छिपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलुओं पर जोर देना।

ग्रीनवाशिंग का प्रभाव:

- **उपभोक्ताओं को गुमराह करना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिला सकता है कि कोई कंपनी वास्तव में जितनी पर्यावरण के अनुकूल है, उससे कहीं ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। इससे उपभोक्ता ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।
- **संसाधनों को मोड़ना:** ग्रीनवाशिंग वास्तविक संधारणीयता प्रयासों से ध्यान और संसाधनों को हटा सकता है।
- **हानिकारक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं के लिए वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करना कठिन बनाकर पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- **'ग्रीन' शब्द को कमजोर करना:** ग्रीनवाशिंग 'ग्रीन' या 'पर्यावरण के अनुकूल' शब्द को कमजोर कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रामाणिक संधारणीयता प्रयासों और विपणन चालों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- **लोगों को हानिकारक उत्पादों के संपर्क में लाना:** ग्रीनवाशिंग उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और सामान्य रूप से दुनिया को विषाक्त, खतरनाक और/या पर्यावरण के लिए हानिकारक उत्पादों या उत्पादन विधियों के संपर्क में ला सकता है।

नॉन-काइनेटिक वारफेयर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा बुलेटिन में बताया गया है कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति 17 प्रमुख विषयों पर चर्चा करेगी, जिसमें हाइब्रिड युद्ध के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी भी शामिल है, जिसमें साइबर, काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक युद्ध के साथ-साथ ड्रोन वि. रोधी क्षमताएं शामिल हैं।

मुख्य बिन्दु:

- लोकसभा में विपक्ष के नेता और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य राहुल गांधी ने नॉन-काइनेटिक युद्ध के बढ़ते खतरे पर, रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन में चल रहे संघर्षों के साथ समानताएं दर्शाते हुए जोर दिया, जहां इस तरह की रणनीति स्पष्ट रूप से देखी गई है।
- उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य के संघर्षों में इन तरीकों पर बहुत अधिक निर्भर होने की संभावना है और आग्रह किया कि इन उभरते खतरों से निपटने के लिए सेना की तत्परता की गहन जांच सुनिश्चित करें।

नॉन-काइनेटिक युद्ध के बारे में:

नॉन-काइनेटिक युद्ध में ऐसी रणनीतियाँ शामिल हैं जो प्रत्यक्ष शारीरिक बल पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं और संकल्प को बाधित करना, हेरफेर करना या कम करना होता है। मुख्य घटकों में शामिल हैं:

- **साइबर युद्ध:** इसमें हैकिंग, डेटा उल्लंघन और महत्वपूर्ण

बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं, जो व्यवधान पैदा करने या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सूचना प्रणालियों को लक्षित करते हैं।

- **मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन (साइकोप्स):** प्रचार, गलत सूचना और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करने का लक्ष्य, अक्सर मनोबल को कम करने या भ्रम पैदा करने के लिए।
- **आर्थिक युद्ध:** सैन्य संघर्ष में शामिल हुए बिना किसी विरोधी की अर्थव्यवस्था और संसाधनों को कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों जैसे उपायों को शामिल करता है।
- **सूचना युद्ध:** गलत सूचना फैलाने, कलह फैलाने और जनमत में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग करता है, जो अक्सर सत्य और झूठ के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:** विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को बाधित करने या नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रतिद्वंद्वी की परिचालन प्रभावशीलता में बाधा डालने के लिए संचार और रडार प्रणालियों को लक्षित करता है।

अन्य आयाम:

- **गैर-सैन्य हितधारक:** इसमें निगम, नागरिक संगठन और अन्य संस्थाएँ शामिल हैं, जो युद्ध के मैदान को राज्य के अभिनेताओं से परे विस्तारित करती हैं।
- **तकनीकी उन्नति:** प्रौद्योगिकी का उदय नॉन-काइनेटिक तरीकों के संभावित प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक प्रभावी हो जाते हैं।
- **संभावित घातकता:** नॉन-काइनेटिक युद्ध पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक घातक साबित हो सकता है, जिसमें संघर्षों को शारीरिक टकराव के बिना हल किया जा सकता है।
- **वास्तविक दुनिया के उदाहरण:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (जैसे, बिजली ग्रिड, अस्पताल) पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों ने नॉन-काइनेटिक युद्ध के गंभीर परिणामों को प्रदर्शित किया है, जैसा कि विभिन्न वैश्विक घटनाओं में देखा गया है।

भविष्य के युद्ध की पहल

भविष्य के युद्ध का पाठ्यक्रम:

- **पहल:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के निर्देशन में शुरू किया गया।
- **त्रि-सेवा पाठ्यक्रम:** सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के अधिकारियों के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा संचालित एक अग्रणी पाठ्यक्रम।
- **लक्षित छात्र:** रैंक-अज्ञेय, मेजर जनरलों, मेजर और विभिन्न सेवाओं के उनके समकक्षों के लिए लक्षित।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

- **आधुनिक युद्ध को समझना:** अधिकारियों को भविष्य के संघर्षों के परिचालन और तकनीकी पहलुओं के ज्ञान से लैस करना।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - » संपर्क और गैर-संपर्क युद्ध।
  - » गतिज और गैर-गतिज रणनीतियाँ।
  - » मनोवैज्ञानिक और सूचनात्मक रणनीतियाँ।

निष्कर्ष:

समकालीन संघर्षों में नॉन-काइनेटिक विधियाँ तेजी से प्रमुख होती जा रही हैं, जिससे रणनीतिक जुड़ाव की अनुमति मिलती है जो पारंपरिक सैन्य कार्रवाइयों की तुलना में कम पता लगाने योग्य और अस्वीकार्य हो सकती है। इन तरीकों का उद्देश्य अक्सर खुले युद्ध में आगे बढ़े बिना उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।

वंशानुगत कैंसर का एशिया में बढ़ता खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैंसर पर अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (IACR) ने अनुमान लगाया है कि पांच में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा रहता है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर 20 मिलियन नए कैंसर के मामले और 9.74 मिलियन कैंसर से संबंधित मृत्यु दर्ज की गई। अनुमान है कि वर्ष 2045 तक यह आंकड़े बढ़कर नए मामले 32 मिलियन और 16 मिलियन मौतों तक पहुंच जाएंगे। इस वृद्धि में वैश्विक कैंसर के बोझ का लगभग आधा हिस्सा एशिया में स्थित होगा, जो स्वास्थ्य प्रणालियों पर गंभीर दबाव डालने की संभावना को दर्शाता है।

वंशानुगत कैंसर और आनुवंशिक उत्परिवर्तन:

- BRCA1 (ब्रेस्ट कैंसर जीन1) और BRCA2 (ब्रेस्ट कैंसर जीन) जीनों की खोज ने वंशानुगत कैंसर, विशेषकर वंशानुगत स्तन-डिम्बग्रंथि कैंसर सिंड्रोम की समझ में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इन जीनों में उत्परिवर्तन से स्तन, डिम्बग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, साथ ही कुछ मामलों में अग्नाशय और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी बढ़ता है।
- शरीर के जीनोम में उत्परिवर्तन होते हैं, जिनमें से एक उपसमूह वंशानुगत उत्परिवर्तन होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के माध्यम से फैलता है।
- शोध से संकेत मिलता है कि सभी कैंसर मामलों में लगभग 10% वंशानुगत उत्परिवर्तन से संबंधित हो सकते हैं। विशेष रूप से, डिम्बग्रंथि कैंसर के मामलों में यह प्रतिशत 20% तक पहुँच जाता है। अन्य सामान्य कैंसर जैसे स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, और प्रोस्टेट कैंसर में वंशानुगत उत्परिवर्तन का प्रचलन 10% है।

आनुवंशिक परीक्षण और लक्षित चिकित्सा की भूमिका:

- BRCA उत्परिवर्तनों के लिए आनुवंशिक परीक्षण वंशानुगत कैंसर के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पहचान उन्नत निगरानी, निवारक सर्जरी और लक्षित उपचार जैसी व्यक्तिगत रोकथाम रणनीतियों को सक्षम बनाती है।
- पॉली एडेनोसिन डिफॉस्फेट-राइबोस पॉलीमरेज (PRAP) BRCA-संबंधित कैंसर के इलाज में प्रभावी साबित हुई हैं। PRAP यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कोशिकाओं में डीएनए क्षति की मरम्मत में मदद करता है।
- इसके नैदानिक परीक्षणों ने यह दिखाया है कि ये दवाएँ विशेष रूप से तब सफल होती हैं जब इन्हें प्लैटिनम-आधारित कीमोथेरेपी के साथ मिलाया जाता है। इस वजह से, शोधकर्ता BRCA और अन्य DNA मरम्मत जीन में होने वाले बदलावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि इन उपचारों की प्रभावशीलता को समझा जा सके।
- CRISPR-Cas9 तकनीक में हुई प्रगति ने कैंसर के जीनों की अध्ययन की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसने शोध कर्ताओं को BRCA उत्परिवर्तनों के विश्लेषण के साथ-साथ उन अन्य जीन उत्परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम बनाया है जो उपचार की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत में कैंसर उपचार और रोकथाम के लिए पहल:

- **CAR-T सेल थेरेपी:** IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। यह जीन थेरेपी कैंसर से लड़ने हेतु रोगी की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करती है और इसे विश्व स्तर पर सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी के रूप में माना जाता है, जिससे उन्नत कैंसर उपचार व्यापक जनसंख्या के लिए सुलभ हो जाता है।
- **आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-पीएमजेएवाई):** पीएमजेएवाई के तहत, परिवार माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कैंसर के उपचार की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
- **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस):** एनपीसीडीसीएस कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्यक्रम देश भर में इन बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए पुरानी स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान और उपचार सेवाओं को एकीकृत करता है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** पीएमएसएसवाई कैंसर देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों को उन्नत करने और स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह योजना राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी) को भी मजबूत करती है, जिससे भारत में कैंसर उपचार केंद्रों के बीच समन्वय और संसाधन साझाकरण बढ़ता है।

भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन में डब्ल्यूएचओ से मिली मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन में आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेकोमा विश्वभर में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है और इससे लगभग 150 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। भारत ने 2017 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट (2014-17) के आधार पर स्वयं को संक्रामक ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया था।

मान्यता का महत्व:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह सराहना भारत सरकार के निरंतर प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्वास्थ्य पेशेवरों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी को उजागर करती है।
- भारत, नेपाल, म्यांमार और विश्व के 19 अन्य देशों में शामिल हो गया है, जिन्हें ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए समान मान्यता प्राप्त हुई है।

ट्रेकोमा:

- ट्रेकोमा एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से आँखों को प्रभावित करता है, जिससे सूजन, निशान और अंधापन हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा को एक उष्णकटिबंधीय रोग करार दिया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का लक्ष्य 2030 तक ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।

उन्मूलन की यात्रा:

- भारत के प्रयास 1963 में आरंभ हुए, जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ के सहयोग से ट्रेकोमा नियंत्रण परियोजना की स्थापना की।
- उन्मूलन की रणनीति।
- भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित सुरक्षित रणनीति

को अपनाया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

» अंधापन का चरण (ट्रेकोमेटस) के इलाज के लिए सर्जरी (ट्राइकियासिस।
» संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स:
» विशेष रूप से एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का बड़े पैमाने पर वितरण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेकोमा पहल के माध्यम से उन्मूलन कार्यक्रमों में दिया जाता है।
» चेहरे की सफाई।
» पर्यावरण सुधार: विशेषकर जल एवं स्वच्छता तक पहुंच में सुधार।

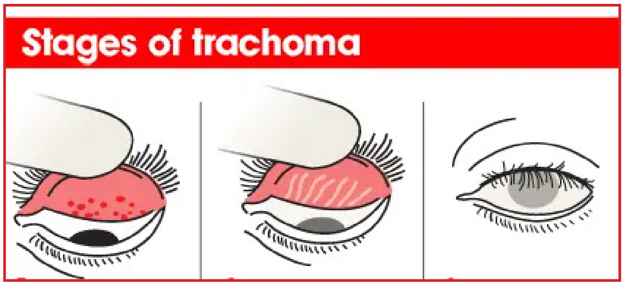

राष्ट्रीय अंधता एवं दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबीवीआई):

- **आरंभ:** भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1976 में शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पूरे देश में अंधेपन और दृश्य हानि को रोकना और नियंत्रित करना है।

मामलों में गिरावट:

- वर्ष 2005 में भारत में अंधेपन के कुल मामलों में से 4% ट्रेकोमा के कारण थे।
- 2018 तक, यह घटकर 0.008% रह गया।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नया मामला सामने न आए, 2019 से 2024 तक नियमित निगरानी की गई।

हस्तांतरण (ट्रांसमिशन):

- **प्रत्यक्ष संपर्क:** संक्रमित आँख, नाक और गले के स्राव के संपर्क से फैलता है।
- **अप्रत्यक्ष प्रसार:** इन स्रावों के संपर्क में आने वाली मक्खियों के माध्यम से भी इसका प्रसार हो सकता है।

सामान्य लक्षण:

- आँखों में खुजली और जलन।
- आँखों से स्राव आना।
- प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता।

ट्रेकोमा के परिणाम:

- बार-बार संक्रमण से ट्रैकोमैटस रोग हो सकता है, जिसे ट्राइकियासिस के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप दर्द, दृश्य हानि और उपचार न किए जाने पर संभावित अंधापन हो सकता है।
- **डब्ल्यूएचओ का उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases- NTDs) रोड मैप:** 2021-2030 रोडमैप का लक्ष्य साल 2030 तक 21 बीमारियों और रोग समूहों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन करना है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 (एमपीआई) प्रकाशित किया गया। यह सूचकांक वैश्विक संघर्षों के मध्य गरीबी की स्थिति पर प्रकाश डालता है और गरीबी के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करता है। एमपीआई गरीबी को तीन प्रमुख आयामों में मापता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, जिसमें कुल 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। एक परिवार को बहुआयामी गरीब माना जाता है यदि वह इन संकेतकों में से एक-तिहाई या उससे अधिक से वंचित होता है।

एमपीआई 2024 के मुख्य निष्कर्ष :

- **वैश्विक गरीबी:** 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग (18.3%) तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।
- **ग्रामीण गरीबी:** 962 मिलियन (83.7%) गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सबसे अधिक संकेंद्रण उप-सहारा अफ्रीका (463 मिलियन) और दक्षिण एशिया (350 मिलियन) में है, जहां गरीबों की संख्या 70.7% है।
- **शीर्ष पांच देश:** भारत (234 मिलियन), पाकिस्तान (93 मिलियन), इथियोपिया (86 मिलियन), नाइजीरिया (74 मिलियन) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (66 मिलियन) वैश्विक गरीबी का 48.1% हिस्सा रखते हैं।
- **बाल गरीबी:** 584 मिलियन बच्चे (वैश्विक बाल जनसंख्या का 27.9%) अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, जो गरीबी में रहने वाले वयस्कों के प्रतिशत (13.5%) से लगभग दोगुना है।
- **संघर्ष क्षेत्र:** लगभग 40% (455 मिलियन) गरीब लोग संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं। वर्ष 2023 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक संघर्ष हुए, जिससे 117 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए।

भारत की गरीबी संबंधी चुनौतियाँ:

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, निम्नस्तरीय सेवा वितरण और सीमित गैर-कृषि आर्थिक अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्र उच्च गरीबी दर से ग्रस्त हैं।
- **कुपोषण:** कुपोषण, विशेषकर बच्चों में, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **शिक्षा:** सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है, जिससे सीखने के परिणाम सीमित हो जाते हैं।
- **जल और स्वच्छता:** स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच अपर्याप्त है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **आर्थिक बाधाएँ:** कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया, जिससे कई लोगों की नौकरियां चली गई और असुरक्षा बढ़ी।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013:** यह सुनिश्चित करता है कि 67% आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्राप्त हो।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), 2016:** बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है।
- **आयुष्मान भारत योजना:** प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018:** इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को कम करना है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009:** 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन:** इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना है।

आगे की राह:

भारत ने विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से बहुआयामी गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताएं, खराब पोषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सतत विकास, बेहतर सेवा वितरण और अभिनव समाधानों पर निरंतर ध्यान गरीबी को कम करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

भारत में रेल दुर्घटनाएं और सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अगरतला-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना, तिलक एक्सप्रेस और चेन्नई के निकट हुई भीषण टक्कर, तथा 2023 में बालासोर दुर्घटना, जिसमें 275 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, ने भारतीय रेलवे प्रणाली में सुरक्षा संबंधित गंभीर समस्याओं को उजागर किया है। इन घटनाओं ने रेलवे के बुनियादी ढाँचे, संचालन, और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया है

रेल दुर्घटनाओं की प्रवृत्तियाँ:

- **दुर्घटनाओं में कमी:** रेलवे दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 1960 के दशक में प्रतिवर्ष 1,390 से घटकर वर्तमान में लगभग 80 तक सीमित हो गई हैं।
- **परिणामी दुर्घटनाएँ:** समग्र गिरावट के बावजूद, परिणामी दुर्घटनाएँ (जिनमें मृत्यु, चोट, या बुनियादी ढाँचे को नुकसान शामिल है) चिंता का प्रमुख कारण बनी हुई हैं। 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 में क्रमशः 34, 48 और 40 ऐसी घटनाएँ दर्ज की गईं।
- **हाल की घटनाएँ:** जून 2023 में बालासोर दुर्घटना, जिसमें 275 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई, रेलवे प्रणाली में बने हुए जोखिमों का स्पष्ट उदाहरण है।

रेल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

- **पटरी से उतरना:** यह 70% दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है, जो प्रायः पुराने बुनियादी ढाँचे, ट्रैक की खराब स्थिति और परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण होती हैं।
- **मानवीय त्रुटियाँ:** कर्मचारियों की थकान, लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण होने वाली त्रुटियाँ, साथ ही संगठनात्मक समस्याएँ, जो पारदर्शी संचार में बाधा डालती हैं।
- **सिग्नलिंग विफलताएँ:** सिग्नलिंग प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियाँ या मानवीय त्रुटियों के कारण बालासोर और कवारैपेट्टई जैसी बड़ी दुर्घटनाएँ घटी हैं।
- **मानवरहित लेवल क्रॉसिंग (यूएमएलसी):** ब्रॉड गेज मानवरहित क्रॉसिंग को हटा दिए जाने के बावजूद, मानवीय भूल और बुनियादी ढाँचे के मुद्दों के कारण मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएँ निरंतर होती रहती हैं।
- **बुनियादी ढाँचे में दोष:** पुराना बुनियादी ढाँचा, खराब रखरखाव, भीड़-भाड़, और 100% से अधिक क्षमता पर परिचालन संबंधी तनाव से दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।
- **सुरक्षा और सूचना प्रवाह की चुनौतियाँ:** ऊर्ध्व-निम्न निरीक्षण दृष्टिकोण, अपर्याप्त सुरक्षा जांच, खराब अनुपालन और अनदेखी समस्याएँ सुरक्षा में खामियाँ उत्पन्न करती हैं।

कवच की भूमिका:

- **स्वचालित सुरक्षा प्रणाली:** 'कवच' प्रणाली ट्रेन की स्थिति पर निगरानी रखते हुए अलार्म या स्वचालित ब्रेक को सक्रिय करके टकराव को रोकने का कार्य करती है।
- **तैनाती की प्रगति:** 2024 तक, 'कवच' प्रणाली भारतीय रेलवे नेटवर्क के केवल 2% (1,465 मार्ग किलोमीटर) हिस्से में तैनात हुई।
- **लागत और चुनौतियाँ:** इस प्रणाली की लागत प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपये और प्रति लोकोमोटिव 70 लाख रुपये है और बालासोर जैसी घटनाओं के बाद इसकी धीमी तैनाती चिंता का

विषय बन गई है।

भारतीय रेलवे के समक्ष चुनौतियाँ:

- **वित्तीय एवं परिचालन संबंधी बाधाएँ:**
    - » **परिचालन अनुपात:** 2024-2025 के लिए अनुमानित परिचालन अनुपात 98.2% है, जो सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए उपलब्ध धनराशि को सीमित करता है।
    - » **माल ढुलाई सेवाएँ:** नेटवर्क की भीड़भाड़ के कारण माल ढुलाई सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं, जिसमें केवल पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा ही चालू है।
    - » **बुनियादी ढाँचे पर दबाव:** पुराना बुनियादी ढाँचा और अपर्याप्त निवेश परिचालन दक्षता और सुरक्षा में बाधा डालते हैं।
- **यात्री सेवाएँ एवं हानियाँ:**
    - » **वित्तीय घाटा:** रद्दीकरण, कम किराए और अकुशलता के कारण 2021-2022 में रेलवे को 68,269 करोड़ का नुकसान हुआ।
    - » **राजस्व उपाय:** राजस्व बढ़ाने के लिए स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचों को महंगे एसी कोचों से बदला गया है, लेकिन 2020 से किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
    - » **यात्री यातायात वृद्धि:** 2024-2025 में अनुमानित यात्री राजस्व 80,000 करोड़ है, जो बुनियादी ढाँचे पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

कवच जैसी सुरक्षा प्रणालियों का कार्यान्वयन आशाजनक है, हालांकि इसकी तैनाती में गति की कमी और वित्तीय बाधाएँ प्रगति को सीमित कर रही हैं। इन समस्याओं का समाधान तेज सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन, बेहतर संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से किया जा सकता है, जो रेलवे सुरक्षा और संचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित 'विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण रिपोर्ट' में 'लैंगिक समानता के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपयोग' विषय पर केंद्रित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के तहत 171 देशों में लागू लगभग 1,000 सामाजिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, केवल 18% उपाय महिलाओं की आर्थिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा लैंगिक विषमताओं को उजागर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दो अरब से अधिक महिलाएं और लड़कियां गरीबी की गहरी चपेट में हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर सीमित ध्यान:** 171 देशों में लगभग 1,000 सामाजिक सुरक्षा उपायों में से केवल 18% ही महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित हैं। यह उनके विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी को स्पष्ट करता है और उनकी आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाता है।
- **गरीबी के प्रति अनुपातहीन संवेदनशीलता:** 25-34 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के पुरुषों की तुलना में अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना 25% अधिक है। लिंग-विशिष्ट कमजोरियों, जैसे मातृत्व अवकाश की कमी और मुद्रास्फीति के प्रभाव, इस आर्थिक असमानता को और गहरा करती हैं।
- **मातृत्व लाभ की कमी:** वैश्विक स्तर पर 63% महिलाएँ मातृत्व लाभ से वंचित हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में यह आंकड़ा 94% है। इस कमी से महिलाओं की आर्थिक स्थिरता और उनके बच्चों के कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटकों का प्रभाव:** संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को स्थिर परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अत्यधिक गरीबी का अनुभव होने की संभावना 7.7 गुना अधिक होती है। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट जैसे कारक लिंग-विशिष्ट जोखिमों को और बढ़ाते हैं।
- **मुद्रास्फीति और बढ़ती लागतें:** हालिया मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है। इससे निम्न-आय वाले परिवारों में आर्थिक असमानता और बढ़ रही है, जिससे उनका आर्थिक संघर्ष और गहरा हो रहा है।

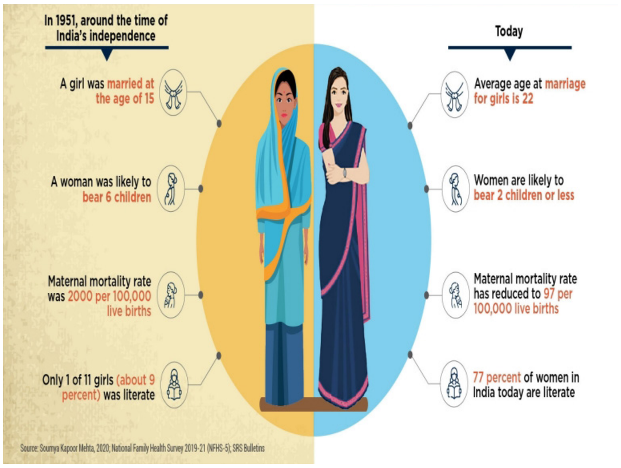

लिंग-आधारित सामाजिक संरक्षण की प्रगति और उदाहरण:

- **मंगोलिया:** अनौपचारिक श्रमिकों और चरवाहों के लिए मातृत्व अवकाश में सुधार किया गया, और देखभाल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पितृत्व अवकाश का भी विस्तार हुआ।

- **मेक्सिको और ट्यूनीशिया:** घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को अधिक कवरेज मिला।
- **सेनेगल:** संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के लिए अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- रिपोर्ट में सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वे गरीबी में कमी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता दें। लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ विशेष रूप से संकट की स्थितियों में लचीलापन बढ़ाने और दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं।

कम आय वाले देशों के लिए चुनौतियाँ:

- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जहाँ कई देश सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं, वहीं कम आय वाले देशों को इन प्रणालियों के वित्तपोषण में गंभीर चुनौतियाँ हैं। कम आय वाले देशों में बुनियादी सामाजिक सुरक्षा स्तर को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त $77.9 बिलियन (जीडीपी का 15.9%) की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट में गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंग-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, विशेषकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो कमजोर स्थितियों में हैं।

भारत की शिक्षा में निरंतर निवेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा 2015 से 2024 तक की वैश्विक शिक्षा निवेश प्रवृत्तियों पर प्रकाशित रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा क्षेत्र में निरंतर और स्थिर निवेश के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रमुखता से उजागर किया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से अधिक निवेश किया है। शिक्षा में निवेश में वैश्विक गिरावट के बावजूद, भारत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बना हुआ है तथा उसने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद और सरकारी व्यय में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **शिक्षा के लिए जीडीपी आवंटन:** भारत ने शिक्षा के लिए अपने जीडीपी का 4.1% से 4.6% तक आवंटित किया है, जोकि शशिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शनश के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा के लिए जीडीपी का 4-6% आवंटित करने की सिफारिश की गई है। यह आवंटन भारत की शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **शिक्षा पर सरकारी व्यय:** भारत का शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय 13.5% से 17.2% के बीच रहा है, जोकि शशिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शनश के अनुरूप है। शिक्षा पर निरंतर निवेश देश के शैक्षिक लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- **क्षेत्रीय रुझान:** भारत का शिक्षा निवेश दक्षिण एशिया में कई देशों से अधिक है। नेपाल और भूटान जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% शिक्षा पर खर्च करते हैं, वही भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अधिक निवेश करता है और एशिया में चीन और जापान से भी आगे है।
- **वैश्विक रुझान:** 2010 में शिक्षा पर दुनिया का औसत सार्वजनिक व्यय 13.2% था, जो 2020 में घटकर 12.5% हो गया। कोविड-19 के बाद इसमें और कमी आई। भारत का स्थिर निवेश इस वैश्विक रुझान के विपरीत है, जो सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) को प्राप्त करने पर इसके फोकस को दर्शाता है।
- **मध्य और दक्षिणी एशिया में व्यय:** भारत का व्यय मध्य और दक्षिणी एशिया में दूसरे स्थान पर है, जोकि भूटान से पीछे है, लेकिन मालदीव, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आगे है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ:

- **संसाधनों की कमी:** वित्तपोषण एक प्रमुख समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि पिछले सात वर्षों में शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन कुल व्यय के 10.4% से घटकर 9.5% रह गया है।
- **शिक्षण की गुणवत्ता:** शिक्षकों की कमी, पुराने पाठ्यक्रम और अप्रभावी शिक्षण पद्धतियाँ कई संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
- **पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ:** कई स्कूल अभी भी पुरानी शिक्षण विधियों पर निर्भर हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी या दृश्य-श्रव्य सहायता का समावेश नहीं हो पाता।
- **निजीकरण:** भारत में 50% से अधिक शिक्षा निजी संस्थानों द्वारा दी जाती है, जिनमें गुणवत्ता के बजाय लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे शैक्षिक मानकों में गिरावट आती है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** कक्षाओं, स्कूलों और संसाधनों की कमी कई स्कूलों में शिक्षा की प्रभावशीलता को सीमित करती है।

निष्कर्ष:

भारत द्वारा शिक्षा में लगातार किया जा रहा निवेश सकारात्मक कदम है, लेकिन निरंतर प्रगति के लिए संसाधन की कमी, पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ, निजीकरण और खराब बुनियादी ढाँचे जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। भारत को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण बढ़ाने, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने और बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

ब्रेन बूस्टर

डिजिटल गिरफ्तारी

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' के नाम से जाने जाने वाले एक उभरते ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी है। कुछ लोगों को कथित तौर पर धोखेबाजों द्वारा लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है, जो पुलिस या कर अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए अपने पीड़ितों से संपर्क करते हैं और उन पर झूठे आरोप लगाते हैं।

डिजिटल गिरफ्तारी

- **अधिकारियों का प्रतिरूपण:** घोटालेबाज पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, आरबीआई या ईडी जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के रूप में खुद को पेश करते हैं।
- **धमकाने की तकनीक:** पीड़ितों को फोन कॉल आते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी या उनके नाम पर पास नकली पासपोर्ट आदि।
- **पारिवारिक आपातकालीन रणनीति:** घोटालेबाज परिवार के किसी सदस्य के कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों या दुर्घटनाओं में शामिल होने की स्थिति भी बना सकते हैं, पीड़ितों पर 'समस्या' को हल करने के लिए पैसे देने का दबाव डाल सकते हैं।
- **डिजिटल कारावास:** कुछ पीड़ितों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' का एक रूप अनुभव होता है, जहाँ उन्हें घोटालेबाजों के साथ वीडियो कॉल पर तब तक रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जब तक कि उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं।
- **मौद्रिक जबरन वसूली:** अपराधी पीड़ितों के खिलाफ बनाए गए मनगढ़ंत कानूनी मामलों को उजागर न करने के बदले में भुगतान की माँग कर रहे हैं।

डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से निपटने के लिए की गई कार्रवाई

खाता ब्लॉक करने की पहल:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने सरकारी अधिकारियों के रूप में साइबर अपराधियों द्वारा किए गए डराने-धमकाने, ब्लैकमेल करने, जबरन वसूली करने और 'डिजिटल गिरफ्तारी' से जुड़े कई स्काइप खातों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है।

सीमा पार आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करना:

- गृह मंत्रालय ने पहचान की है कि ये घोटाले अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट द्वारा किए जाते हैं, जो एक बड़े, संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध ढांचे में उनकी भागीदारी को दर्शाता है।

सार्वजनिक अलर्ट और शिक्षा:

- I4C ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 'साइबरदोस्त' के साथ-साथ अन्य संचार चैनलों के माध्यम से इन धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में कई चेतावनियाँ जारी की हैं।

रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना:

- जिन लोगों को संदिग्ध कॉल आती हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे सहायता के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन या 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' का उपयोग करके घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करें।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को जनवरी 2021 में गृह मंत्रालय (MHA) के हिस्से के रूप में साइबर अपराध से निपटने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- I4C साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच प्रयासों के समन्वय के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **बहु-एजेंसी सहयोग:** I4C साइबर खतरों के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया बनाने के लिए कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा संगठनों सहित कई सरकारी एजेंसियों के साथ काम करता है।

ब्रेन बूस्टर

क्रूज भारत मिशन

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से 'क्रूज भारत मिशन' का शुभारंभ किया। देश में क्रूज पर्यटन की जबरदस्त क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पाँच वर्षों के भीतर क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करके देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाना है।

उद्देश्य

- **यात्रियों की संख्या में वृद्धि:** भारत आने वाले क्रूज पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और घरेलू क्रूज समर्थकों दोनों को लक्षित करना।
- **बुनियादी ढांचे में वृद्धि:** बड़े क्रूज जहाजों को संभालने के लिए बंदरगाह सुविधाओं का विकास और उन्नयन करना, जिससे सुचारू रूप से जहाज पर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** क्रूज यातायात में वृद्धि के माध्यम से पर्यटन, आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** क्रूज पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए क्रूज उद्योग के भीतर पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

मुख्य विशेषताएँ

गंतव्य विकास:

- **क्रूज बंदरगाह:** मुंबई, गोवा, कोचीन और चेन्नई जैसे प्रमुख क्रूज बंदरगाहों को प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **क्रूज सर्किट:** ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक आकर्षणों और सांस्कृतिक अनुभवों को शामिल करते हुए विशिष्ट क्रूज यात्रा कार्यक्रम बनाना, जो विभिन्न तटीय शहरों को जोड़ते हों।

सार्वजनिक-निजी सहयोग:

- निवेश और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों, निजी क्रूज ऑपरेटरों और पर्यटन बोर्डों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- क्रूज पर्यटन के लाभों को व्यापक बनाने के लिए व्यवसायों और समुदायों सहित स्थानीय हितधारकों को शामिल करना।

नियामक ढांचा:

- यात्रियों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्रूज पर्यटन के अनुरूप सुरक्षा और सुरक्षा नियम

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

जागरूकता और प्रचार:

- क्रूज गंतव्यों के रूप में भारत के आकर्षणों को उजागर करने के लिए अभियान शुरू करके, सांस्कृतिक उत्सवों, व्यंजनों और साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये।
- वैश्विक मंच पर भारत को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लें।

प्रशिक्षण और कौशल विकास:

- सेवा की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए बंदरगाहों, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें।
- क्रूज प्रबंधन और पर्यटन में विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करें।

अपेक्षित परिणाम

- **पर्यटन राजस्व में वृद्धि:** इस मिशन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में यात्री यातायात और संबंधित व्यय में वृद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।
- **रोजगार सृजन:** आतिथ्य, परिवहन और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच बातचीत के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाना।

ब्रेन बूस्टर

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसका वित्तीय परिव्यय 10,103 करोड़ रुपये होगा।

उद्देश्य

- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **आयात निर्भरता कम करना:** खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करना, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ है।
- **किसानों का समर्थन:** खेती को बढ़ावा देकर और उन्हें आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करके तिलहन किसानों की आय में वृद्धि करना।
- **सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना:** तिलहन खेती में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख घटक

- **प्रमुख तिलहनों पर ध्यान केंद्रित करना:** मिशन का लक्ष्य मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और तिल सहित विभिन्न तिलहन फसलों को लक्षित करना है।

अनुसंधान और विकास:

- तिलहनों की उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना।
- ऐसी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देना जो तेल निष्कर्षण दक्षता में सुधार करती हैं।

वित्तीय सहायता:

- किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना।
- तिलहन किसानों के लिए ऋण और बीमा तक पहुँच को सुगम बनाना।

बुनियादी ढाँचा विकास:

- कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तिलहन प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाओं में सुधार करना।
- किसानों को बाजारों से जोड़ने के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला तंत्र विकसित करना।

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** जमीनी स्तर पर मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:**
  - उत्पादन स्तरों और किसानों की आय पर प्रगति और प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा स्थापित करना।
  - फीडबैक और बदलती कृषि स्थितियों के आधार पर रणनीतियों का नियमित रूप से मूल्यांकन और अनुकूलन करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** तिलहन की खेती के लाभों और मिशन के तहत उपलब्ध सहायता के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

अपेक्षित परिणाम

- **तिलहन उत्पादन में वृद्धि:** तिलहनों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता में योगदान।
- **किसानों के लिए आर्थिक लाभ:** उत्पादन और बाजार पहुंच में वृद्धि के कारण तिलहन किसानों की आजीविका और आय में सुधार।
- **सततता:** पर्यावरणीय लाभ के लिए सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना।

ब्रेन बूस्टर

नमो ड्रोन दीदी योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमो ड्रोन दीदी' के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का सार्थक उपयोग करें।

उद्देश्य

- **महिला सशक्तिकरण:** प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
- **ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य सेवा और रसद में दक्षता बढ़ाना।
- **सतत विकास:** पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए उत्पादकता में सुधार करने वाली स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ

कौशल विकास और प्रशिक्षण:

- ड्रोन संचालन, रखरखाव और अनुप्रयोगों पर महिलाओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वित्तीय सहायता:

- ड्रोन-आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए वित्त पोषण और सब्सिडी तक पहुँच।
- ड्रोन और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने या पट्टे पर देने के लिए सहायता।

जागरूकता अभियान:

- ग्रामीण महिलाओं के बीच ड्रोन प्रौद्योगिकी के लाभों और इसके अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान।
- कृषि, वितरण सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया में ड्रोन कैसे सहायता कर सकते हैं, इस पर सूचना का प्रसार।

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

भागीदारी:

- प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग करना।
- सामुदायिक स्तर पर कार्यान्वयन और सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय सरकारों को शामिल करना।

पायलट परियोजनाएँ:

- कृषि और वितरण में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ शुरू करना।
- प्रशिक्षण और परिचालन रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए इन परियोजनाओं से डेटा और प्रतिक्रिया एकत्र करना।

नीति समर्थन:

- महिला सशक्तिकरण और तकनीकी उन्नति पर केंद्रित व्यापक सरकारी पहलों के साथ योजना को संरेखित करना।

अपेक्षित परिणाम

आर्थिक भागीदारी में वृद्धि:

- नए रोजगार अवसरों और उद्यमशीलता उपक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि।
- ड्रोन प्रौद्योगिकी में कुशल कार्यबल का निर्माण, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान।

बेहतर कृषि पद्धतियाँ:

- फसल निगरानी, हवाई छिड़काव और मिट्टी विश्लेषण जैसे कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग के माध्यम से कृषि कार्यों में दक्षता में वृद्धि।
- पारंपरिक कृषि विधियों पर खर्च होने वाली लागत और समय में कमी।

ब्रेन बूस्टर

कोल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती

कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 3 नवंबर, 2024 को कोलकाता स्थित सीआईएल मुख्यालय में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में न केवल पिछले पांच दशकों में देश के ऊर्जा क्षेत्र में सीआईएल के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाया गया, बल्कि इसके भविष्य की पहलों और रणनीतिक दिशा के लिए आधारशिला भी रखी गई।

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में

- यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है और दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **स्थापना:** नवंबर 1975
- **मुख्यालय:** कोलकाता, पश्चिम बंगाल

प्रमुख कार्य

- **कोयला खनन:** सीआईएल मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में शामिल है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** निष्कर्षण, प्रसंस्करण और परिवहन सहित संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करता है।

उत्पादन और संचालन

- **उत्पादन क्षमता:** सीआईएल की उत्पादन क्षमता 600 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है।
- **खनन संचालन:** झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में 300 से अधिक खदानों का संचालन करता है।
- **कोयले के प्रकार:** थर्मल कोयला (बिजली उत्पादन के लिए) और धातुकर्म कोयला (इस्पात उत्पादन के लिए) दोनों का उत्पादन करता है।
- **रोजगार सृजन:** सीआईएल के संचालन से खनन और संबंधित उद्योगों में रोजगार का समर्थन होता है, जो आर्थिक विकास और सामुदायिक विकास में योगदान देता है।

पर्यावरण और सामाजिक पहल

- **सततता प्रयास:** सीआईएल पुनर्वास, वनरोपण और अपशिष्ट प्रबंधन में पहल के माध्यम से अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में काम कर रहा है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):** खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास पर केंद्रित विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में संलग्न है।

ऊर्जा सुरक्षा में भूमिका

- **बिजली उत्पादन:** थर्मल पावर प्लांट के लिए आवश्यक कोयले के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है, जिससे भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** पर्यावरण क्षरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और खनन गतिविधियों के सामाजिक प्रभाव को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण:** जैसे-जैसे भारत हरित ऊर्जा मिश्रण की ओर बढ़ रहा है, सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विविधीकरण की संभावना तलाश रहा है।

ब्रेन बूस्टर

भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना

भारत ने जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के पक्षों के सम्मेलन (सीओपी 16) की 16वीं बैठक में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविध ता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) जारी की।

मुख्य उद्देश्य

जैव विविधता का संरक्षण:

- वन, आर्द्रभूमि, घास के मैदान और समुद्री क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण आवासों और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना।
- लक्षित संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करना।

जैविक संसाधनों का सतत उपयोग:

- ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देना जो जैविक संसाधनों के सतत निष्कर्षण और उपयोग की अनुमति देती हैं।
- खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने वाली कृषि-जैव विविधता और पारंपरिक कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

विस्तृत घटक

जैव विविधता मूल्यांकन:

- वनस्पति, जीव-जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र सहित भारत की जैव विविधता की व्यापक सूची और मूल्यांकन।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट और तत्काल संरक्षण कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान।

नीति और संस्थागत ढांचा:

- जैव विविधता के मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों (जैसे, पर्यावरण, कृषि, वानिकी) के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करना।

कार्रवाई कार्यक्रम:

- विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों को लक्षित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम:
  - » **वन:** सामुदायिक वानिकी, पुनर्वनीकरण और वन-निर्भर आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  - » **समुद्री और तटीय:** समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं की स्थापना के माध्यम से समुद्री जैव विविधता का संरक्षण।
  - » **आर्द्रभूमि:** जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए आर्द्रभूमि की बहाली और संरक्षण।

निगरानी और मूल्यांकन:

- जैव विविधता संरक्षण में प्रगति को मापने के लिए संकेतकों का विकास।
- संरक्षण रणनीतियों और कार्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित रिपोर्टिंग तंत्र।

कार्यान्वयन के लिए मुख्य रणनीतियाँ

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क:

- पारिस्थितिकी तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी सहित मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना।

अनुसंधान और क्षमता निर्माण:

- पारिस्थितिकी अध्ययन, वर्गीकरण और संरक्षण तकनीकों सहित जैव विविधता से संबंधित ज्ञान अंतराल को भरने के लिए अनुसंधान में निवेश करना।

सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:

- जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की पहल।

ब्रेन बूस्टर

भारत में रक्षा विनिर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा-एयरबस विमान असेंबली सुविधा परिसर का उद्घाटन किया। यह सुविधा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड परिसर में सी-295 विमान का निर्माण करेगी। यह संस्था सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की अंतिम असेंबली लाइन (FAL) होगी, जिससे देश की एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

नीतिगत ढांचा

- **मेक इन इंडिया:** 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य रक्षा सहित घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करता है।
- **रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी):** स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

सरकारी पहल

- **रक्षा उत्पादन नीति:** रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** सरकार नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू), निजी कंपनियों और विदेशी फर्मों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** यह आत्मनिर्भरता पहल रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर देती है, स्थानीय निर्माताओं को रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

प्रमुख रक्षा उत्पाद

- **विमान:** लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों का विकास।
- **मिसाइल सिस्टम:** अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस (रूस के सहयोग से) जैसे उन्नत मिसाइल कार्यक्रम और विभिन्न हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें।
- **नौसेना प्रणाली:** स्वदेशी पनडुब्बियाँ (जैसे, स्कॉर्पीन श्रेणी) और विमान वाहक और विध्वंसक सहित युद्धपोत।
- **रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स:** बीईएल जैसी कंपनियों द्वारा विकसित रडार, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली।

चुनौतियाँ

- **नौकरशाही के कारण बाधाएँ:** जटिल विनियामक प्रक्रियाएँ खरीद और परियोजना कार्यान्वयन को धीमा कर सकती हैं।
- **तकनीकी अंतराल:** यद्यपि प्रगति हुई है, परन्तु भारत को अभी भी स्वतंत्र रूप से अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वित्तपोषण और निवेश:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण में निवेश को बनाए रखना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

अनुसंधान एवं विकास

- **डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन):** भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी। डीआरडीओ मिसाइल प्रणालियों, विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करता है।
- **शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग:** रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी।

ब्रेन बूस्टर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने की घोषणा की है। 23 जुलाई, 2024 को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 से प्रभावी यह परिवर्तन, महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए वित्तपोषण को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

मुद्रा योजना के बारे में

- **मुद्रा (MUDRA):** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
- यह भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई के तहत माइक्रो यूनिट उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त पोषण के लिए स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।
- पीएमएमवाई का उद्देश्य हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है।

मुद्रा योजना की आवश्यकता

- छोटे व्यवसायों के लिए ऋण तक सीमित पहुंच
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना
- एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना
- रोजगार सृजन का समर्थन करना
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
- उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना
- सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करना
- माइक्रो फाइनेंसिंग सहायता

मुद्रा ऋण: श्रेणियाँ

- मुद्रा ऋण अब चार श्रेणियों में दिए जाएँगे:
  - **शिशु:** 50,000/- रुपये तक के ऋण को कवर करना
  - **किशोर:** 50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना
  - **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना
  - **तरुण प्लस:** 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक

मुद्रा कार्ड

- मुद्रा कार्ड एक अभिनव ऋण उत्पाद है, जिसमें उधारकर्ता परेशानी मुक्त और लचीले तरीके से ऋण प्राप्त कर सकता है।
- यह उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी व्यवस्था की सुविधा प्रदान करता है।
- चूंकि मुद्रा कार्ड एक RuPay डेबिट कार्ड है, इसलिए इसका उपयोग एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से नकदी निकालने या पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन का उपयोग करके खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है।
- अधिशेष नकदी उपलब्ध होने पर राशि चुकाने की सुविधा भी है, जिससे ब्याज लागत कम हो जाती है।

मुद्रा ऐप

- **ऐप:** मुद्रा मित्र
- यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, जो मुद्रा और इसके विभिन्न उत्पादों/योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- यह ऋण चाहने वाले को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकर से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।
- उपयोगकर्ता इस ऐप में नमूना ऋण आवेदन फॉर्म सहित उपयोगी ऋण संबंधी सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं।

ब्रेन बूस्टर

टीबी मुक्त भारत की ओर

तपेदिक (टीबी) उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय 17.7 % की गिरावट आई है, यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3 % से दोगुनी है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 में बताया है।

भारत में तपेदिक को समाप्त करने के लिए रणनीतियाँ और लक्ष्य

- एसडीजी लक्ष्य 3.3 का लक्ष्य 'एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना और 2030 तक हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से लड़ना है।'
- इस लक्ष्य के अंतर्गत टीबी के संकेतकों में शामिल हैं:
  - 2015 के स्तर की तुलना में टीबी की घटना दर (प्रति लाख जनसंख्या पर नए मामले) में 80% की कमी।
  - 2015 के स्तर की तुलना में टीबी मृत्यु दर में 90% की कमी।
  - टीबी से प्रभावित शून्य परिवार जो बीमारी के कारण भयावह व्यय का सामना कर रहे हों।
- भारत में, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

इसका उद्देश्य 2025 तक टीबी की घटनाओं को प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1 मामले से कम करना है तथा 2030 तक क्षय रोग को समाप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य है।

एनटीईपी के मुख्य उद्देश्य

- **प्रारंभिक निदान:** नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से टीबी का शीघ्र पता लगाना और निदान करना।
- **सार्वभौमिक उपचार:** सभी टीबी रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना, जिसमें दवा-प्रतिरोधी टीबी (डीआर-टीबी) और बहु-दवा-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) वाले रोगी भी शामिल हैं।
- **संपर्क अनुरेखण और सक्रिय मामले ढूँढना:** टीबी रोगियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना और नए संक्रमणों को रोकने के लिए प्रारंभिक परीक्षण प्रदान करना।
- **निवारक उपचार:** सक्रिय टीबी रोग के विकास को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले समूहों को निवारक चिकित्सा प्रदान करना।
- **निगरानी को मजबूत करना:** टीबी मामलों, उपचार परिणामों और दवा प्रतिरोध प्रवृत्तियों की बेहतर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए टीबी निगरानी प्रणाली में सुधार करना।
- **निजी क्षेत्र को शामिल करना:** निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा अनुमोदित उपचार प्रोटोकॉल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी टीबी रोगियों का इलाज एनटीईपी दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
- **समुदाय और हितधारक सहभागिता:** जागरूकता अभियान, उपचार सहायता और टीबी से जुड़े कलंक को दूर करने में स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को शामिल करना।
- **वित्तीय सहायता:** कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से रोगियों को सभी नैदानिक परीक्षण, उपचार और आवश्यक अनुवर्ती निःशुल्क प्रदान किए जाएं।

निष्कर्ष

भारत का व्यापक टीबी उन्मूलन दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है, जिसमें घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट और एक मजबूत स्वास्थ्य प्रतिक्रिया ढांचा शामिल है। क्रॉस-सेक्टर साझेदारी, अभिनव देखभाल समाधान और सामुदायिक जुड़ाव पर निरंतर जोर देने के साथ, भारत 2025 तक टीबी मुक्त राष्ट्र के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

ब्रेन बूस्टर

जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने के लिए इंडियाएआई मिशन

इंडियाएआई मिशन ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ के तहत जारी की गई रुचि की अभिव्यक्ति के बाद आठ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं की पहचान की है। एआई के जिम्मेदार विकास, तैनाती और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, ये चयनित परियोजनाएँ स्वदेशी उपकरण और ढाँचे बनाने पर केंद्रित हैं।

जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना

- जिम्मेदार एआई के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, इंडियाएआई ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर जिम्मेदार एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की थी। जिसमें शामिल थे:
  - मशीन अनलर्निंग
  - सिंथेटिक डेटा जेनरेशन
  - एआई पूर्वाग्रह शमन
  - नैतिक एआई फ्रेमवर्क
  - गोपनीयता बढ़ाने वाले उपकरण
  - व्याख्यात्मक एआई
  - एआई गवर्नेंस परीक्षण
  - एल्गोरिदम ऑडिटिंग टूल
- प्रस्तावों के मूल्यांकन में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक बहु-हितधारक समिति की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विषयों पर आठ परियोजनाओं का चयन हुआ।

इंडियाएआई मिशन के बारे में

इंडिया एआई मिशन एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:

- **जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना:** मिशन नैतिक एआई प्रथाओं को प्रोत्साहित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रहों को दूर करने पर केंद्रित है।
- **स्वदेशी समाधान:** इसका उद्देश्य स्थानीय डेटासेट का लाभ उठाते हुए भारत के अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के अनुरूप उपकरण, रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित करना है।
- **सहयोग:** मिशन एआई परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप, अनुसंधान संगठनों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **नवाचार में निवेश:** अनुसंधान और विकास का समर्थन करके, मिशन भारत को एआई प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है।

इंडियाएआई मिशन की आवश्यकता

इंडियाएआई मिशन कई कारणों से आवश्यक है:

- **सामाजिक प्रभाव:** एआई में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता है।
- **आर्थिक विकास:** एआई विकास को बढ़ावा देकर, मिशन विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समग्र आर्थिक उन्नति में योगदान मिलेगा।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने से भारत को वैश्विक एआई परिदृश्य में अग्रणी के रूप में स्थापित करने, निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- **नैतिक मानक:** मिशन जिम्मेदार एआई प्रथाओं पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकियों को नैतिक रूप से विकसित और तैनात किया जाए, पूर्वाग्रहों को कम किया जाए और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जाए।
- **कौशल विकास:** यह पहल एआई में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है, कार्यबल को एआई क्षेत्र में भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करती है।

निष्कर्ष

भारत में जिम्मेदार एआई तकनीक विकसित करने में इंडियाएआई मिशन सबसे आगे है। इस पहल के तहत चयनित परियोजनाएँ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि भविष्य की एआई तकनीकें जवाबदेही, निष्पक्षता और सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर विकसित की जाएँ

ब्रेन बूस्टर

वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना का विस्तार

यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, जनवरी 2023 में शुरू हुए चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग (GCBE4) घटना अब सबसे व्यापक है और 2014-2017 के कोरल ब्लीचिंग स्तरों से 11 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

कोरल ब्लीचिंग में योगदान देने वाले मुख्य कारक

महासागर का बढ़ता तापमान:

- जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। जब पानी का तापमान सामान्य सीमा से सिर्फ 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है, तो कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं और जूक्सैन्थेला को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ब्लीचिंग होती है।

महासागर का अम्लीकरण:

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में वृद्धि न केवल ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है, बल्कि महासागरों को अधिक CO_2 अवशोषित करने का कारण भी बन रही है।

प्रदूषण:

- प्रदूषण, कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र में विषाक्त पदार्थों और अत्यधिक पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जिससे कोरल स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है।

वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटनाओं का विस्तार

- हाल ही में वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल हैं:
  - पहली वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना, 1998
  - दूसरी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना, 2010
  - तीसरी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना 2014-2017

कोरल ब्लीचिंग के विस्तार के प्रभाव

- जैव विविधता का नुकसान
- आजीविका के लिए खतरा
- तटीय संरक्षण
- कोरल रीफ सेवाओं में कमी

संकट से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **जलवायु परिवर्तन को कम करना:** पेरिस समझौता और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वैश्विक प्रवाल विरंजन को और अधिक रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **प्रवाल भित्तियों की बहाली:** प्रवाल बागवानी, कृत्रिम भित्तियों और जीन संपादन जैसी तकनीकों का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र:** समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) स्थापित करने से प्रवाल भित्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे अत्यधिक मछली पकड़ने और तटीय विकास जैसे तनाव कम हो सकते हैं।
- **जागरूकता बढ़ाना और नीति परिवर्तन:** प्रवाल विरंजन संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सार्वजनिक जागरूकता और नीति कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं का विस्तार समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। जैसे-जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता जा रहा है, कोरल रीफ्स के क्षरण और नुकसान का जोखिम बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को कम करने, कोरल रीफ्स की सुरक्षा करने और इन अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्रों की लचीलापन बनाए रखने के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है

ब्रेन बूस्टर

ग्रीन हाइड्रोजन पर अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों के लिए आमंत्रण जारी किया गया है।

उद्देश्य

- भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे दीर्घ अवधि में ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले।
- ये उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और उपयोग प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाकर कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण को गति देंगे।
- उत्कृष्टता केंद्र अत्याधुनिक अनुसंधान, कौशल विकास और ज्ञान प्रसार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेंगे।

ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में

ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ

- **स्वच्छ ऊर्जा:** इसका मुख्य लाभ यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ, कार्बन-तटस्थ ईंधन हो सकता है, जो उच्च कार्बन उत्पादक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा।
- **ऊर्जा भंडारण:** हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य कर सकता है, जब उत्पादन अधिक होता है तो अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा को संग्रहीत करता है और जब मांग अधिक होती है या अक्षय ऊर्जा उत्पादन कम होता है तो इस उर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग:**
  - **परिवहन:** इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फ्यूल सेल में किया जा सकता है, विशेष रूप से ट्रकों, बसों और जहाजों जैसे भारी परिवहन हेतु।
  - **उद्योग:** इसका उपयोग कई उद्योगों में फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है जहाँ हाइड्रोजन ऊष्मा के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए चुनौतियाँ

- **लागत:** वर्तमान में, इलेक्ट्रोलाइजर की लागत और बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता के कारण ग्रीन हाइड्रोजन महंगा है।
- **बुनियादी ढाँचा:** हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिससे इसका उपयोग बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **दक्षता:** कोई भी प्रक्रिया 100% कुशल नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान और बिजली को हाइड्रोजन में बदलने और फिर उपयोग करने पर वापस बिजली या गर्मी में बदलने की प्रक्रिया में ह्रास होता है।

निष्कर्ष

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का सरकार का निमंत्रण भारत में एक मजबूत हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाकर, भारत खुद को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में एक प्रमुख पक्ष के रूप में स्थापित कर सकता है, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में योगदान देता है

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

दार एस सलाम

आईएनएस सुवर्णा, अदन की खाड़ी में अपनी एंटी-पायरेसी तैनाती के दौरान, 19 से 21 अक्टूबर, 2024 तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर रुकी।

दार एस सलाम के बारे में:

- हिंद महासागर के तट पर स्थित दार एस सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार केंद्र रहा है, जिसने पूर्वी अफ्रीका और वैश्विक बाजार के बीच व्यापार और संपर्क को सरल बनाया है।
- शहर का रणनीतिक स्थान इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।
- तंजानिया की सीमा कई देशों से लगती है: उत्तर में युगांडा और केन्या, दक्षिण में मोजाम्बिक और पश्चिम में कांगो लो. कतांत्रिक गणराज्य।
- रुफिजी नदी तंजानिया में स्थित है और यह देश की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह नदी किलोमबेरो और लुवेगु नदियों के संगम से बनती है।

अल्जीरिया

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की राजकीय यात्रा पर थी।
- अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश है।
- यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर-पूर्व में ट्यूनीशिया और लीबिया, दक्षिण-पूर्व में नाइजर, दक्षिण-पश्चिम में माली, पश्चिम में पश्चिमी सहारा और उत्तर-पश्चिम में मोरक्को से घिरा है।
- इसकी राजधानी शहर अल्जीयर्स है।
- अल्जीरिया का समृद्ध इतिहास है, जोकि फोनीशियन, रोमन और अरबों सहित विभिन्न सभ्यताओं से प्रभावित है।
- देश ने एक लंबी और संघर्षपूर्ण मुक्ति युद्ध के बाद 1962 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की।

मॉरिटानिया

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानिया की राजकीय यात्रा पर थी।
- मॉरिटानिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में पश्चिमी सहारा, उत्तर-पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण-पूर्व में माली, तथा दक्षिण-पश्चिम में सेनेगल से लगती है।
- देश की विशेषता सहारा रेगिस्तान है, और इसकी एक छोटी आबादी राजधानी नौआकचॉट (Nouakchott) जैसे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।
- मॉरिटानिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, मछली पकड़ने और खनन, विशेष रूप से लौह अयस्क पर आधारित है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत अरब, बर्बर और अफ्रीकी परंपराओं से प्रभावित है।

मलावी

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी की राजकीय यात्रा पर थी।
- मलावी दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है, जिसकी सीमा उत्तर में तंजानिया, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में मोजाम्बिक, तथा पश्चिम में मलावी झील से लगती है।
- मलावी अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक मलावी झील भी शामिल है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है।
- राजधानी शहर लिलोंग्वे है, जबकि ब्लैंटायर देश का वाणिज्यिक केंद्र है। मलावी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें तंबाकू, चाय और कॉफी प्रमुख निर्यात हैं।
- देश को उसके गर्मजोशी भरे और मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें अक्सर 'अफ्रीका का गर्म दिल' कहा जाता है।

पावर पैक्ड न्यूज

‘क्रूज भारत मिशन’

हाल ही में केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से ‘क्रूज भारत मिशन’ का शुभारंभ किया। मिशन के मुख्य उद्देश्य 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या को दोगुना करना व भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है

मिशन के तहत तीन मुख्य क्रूज क्षेत्रः

- **महासागर और बंदरगाहः** समुद्री क्रूज के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **नदी और अंतर्देशीय जलमार्गः** नदी और जलमार्गों पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना।
- **द्वीप विकासः** द्वीपों पर क्रूज पर्यटन को विकसित करना और उनकी सुंदरता को दुनिया के सामने पेश करना।
- क्रूज भारत मिशन तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगाः
  - » **चरण 1 (1 अक्टूबर, 2024 - 30 सितंबर, 2025):** इस चरण में अध्ययन करने, मास्टर प्लानिंग करने और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - » **चरण 2 (1 अक्टूबर, 2025- 31 मार्च, 2027):** यह चरण उच्च-संभावित क्रूज स्थानों और सर्किटों को सक्रिय करने के लिए नए क्रूज टर्मिनलों, मरीनाओं और गंतव्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - » **चरण 3 (1 अप्रैल, 2027 - 31 मार्च, 2029):** यह अंतिम चरण भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीनः AFMS की पहली महिला महानिदेशक

- सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। उनका यह पद AFMS में 46वां है। रक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। वे सशस्त्र बलों की सभी चिकित्सा नीतियों की जिम्मेदारी संभालेंगी।
- वाइस एडमिरल आरती सरीन ने नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा सेवाओं की प्रमुख के रूप में काम किया है। इसके अलावा, वे पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय (AFMC) की प्रमुख रही हैं, जहां से उन्होंने पढ़ाई भी की है। उन्होंने दिसंबर 1985 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में शामिल होकर रेडियोडायग्नोसिस में एमडी की डिग्री प्राप्त की।
- उन्होंने टाटा मेमोरियल अस्पताल से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से गामा नाइफ सर्जरी में प्रशिक्षण लिया है। उन्हें 2024 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2021 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

पहला खो-खो विश्व कप 2025 में भारत में होगा आयोजित

- भारतीय खो-खो महासंघ (KKFI) ने अंतर्राष्ट्रीय खो-खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो-खो विश्व कप के आयोजन की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 16 पुरुष और 16 महिला टीमें हिस्सा लेंगी।
- विश्व कप से पहले, खेल को बढ़ावा देने के लिए KKFI 10 शहरों के 200 प्रमुख स्कूलों में खो-खो को लेकर जाने और स्कूली छात्रों के बीच सदस्यता अभियान चलाने की योजना बना रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खो-खो विश्व कप से पहले 50 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण करना है, जिससे खेल की लोकप्रियता को बढ़ाया जा सके।
- KKFI का लक्ष्य खो-खो को 2032 के ओलंपिक में शामिल कराने का है और यह विश्व कप उस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत ने खारिज की यूएससीआईआरएफ की धार्मिक रिपोर्ट

भारत ने हाल ही में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की एक रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने USCIRF पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और उसे सलाह दी कि वह अमेरिका के आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करे।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और कानूनी बदलाव शामिल हैं।
- भारत ने USCIRF के सदस्यों को लगातार वीजा देने से इनकार किया है, इसे अपने आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी माना है।
- विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि USCIRF भारत के बारे में लगातार एक मकसदपूर्ण और झूठी कहानी पेश कर रहा है।
- यह घटनाक्रम भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है।

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के बारे में:

- USCIRF एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय एजेंसी है, जिसे 1998 में वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। यह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों का आकलन करता है, अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है और धार्मिक उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी विदेश विभाग के साथ सहयोग भी करता है।

क्लाउडिया शीनबामः मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति

- हाल ही में 62 वर्षीय वैज्ञानिक और पूर्व मेक्सिको सिटी की मेयर, क्लाउडिया शीनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला।
- शीनबाम, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से है, उन्होंने ऊर्जा इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। शीनबाम की जीत मेक्सिको के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि वह देश की पहली महिला और पहली यहूदी राष्ट्रपति हैं।
- राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्लॉडिया शेनबॉम ने वादा किया है कि उनकी नीतियों से देश में अपराध दरों में कमी आएगी। वर्तमान में मेक्सिको में 1 लाख में से 23 लोगों की हर साल हत्या हो जाती है। उनके मेक्सिको मेयर के कार्यकाल के दौरान शहर में अपराध दरों में 50 फीसदी तक की गिरावट आई थी।

समुद्री अभ्यास मालाबार 2024

- समुद्री अभ्यास मालाबार 2024, 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने किया और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी हुई।
- यह अभ्यास विशाखापत्तनम में हार्बर फेज से शुरू होकर समुद्र फेज में प्रवेश करेगा, जिसका उद्देश्य नौसेना के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। मूल रूप से 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ मालाबार, अब एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन बन गया है।
- भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी और विमान तैनात करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान अपने-अपने पोत जैसे HMAS Stuart, USS Dewey और JS Ariake तथा उनके नौसेना के विमान भेजेंगे। चारों देशों की विशेष बलों की भी भागीदारी होगी।
- मालाबार 2024 का मुख्य फोकस पनडुब्बी-रोधी युद्ध, वायु रक्षा और सतह युद्ध पर होगा, जिसमें विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र जागरूकता गतिविधियाँ शामिल होंगी। यह अभ्यास अब तक का सबसे व्यापक संस्करण होने की उम्मीद है।

10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव (IISF) IIT गुवाहाटी में होगा आयोजित

- 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव (IISF) गुवाहाटी में आयोजित होगा। पूर्वोत्तर भारत अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव (IISF) की मेजबानी करेगा, जो 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक IIT गुवाहाटी में आयोजित होगा।
- IISF का यह 10वां संस्करण, इस क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वोत्तर को भारत की विकास यात्रा में एक प्रमुख भूमिका में लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- उत्सव की थीम 'भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण हब में परिवर्तित करना' है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करती है। यह उत्सव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों पर प्रकाश डालेगा, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर भारत को विनिर्माण में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने का लक्ष्य रखती हैं।

- IISF-2024 वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, छात्रों और जनता के लिए विज्ञान-आधारित आर्थिक प्रगति पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा।

आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के तहत पहले Mpox डायग्नोस्टिक टेस्ट को दी मंजूरी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के तहत Mpox (जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था) के लिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दे दी है।
- 'एलिनिटी एम एमपीएक्सवी एसे' (Alinity m MPXV assay) नामक इस टेस्ट को एबॉट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा विकसित किया गया था और यह Mpox प्रकोप का सामना कर रहे देशों में परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो फ्लू जैसे लक्षणों, त्वचा पर चकत्ते और फफोले का कारण बनती है, अफ्रीका में विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी), बुरुंडी और नाइजीरिया में इसका महत्वपूर्ण प्रकोप दर्ज किया गया है।
- 2024 में अफ्रीका में 30,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, लेकिन परीक्षण सीमित कर दिया गया है, केवल 37% मामलों का परीक्षण डीआरसी में किया गया है।
- 'एलिनिटी एम एमपीएक्सवी एसे', एक वास्तविक समय पीसीआर परीक्षण है जो त्वचा के घावों के नमूनों से मंकीपॉक्स वायरस (क्लैड्स I/II) का पता लगाता है, जिससे तेज और अधिक सटीक निदान मिलता है।
- डब्ल्यूएचओ की ईयूएल प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिसमें अधिक परीक्षण अनुप्रयोगों की समीक्षा की जाती है। इस स्वीकृति से शीघ्र पहचान, उपचार और प्रकोप प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है।

'निजुत मोइना' योजना

- हाल ही में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम में 'निजुत मोइना' योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता वितरण शुरू किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खानापारा में एक समारोह में कामरूप (एम), कामरूप और मोरीगांव जिलों की 24,384 पात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता के रूप में चेक प्रदान किए।
- निजुत मोइना असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2024 को बाल विवाह के खिलाफ अभियान के रूप में की गई थी।
- अगले तीन वर्षों में इस योजना के तहत 10 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। असमिया में 'निजुत मोइना' का अर्थ 'दस लाख लड़कियाँ' है।

प्रधानमंत्री ने 'बंजारा हेरिटेज' नंगारा म्यूजियम का उद्घाटन किया

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पोहरादेवी में 'बंजारा हेरिटेज' नंगारा म्यूजियम का उद्घाटन किया।
- नंगारा म्यूजियम की योजना 2018 में संजय राठौड़ द्वारा बनाई गई थी ताकि बंजारा समुदाय की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा सके। आज यह एक विश्वस्तरीय म्यूजियम के रूप में खड़ा है।
- यह म्यूजियम 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाता है।
- इसमें पांच मंजिलें और 13 गैलरी हैं, जो बंजारा समुदाय के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती हैं।
- म्यूजियम में फ्लाइंग थिएटर, मूविंग प्लेटफॉर्म और रंबलिंग प्लेटफॉर्म जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो एक शानदार अनुभव प्रदान करती हैं। यहां बंजारा समुदाय के इतिहास की जानकारी सात अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, जो इसे वैश्विक मानक का अनुभव प्रदान करती है।
- महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मनोरा तालुका में स्थित पोहरादेवी, बंजारा समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बंजारा समुदाय का काशी भी कहा जाता है। यहां संत सेवालाल महाराज की समाधि है, जिन्हें पूरे भारत के 10 करोड़ से ज्यादा बंजारा लोग पूजते हैं और रामरावबापू महाराज की समाधि भी है।

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- हाल ही में 8 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये।
- दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को उनके उल्लेखनीय करियर के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ऋषभ शेट्टी को कंतारा में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि नित्या मेनन और मानसी पारेख ने थिरुचित्रम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब साझा किया।

वर्ग	विजेता	फिल्म
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	आट्टम	
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म	गुलमोहर	
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक (गीत)	प्रीतम	ब्रह्मास्त्र
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक	ए.आर. रहमान	पोंनियिन सेल्वन भाग-1
सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक	अरिजीत सिंह	केसरिया (ब्रह्मास्त्र से)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	सूरज बड़जात्या	ऊँचाई
सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार	श्रीपथ	मलिकप्पुरम (मलयालम)

दीपा करमाकर ने लिया संन्यास

- हाल ही में भारत की मशहूर जिमनास्ट, दीपा करमाकर ने सोशल मीडिया पर संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा करमाकर त्रिपुरा के अगरतला की रहने वाली है। 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2015 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था।
- दीपा दुनिया की उन चुनिंदा जिमनास्टों में से एक हैं जिन्होंने प्रसिद्ध प्रोडुनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक किया है।
- दीपा ने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं।
- ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली दीपा पहली भारतीय महिला जिमनास्ट हैं।
- उन्हें 2017 में पद्म श्री से, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2015 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का निधन

- भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
- रतन टाटा, जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, ने 1991 से 2012 तक टाटा समूह को एक भारतीय कंपनी से एक वैश्विक संस्था में बदला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की आय $5.7 बिलियन से बढ़कर लगभग $100 बिलियन तक हो गई।
- उन्होंने टाटा टी द्वारा टेटली और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर की खरीद जैसे महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवसाय के अलावा, वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जनकल्याण जैसे सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित थे, जिसे उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाया।

प्रीडेटर ड्रोन

- भारत की कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना और सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिनमें परमाणु-संचालित हमला पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन का अधिग्रहण शामिल है।
- ये पनडुब्बियां विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ बनाई जाएंगी, जिससे भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक शक्ति मजबूत होगी।

- इसके अतिरिक्त, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन मॉडल वाले MQ-9B ड्रोन भारत की खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) क्षमताओं में सुधार करेंगे, साथ ही समुद्री और पर्वतीय क्षेत्रों में सटीक हमले करने में सक्षम होंगे।
- इन ड्रोन को एक विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) अनुबंध के तहत भारत में असेंबल किया जाएगा।

MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के बारे में:

- MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है जो उपग्रह संचार का उपयोग करके 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। इसके दो संस्करण हैं: MQ-9B Sea Guardian, जिसे समुद्री उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और Sky Guardian, जिसे भूमि संचालन के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (NMHC)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दी है। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।
  - चरण 1A: वर्तमान में इस चरण में अधिक प्रगति से कार्य किया जा रहा है, इसमें एक संग्रहालय शामिल होगा जिसमें छह दीर्घाएँ होंगी, जिनमें से एक भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को समर्पित होगी और लोथल टाउनशिप का प्रतिकृति मॉडल होगा।
  - चरण 1B: इसमें आठ और दीर्घाएँ, एक लाइटहाउस संग्रहालय और आगंतुकों के लिए सुविधाओं के साथ एक बगीचा परिसर जोड़ा जाएगा।
  - चरण 2: तटीय राज्यों के मंडप, एक आतिथ्य क्षेत्र, और मनोरंजन पार्क पेश किए जाएंगे।

राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (NMHC) के बारे में:

- राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (NMHC) को सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐतिहासिक क्षेत्र में, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत निर्मित किया जा रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत की समुद्री धरोहर को एक शैक्षिक और मनोरंजक दृष्टिकोण से प्रदर्शित करना है।
- एक बार पूरा हो जाने पर, NMHC दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर होगा और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनेगा।
- NMHC परियोजना के तहत लगभग 22,000 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है, जिसमें 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष पद शामिल हैं।

कच्छ में कैराकल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र

- हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ में कैराकल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है।
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मांडवी में श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक पर वन्यजीव सप्ताह के दौरान इस पहल का अनावरण किया। इस योजना का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों, विशेषकर कैराकल और उनके आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
- कच्छ के चाडवा राखल क्षेत्र में स्थित यह केंद्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय कैराकल (हेनोटारो) प्रजातियों का संरक्षण और प्रजनन सुनिश्चित करना है।
- भारत में, कैराकल को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत शामिल किया गया है, जो इसकी संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है। जबकि अफ्रीका में उनकी अधिक संख्या होने के कारण इन्हें IUCN द्वारा 'सबसे कम चिंता' वाली श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में गुजरात में कैराकल को केवल 19 बार देखा गया है, जिनमें से केवल नौ बार की पुष्टि तस्वीरों के माध्यम से की गई है और ये सभी तस्वीर कच्छ जिले की हैं।
- कैराकल निशाचर और फुर्तीले शिकारी होते हैं, जिन्हें उनके विशिष्ट कान के गुच्छों और शिकार कौशल के लिए जाना जाता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाई जाती है लेकिन आवासीय क्षति ने भारत में इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जिससे संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
- चाडवा राखल क्षेत्र, जहां कैराकल केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। यहां तेंदुए, मगरमच्छ, भारतीय हिरन, रेगिस्तानी लोमड़ी, सियार सहित स्तनधारियों की 28 प्रजातियां, सरीसृपों की 28 प्रजातियां और पौधों की 243 प्रजातियां पाई जाती हैं।

ताइवान के खिलाफ चीन की 'एनाकोंडा रणनीति'

- ताइवान के नौसेना कमांडर एडमिरल तांग हुआ ने खुलासा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), ताइवान के आसपास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रही है, जिसके लिए 'एनाकोंडा रणनीति' का उपयोग कर रही है।
- इस बहुआयामी रणनीति में सैन्य, मनोवैज्ञानिक और साइबर रणनीति शामिल है, जो ताइवान पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई है। यह रणनीति अमेरिकी गृहयुद्ध की 'एनाकोंडा योजना' से प्रेरित है, जिसका मुख्य लक्ष्य विरोधी की आर्थिक, सैन्य, और राजनीतिक गतिविधियों को अवरुद्ध कर उसे रणनीतिक रूप से कमजोर करना था।
- चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ताइवान को घेरने की तैयारियों में है, जिससे एक बड़ा सैन्य खतरा उभर रहा है। हाल के आँकड़े चीनी सैन्य गतिविधियों में नाटकीय वृद्धि दिखाते हैं, ताइवान के पास परिचालन करने वाले जहाजों की संख्या जनवरी में 142 से बढ़कर अगस्त तक 282 हो गई, उसी समय सीमा में हवाई घुसपैठ 36 से बढ़कर 193 हो गई।
- यह रणनीति न केवल ताइवान की सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास करती है, बल्कि भय और अस्थिरता पैदा करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का भी उपयोग करती है। इसका उद्देश्य ताइवान को रणनीतिक गलतियों की ओर धकेलना है। राजनीति विज्ञानी जून टेफेल ड्रेयर के अनुसार, 'एनाकोंडा रणनीति' का लक्ष्य निरंतर बाहरी दबाव बनाए रखते हुए ताइवान के आंतरिक समाज को अस्थिर करना है। चीन, बिना प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के, ताइवान की सुरक्षा को कमजोर कर वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, जो उसकी दीर्घकालिक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करता है।

ड्रैगन ड्रोन

- रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में, 'ड्रैगन ड्रोन' नामक एक नया घातक हथियार सामने आया है, जो थर्माइट नामक पिघले हुए पदार्थ को छोड़ने में सक्षम है।
- थर्माइट यह एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का एक संयोजन है, जो 2,427 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान पर जलता है और इसे बुझाना मुश्किल होता है। यह एक शक्तिशाली अग्निज्वलक के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सामग्रियों में प्रवेश कर गंभीर जलन और सैन्य उपकरणों तथा कर्मियों को व्यापक नुकसान पंहुचा सकता है।
- प्रारंभ में, यूक्रेनी सेनाओं ने इन ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया।
- बाद में, रूस की सेना ने भी इन ड्रनों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
- थर्माइट का युद्ध में ऐतिहासिक उपयोग रहा है, जिसमें दोनों विश्व युद्धों में इसके उपयोग शामिल हैं। हालांकि, आधुनिक संघर्ष में इसका उपयोग महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत थर्माइट का उपयोग स्पष्ट तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ इसके इस्तेमाल पर कुछ पारंपरिक हथियारों के कन्वेंशन द्वारा रोक लगाई गई है। यह इस बात को दर्शाता है कि थर्माइट का उपयोग किया जा सकता है और इससे गंभीर नुकसान हो सकता है।

एचएएल को महारत्न का दर्जा

- हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा दिया गया, जिससे यह महारत्न का मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) बन गया।
- अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) और शीर्ष समिति की सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित यह दर्जा, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एचएएल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

महारत्न का दर्जा पाने हेतु मानदंड:

महारत्न का दर्जा उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) को दिया जाता है जो असाधारण प्रदर्शन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की क्षमता रखते हैं। इस उपलब्धि से इन्हें अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

- **नवरत्न दर्जा:** कंपनी के पास पहले से नवरत्न दर्जा होना चाहिए।
- **स्टॉक मार्केट लिस्टिंग:** कंपनी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए और कंपनी को सेबी के नियमों का पालन करना चाहिए।

- **वित्तीय प्रदर्शन:**
  - » पिछले तीन वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
  - » औसत निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए।
  - » कर के बाद औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
- **वैश्विक उपस्थिति:** कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का वित्तीय प्रदर्शन:

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, एचएएल ने 28,162 करोड़ का कारोबार और 7,595 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जोकि भारत में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन एयरोस्पेस उद्योग में एचएएल की रणनीतिक पहलों को दर्शाता है।

महारत्न दर्जे के निहितार्थ:

- महारत्न का दर्जा मिलने से एचएएल को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, जिससे वह सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना निवेश संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगा। इस नई स्वायत्तता से परियोजना कार्यान्वयन में तेजी आने, नवाचार को बढ़ावा मिलने और परिचालन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
- इस प्रकार, एचएएल भारत में सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है।

5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023: ओडिशा ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

- हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें नौ श्रेणियों में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के पुरस्कारों सहित कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया।

- ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला तथा गुजरात और पुडुचेरी ने तीसरा स्थान साझा किया। पुरस्कारों के साथ कुछ श्रेणियों में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए।
- राष्ट्रपति मुर्मू ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और 2019 में 17% से बढ़कर 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के घटते भूजल संसाधनों के बारे में भी चिंता जताई।
- अन्य श्रेणियों में, राजस्थान के सीकर में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ने जल संचयन में अपने प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पहला पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार नवीन जल प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

डीजी परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक

- 15 अक्टूबर, 2024 को डीजी परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- परमेश शिवमणि ने तट पर और समुद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें उन्नत अपतटीय गश्ती पोत 'समर' जैसे प्रमुख जहाजों की कमान संभाली है। उन्हें 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
- राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र, उन्हें सितंबर 2022 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था।
- उनके कार्यकाल में अवैध शिकार विरोधी अभियान, विदेशी तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास और महत्वपूर्ण मादक पदार्थों की जब्ती जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ शामिल हैं। अपनी सेवा के लिए, उन्हें तटरक्षक पदक और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं।

काजिंद–2024

- भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण, काजिंद-2024, 13 अक्टूबर, 2024 को संपन्न हुआ। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना था।
- कुमाऊं रेजिमेंट और अन्य सेवाओं के 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी और सेना बल, वायु रक्षा बल और एयरबोर्न असॉल्ट इकाइयों के 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तान की टुकड़ी ने अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास किया।
- प्रमुख सामरिक गतिविधियों में क्षेत्र पर कब्जा करने के ऑपरेशन, आतंकवादी कार्रवाइयों का जवाब, संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, और घेरा-और-खोज अभियान शामिल थे, जिसमें ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम का भी उपयोग किया गया था।
- काजिंद-2024 ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतरसंचालनीयता, सौहार्द को बढ़ावा, रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए भारत और कजाकिस्तान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ को IAF वर्ल्ड स्पेस अवॉर्ड मिला

- हाल ही में 14 अक्टूबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के चेयरमैन एस. सोमनाथ को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन (IAF) वर्ल्ड स्पेस अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह अवॉर्ड चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें दिया गया।
- IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह अवॉर्ड स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है।
- इस अवॉर्ड के पूर्व विजेताओं में NASA जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां और एलन मस्क जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है।
- 2019 में ISRO को मंगलयान मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह मिशन मंगल की ऑर्बिट में पहली कोशिश में ही सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई स्पेसक्राफ्ट बना था।

उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ

- हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मंत्रिपरिषद के साथ शपथ दिलाई गई।
- हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, जो 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल की।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे।

3डी–प्रिंटेड डाकघर

- भारत में पुणे, बेंगलुरू के बाद 3डी प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित होने वाला दूसरा डाकघर बनने जा रहा है, जिसे तीन महीने से भी कम समय में पूरा करने की योजना है।
- पारंपरिक निर्माण पद्धतियों के विपरीत, इस डाकघर में ऊर्ध्वाधर खंभे, ईंटें या स्टील का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर, 3डी प्रिंटिंग के लिए विशेष रूप से विकसित एक अद्वितीय प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा।
- सहकार नगर में नई सुविधा के लिए स्थान निर्धारित किया गया है, हालाँकि निविदा प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है।
- भारत में पहला 3डी-प्रिंटेड डाकघर पिछले वर्ष बेंगलुरू में खोला गया था, जोकि निर्धारित समय से दो दिन पहले, केवल 43 दिनों में पूरा हुआ। यह पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में समय की बचत करता है, जिनमें आमतौर पर 6 से 10 महीने का समय लगता है।

- 3डी प्रिंटिंग तकनीक को लागत-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इस प्रक्रिया में, डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और प्रिंटर द्वारा संरचना को आकार देने के लिए सीमेंट या अन्य सामग्रियों को जमा किया जाता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

- हाल ही में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 11 नवंबर, 2024 को शपथ लिया। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा, जो 13 मई, 2025 को समाप्त होगा।

महत्वपूर्ण योगदान:

- **चुनावी बॉन्ड योजना:** 2024 में, वे उस पीठ का हिस्सा थे जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
- **अनुच्छेद 370:** वे पांच न्यायाधीशों वाली पीठ में शामिल थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा, जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटा दिया।
- **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाक:** 2023 में, उन्होंने 'विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन' की अवधारणा के आधार पर अनुच्छेद 142 के तहत सीधे तलाक देने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की।
- **मुख्य न्यायाधीश के लिए आरटीआई:** 2019 में, उन्होंने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अनुरोधों के अधीन हो सकता है, यह फैसला न्यायिक पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन को उजागर करता है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना

- हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो अब 446 से अधिक तितली प्रजातियों का घर है, अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। 27 से 29 सितंबर, 2024 के बीच 'तितली संरक्षण बैठक-2024' का आयोजन पहली बार काजीरंगा में किया गया, जिसमें देशभर से 40 तितली विशेषज्ञों ने भाग लिया।

- तितलियों पर डॉ. ज्योति गोगोई द्वारा लिखित एक नई सचित्र गाइडबुक का लॉन्च किया गया। पुस्तक में काजीरंगा में दर्ज तितलियों की 446 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनमें से 18 भारत के लिए नए रिकॉर्ड हैं। इसमें बर्मी थ्रीरिंग, ग्लासी सेरुलियन, डार्क-बॉर्डर हेज ब्लू, अंडमान येलो बैंडेड फ्लैट, फेरर्स सेरुलियन, ग्रेट रेड-वेन लांसर, पीकॉक ओकब्लू, सिंगल्ड, लाइन्ड फ्लैश, येलो-टेल्ड अवल्किंग, व्हाइट पाम बॉब, डार्क-डस्टेड पाम डार्ट, क्लैवेट बैंडेड डेमन, पेल-मार्क्ड ऐस, येलो ओनिक्स, लॉन्ग-विंग्ड हेज ब्लू, ऐस एसपी और ड्वार्फ बैंडेड डेमन शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य तितलियों के विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना और उनके संरक्षण की स्थिति का आकलन करना था। बैठक के दौरान कुल 85 तितली प्रजातियों का अवलोकन किया गया। हिमालय और पटकाई पर्वत श्रृंखलाओं के बाहर काजीरंगा के स्थान को देखते हुए यह रिकॉर्ड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तितली संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

सागर कवच

- हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 16-17 अक्टूबर 2024 को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- गांधीनगर में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा समन्वित, यह इस वर्ष का दूसरा अभ्यास था, जिसका उद्देश्य मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को मान्यता प्रदान करके समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना था।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, राज्य पुलिस, समुद्री पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और बंदरगाह प्राधिकरण सहित विभिन्न प्रमुख हितधारक शामिल थे।
- दो दिवसीय अभ्यास के दौरान, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में भाग लेने वाली एजेंसियों के समन्वय और तैयारियों का परीक्षण करने के लिए कई परिचालन परिदृश्यों (multiple operational scenarios) का अनुकरण किया गया।

- यह पहल तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के समुद्र तट पर घुसपैठ, तस्करी और समुद्री आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अखिल शेरॉन ने राइफल 3 -पोजिशन इवेंट में ISSF विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता

- अखिल शेरॉन ने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में डॉ.कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3-पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। यह उपलब्धि भारत का इस आयोजन में दूसरा पदक है, इससे पहले सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता था।
- हंगरी के इस्तवान पेनी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि चेक गणराज्य की जिरी प्रिवट्स्की ने रजत पदक जीता। महिलाओं की स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन चीन की हुआंग युटिंग ने स्वर्ण पदक जीता।
- दुनिया भर के शीर्ष निशानेबाजों की भागीदारी वाला ISSF विश्व कप फाइनल 2024, 13 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में हुआ। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 2024 टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता

- न्यूजीलैंड ने 20 अक्टूबर, 2024 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला टी20 विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया।
- एमेलिया केर ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। उनके हरफनमौला कौशल का प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कुल 135 रन बनाए और सीरीज में 15 विकेट लिए, जिससे न्यूजीलैंड की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिखा।
- फाइनल में, न्यूजीलैंड ने 158/5 का स्कोर बनाया। एमेलिया केर ने 38 गेंदों पर 43 रन का योगदान देते हुए और 24 रन देकर तीन विकेट लेते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 126/9 पर सिमट गया।
- महिला टी20 विश्व कप के नौ संस्करण हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया छह खिताबों के साथ सबसे आगे है, जबकि इंग्लैंड (2009), वेस्टइंडीज (2016) और अब न्यूजीलैंड (2024) ने भी जीत दर्ज की है।

भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास: नसीम-अल-बहर 2024

- हाल ही में भारत-ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम-अल-बहर, 13-18 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ-साथ ओमान के पोत RNOV अल सीब ने भाग लिया।
- यह अभ्यास दो चरणों में हुआ:
  - » बंदरगाह (13-15 अक्टूबर)
  - » समुद्र (16-18 अक्टूबर) - गोवा के तट पर।
- इस अभ्यास में समुद्र में, दोनों नौसेनाओं ने गन फायरिंग, विमान-रोधी अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास और क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर संचालन किया।
- भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान ने परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए ओवर-द-होराइजन टारगेटिंग (OTHT) डेटा प्रदान किया।
- इस अभ्यास, नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता को सफलतापूर्वक मजबूती प्रदान करता है। इसने भारत और ओमान के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

2026 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रमुख खेलों का बहिष्करण

- हाल ही में एक निर्णय के तहत ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) से क्रिकेट, फील्ड हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और टेबल टेनिस जैसे कई प्रमुख खेलों को बाहर रखा गया है। यह बहिष्करण आयोजन की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले संस्करणों की तुलना में खेलों की संख्या में कमी आई है।
- इस संस्करण में केवल 10 खेलों को शामिल करने की योजना है, जिसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, लॉन बॉल्स, जिमनास्टिक, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो शामिल हैं। यह संख्या 2022 बर्मिंघम संस्करण में शामिल 20 खेलों की तुलना में काफी कम है।
- कुश्ती और निशानेबाजी को बाहर करना विशेष रूप से नुकसानदायक है, क्योंकि भारत ने पिछले आयोजनों में कुश्ती में 114 और निशानेबाजी में 135 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन अत्यधिक उत्कृष्ट रहा है।
- हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस को हटाने से भारत की पदक की संभावनाएँ भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ये खेल ऐतिहासिक रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण सफलताएँ अर्जित कर चुके हैं। इस स्थिति से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की समग्र स्थिति पर गंभीर चुनौती उत्पन्न होने की संभावना है।

चक्रवात 'दाना'

- भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात 'दाना' के निर्माण का पूर्वानुमान लगाया है। यह चक्रवात 23 अक्टूबर, 2024 तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 120 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।
- चक्रवात के ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने का अनुमान है, जिससे भारी वर्षा और तेज हवाएँ चलेंगी। यह स्थिति इन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।

चक्रवात के बारे में:

- चक्रवात बड़े पैमाने पर घूमते हुए हवा के पिंड होते हैं, जो निम्न दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चक्रवात को ऊर्जा संघनन के दौरान निष्कासित होने वाली उष्मा से मिलती है, जिसके लिए वायुमंडल में उच्च आर्द्रता आवश्यक है।
- चक्रवाती तूफानों को हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गंभीर चक्रवात की गति 89 से 117 किमी/घंटा के बीच होती है। चक्रवात मूसलाधार बारिश, तेज हवाएँ, तूफानी लहरें और बाढ़ का कारण बनते हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में, चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रखा जाता है। भारत, बांग्लादेश और अन्य सदस्य देश क्रमिक रूप से नाम प्रदान करते हैं।

नेपाल की स्वदेशी भाषाओं में समाचार सेवाओं का विस्तार

- नेपाल की राज्य समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति (आरएसएस) ने मैथिली, अवधी, भोजपुरी और थारू भाषाओं में समाचार सेवाएँ शुरू की हैं, जिससे विविध भाषाई समुदायों के लिए सूचना तक पहुँच बढ़ेगी।
- इस पहल का उद्घाटन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया और यह मंत्रालय के 100-दिवसीय लक्ष्यों के अनुरूप है और बहुभाषावाद को बढ़ावा देकर नेपाल की संघीय संरचना के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
- इसके अलावा, नेपाल के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्र गोरखापत्र ने रणथरू भाषा को समर्पित एक पेज पेश किया।
- भारत में, मैथिली, अवधी और भोजपुरी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ हैं जो मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जो भारत की समृद्ध भाषाई विविधता में योगदान देती हैं। स्वदेशी थारू लोगों द्वारा बोली जाने वाली थारू, तराई क्षेत्र में प्रचलित है।
- ये भाषाएँ साझा परंपराओं, रीति-रिवाजों और इतिहास को प्रतिबिंबित करती हैं, समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करती हैं और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देती हैं, जिससे भारत और नेपाल दोनों का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध होता है।

जंपिंग स्पाइडर (मकड़ी) की नई प्रजाति

- दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति, तेनकाना जयमंगली की खोज की गई है। इससे पहले पश्चिमी घाट से जंपिंग स्पाइडर (मकड़ियों) की दो नई प्रजातियों की खोज की गई थी। तेनकाना नाम कन्नड़ शब्द 'दक्षिण' से आया है, क्योंकि यह प्रजाति दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका में पाई जाती है।
- नई खोजी गई प्रजाति, तेनकाना जयमंगली, का नाम कर्नाटक में जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे पहली बार खोजा गया था।
- तेनकाना मकड़ियाँ जंपिंग स्पाइडर की प्लेक्सिपिना उप-जनजाति से संबंधित हैं और ये हाइलस और टेलामोनिया जैसे समूहों से अलग हैं।
- ये मकड़ियाँ अपने जंगल में रहने वाले संबंधित प्रजातियों के विपरीत, शुष्क, जमीनी स्तर के आवासों को पसंद करती हैं। वे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई गई हैं। जूकीज पत्रिका में प्रकाशित शोध, आनुवंशिक अध्ययनों और शारीरिक परीक्षणों पर आधारित था। हाल ही में खोजी गयी दो प्रजातियां जोकि पहले कोलोपसस वंश का हिस्सा थीं, अब तेनकाना के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत कर दी गई हैं।

प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

- प्रबोवो सुबियांतो ने 20 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश के प्रमुख बने है। प्रबोवो, जो पूर्व विशेष बल कमांडर हैं, ने चुनाव में लगभग 60% वोट प्राप्त किए।
- उनकी प्रमुख नीतियों में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की योजना शामिल है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 48 मंत्री और 58 उप-मंत्री नियुक्त किए।
- प्रबोवो का कार्यकाल जोको विडोडो (जोकोवी) के दस वर्षों से अधिक के शासन का अंत है, जिन्होंने इंडोनेशिया के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत प्रदान किया है। प्रबोवो के नेतृत्व में इंडोनेशिया से आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण की नीतियों में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
- इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी जकार्ता है और इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपिया है।

18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में होगा

- ओडिशा में 8 से 10 जनवरी, 2025 के बीच भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित होगा।
- मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विदेश मंत्रालय से प्राप्त इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है।
- प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत 2003 से इस दिवस का आयोजन करता आ रहा है। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ था।

आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा

- अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7% पर बरकरार रखा है। रिपोर्ट में 2023 में 8.2% से 2024 में 7% और 2025-26 में 6.5% तक वृद्धि दर में अनुमानित कमी पर प्रकाश डाला गया है।
- यह मंदी मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बनी दबी हुई मांग में कमी के कारण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने संभावित विकास स्तरों पर वापस समायोजित हो रही है।
- वैश्विक स्तर पर, आईएमएफ को उम्मीद है कि 2024 और 2025 दोनों में आर्थिक वृद्धि दर 3.2% पर स्थिर रहेगी। मुद्रास्फीति घट रही

है, जिसका 2025 के अंत तक 3.5% तक गिरने का अनुमान है, जोकि आर्थिक स्थिरता के लिए अभी भी जोखिम हैं।

- इन जोखिमों में क्षेत्रीय संघर्षों में संभावित वृद्धि, व्यापार नीतियों में बदलाव और लंबे समय तक मौद्रिक स्थितियों के कठोर रहने की संभावना शामिल है।
- आईएमएफ की रिपोर्ट भारत में आर्थिक विकास को समर्थन देने और महामारी से उबरने के दौरान कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रभावी नीति उपायों के महत्व को रेखांकित करती है।

न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

- न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी को एक विशेष संसदीय समिति द्वारा पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। समिति ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से चुना है।

- यह निर्णय हाल ही में पारित 26वें संविधान संशोधन के बाद लिया गया है, जिसने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। न्यायमूर्ति अफरीदी न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह का स्थान लेंगे।
- समिति का निर्णय अब प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यह नियुक्ति चल रहे सुधारों के बीच पाकिस्तान की न्यायपालिका के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

- हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई 'तरुण प्लस' श्रेणी शुरू की गई है। इस वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा योजना के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, जिसमें वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना, विशेष रूप से उभरते उद्यमियों को उनके विकास और विस्तार को सुविधाजनक बनाकर लाभ पहुंचाना शामिल है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में इस बदलाव की घोषणा की, जिसमें उन्होंने निर्दिष्ट किया कि यह वृद्धि उन उद्यमियों पर लागू होगी, जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है।

पीएमएमवाई के बारे में:

- यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, पीएमएमवाई का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए 10 लाख तक का आसान, संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट प्रदान करना है।
- ऋण सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, माइक्रोफाइनेंस संस्थान और अन्य वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं। मौजूदा योजना के तहत, बैंक तीन श्रेणियों में 'शिशु: 50,000 रूपये तक किशोर: 50,000 से 5 लाख रूपये के बीच तरुण: 10 लाख रूपये तक' संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।

भारतीय फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुंची

- भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 24 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित नवीनतम फीफा रैंकिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह बढ़त वियतनाम के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मैच में हाल ही में 1-1 से ड्रॉ के बाद मिली है।
- नए कोच मनोलो मार्केज के मार्गदर्शन में, टीम अभी भी अपनी पहली जीत का लक्ष्य तलाश रही है, उनके आने के बाद से एक हार और दो ड्रॉ दर्ज किए हैं। इसके बावजूद, उनके प्रदर्शन के परिणामस्वरूप +0.26 अंकों की वृद्धि हुई है, जिससे टीम के कुल अंक 1133.78 हो गए हैं।
- एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) रैंकिंग में, भारत भी एक स्थान ऊपर बढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक फुटबॉल परिदृश्य में अर्जेंटीना का नेतृत्व बना हुआ है, जो 1883.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील शीर्ष पांच टीमों में शामिल हैं।

इसरो और डीबीटी के बीच समझौता ज्ञापन

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों और बायोमैन्युफैक्चरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना है, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- शोध के प्रमुख क्षेत्रों में यह जांच करना शामिल है कि पूरक माइक्रोग्रैविटी में मांसपेशियों के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन और पोषण के लिए माइक्रोएल्गी के विकास का अध्ययन करना और साइनोबैक्टीरिया पर अंतरिक्ष की स्थितियों के प्रभावों की जांच करना। ये अध्ययन विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना शामिल है।

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना, 2025

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना, 2025 शुरू की है, जिसमें पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों (CPSUs), जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के कर्मचारियों को मान्यता दी गई है।
- इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त और रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों के अनुभवों को एकत्रित करना और उन्हें प्रदर्शित करना है। अनुभव पोर्टल पर लेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।
- इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और तब से 10,886 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें 59 अनुभव पुरस्कार और 19 जूरी प्रमाण पत्र उत्कृष्ट प्रस्तुतियों को दिए गए हैं।
- योजना में अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तीन साल के भीतर अपने अनुभव साझा करने की अनुमति है, जो पहले एक साल की सीमा से बढ़ाई गई है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) का दुबई में पहला विदेश कैंपस

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) अपना पहला विदेश कैंपस दुबई में इंडिया पविलियन, एक्सपो सिटी में खोलेगा। यह कदम एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत किया जा रहा है।
- यह कैंपस 2025 की शुरुआत में काम शुरू करेगा। पहले यहां छोटे और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, फिर MBA (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) कार्यक्रम शुरू होगा।
- इस पहल का उद्देश्य यूएई में रहने वाले 3.5 मिलियन भारतीयों को लाभ पहुंचाना और IIFT की पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है।
- यह समझौता भारत और यूएई के बीच मौजूदा समझौतों को और मजबूत करता है, जिसमें व्यापार के तरीके और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) शामिल हैं।

IIFT के बारे में:

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना 1963 में वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। इसे 'डिम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा मिला है और यह भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूलों में से एक है।
- यह विदेशी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1.	केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुम्बई बंदरगाह से 'क्रूज भारत मिशन' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। मिशन का लक्ष्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है।
2.	महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में देशी गाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देते हुए उसे आधिकारिक तौर पर 'राज्य माता' घोषित किया है। इस कदम से गायों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
3.	1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 45/106 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था।
4.	भारतीय नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने यूरोनावल 2024 में भाग लिया, जोकि 4 से 7 नवंबर तक फ्रांस के पेरिस नॉर्ड विलेपिन्टे में आयोजित हुआ।
5.	केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस समिट का उद्देश्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से भारत की मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में नेतृत्व को मजबूत करना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।
6.	काजिंद-2024 सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। यह भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जोकि 2016 में 'अभ्यास प्रबल दोस्तिक' के रूप में शुरू हुआ था और दूसरे संस्करण के बाद इसका नाम बदलकर 'अभ्यास काजिंद' कर दिया गया।
7.	प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए वार्षिक रूप से दिया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस) पदक, शॉल और 10,00,000 की नकद राशि प्रदान की जाती है।
8.	भारतीय खो खो महासंघ (केकेएफआई) और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की कि पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में 16 टीमें शामिल होंगी।
9.	2024 का इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD) 3 से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और सम्मेलन का विषय था 'इंडो-पैसिफिक में संसाधन भू-राजनीति और सुरक्षा।' IPRD भारतीय नौसेना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।
10.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने 'जमैका मार्ग' का उद्घाटन किया, जोकि भारत-जमैका राजनयिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है।
11.	तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) का एक राज्य अध्याय मिला है। यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
12.	सरकार ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पुनर्गठन किया है, जिसमें प्रोफेसर राम सिंह, अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य और डॉ. नागेश कुमार को क्रमशः आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर. वर्मा की जगह नया सदस्य नियुक्त किया गया है।
13.	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को पायलट चरण में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 500 शीर्ष कंपनियां भाग ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप अवसर सृजित करना है। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा।
14.	भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के लिए आशय पत्र को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (IPEEC) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
15.	डीकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन, जोकि बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया गया, में हरित शिपिंग और टिकाऊ बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया गया।

16.	3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी। इस निर्णय से पहले, भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया सहित छह शास्त्रीय भाषाएँ थीं। तमिल पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय दर्जा दिया गया था।
17.	विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को पशु कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 2024 का विषय 'दुनिया उनका भी घर है' है, जो जानवरों के कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देता है।
18.	प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस-2024 समारोह के दौरान नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ग्वालियर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, साथ ही इसके परिसर में कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का भी उद्घाटन किया।
19.	क्लाउडिया शिनबाम ने 1 अक्टूबर 2024 को एंड्रेस मैनुअल लोपेज की जगह मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
20.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से 'धरती आबा' जनजातीय ग्राम उत्कर्ष और डीएजेजीयूए अभियान का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 22,823 करोड़ रुपये का योगदान करेंगी।
21.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एबॉट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा विकसित पहले नैदानिक परीक्षण 'एलिनिटी एम एमपीएक्सवी' को मंजूरी देकर एमपॉक्स से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
22.	विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया था। 2024 का विषय है: 'शिक्षकों की आवाज को महत्व देना: शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर।'
23.	अडानी समूह और गूगल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य गूगल के 24/7 कार्बन-मुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को समर्थन देना है।
24.	भारत ने 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार कर चौथा देश बनने का इतिहास रच दिया है और वह चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।
25.	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, और इसका वित्तीय परिव्यय 10,103 करोड़ रुपये होगा।
26.	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव मंच 'वातावरण' का आयोजन किया गया। यह महोत्सव 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका महत्वपूर्ण विषय 'जीवन के लिए आर्द्रभूमि' था।
27.	पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पिस्टल निशानेबाज दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।
28.	महाराष्ट्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने मुंबई के कांदिवली में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
29.	पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत अति लघु-दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) के तीन सफल उड़ान परीक्षण किए गए।
30.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो का अनावरण किया। प्रयागराज में आयोजित इस मेले का नया लोगो अक्षय वट वृक्ष, मंदिर, द्रष्टा, कलश और भगवान हनुमान के प्रतीकों से सुसज्जित है।
31.	नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्रन पौडेल ने प्रकाश मान सिंह राउत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
32.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) 2025 की तक दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने के लिए तैयार है।
33.	भारत और यूएई निर्बाध सीमा पार लेनदेन के लिए यूपीआई और एएएनआई को एकीकृत करेंगे, जिससे यूएई में रहने वाले 3 मिलियन से अधिक भारतीयों को लाभ होगा। 2023-24 में भारत और यूएई के बीच रिकॉर्ड 84 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ।

34.	वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रोआरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
35.	विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जोकि 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। 2024 का थीम है 'राष्ट्रों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष'।
36.	माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण 17-18 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। इसका विषय था 'व्यवधान के युग में आगे बढ़ना', जिसमें नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जटिल व्यावसायिक वातावरण को नेविगेट करने में माइंडफुलनेस की भूमिका पर जोर दिया गया।
37.	2024 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग में योगदान के लिए जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफ्री ई. हिंटन को दिया गया
38.	एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप, एमएसीई वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर, 2024 को लद्दाख के हानले में डॉ. परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने किया।
39.	लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करना है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा।
40.	शारजाह में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में 'स्टडी इन इंडिया' अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है और इसमें 590 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
41.	रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी पर उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
42.	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसका विषय 'कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य' होगा।
43.	साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन, काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया, जोकि ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। हान कांग, जो अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जानी जाती हैं, प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण कोरियाई बन गई।
44.	21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आसियान के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को और बढ़ाने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की।
45.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में अपग्रेड किया गया है।
46.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम 'एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना' है, जो आपदा जोखिमों को कम करने के लिए युवाओं को तैयार करने में शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है।
47.	अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 149वीं बैठक 13-17 अक्टूबर तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई।
48.	ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 105वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) रिपोर्ट वेल्टहंगरहिल्फ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
49.	नेपाली पर्वतारोही नीमा रिन्जी शेरपा 18 वर्ष की आयु में 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।
50.	बहुउद्देश्यीय पोत परियोजना का पहला जहाज, 'समर्थ' एलएंडटी, कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया।
51.	2024 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार डारोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को दिया गया। उनका अध्ययन इस विषय पर था कि संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं।
52.	नोबेल शांति पुरस्कार हिरोशिमा-नागासाकी बम विस्फोटों के बचे लोगों के संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जमैका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. जमैका द्वीप लगभग 10,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे कैरिबियन में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बनाता है।
2. किंग्स्टन जमैका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो दक्षिणी तट पर स्थित है।
3. जमैका को 1492 में स्पेनिश द्वारा उपनिवेशित किया गया था और बाद में 1655 में अंग्रेजों ने जीत लिया था

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरीशस को सभी चागोस द्वीपों की संप्रभुता वापस करने पर सहमति व्यक्त की है।
2. ब्रिटेन ने 1816 से चागोस द्वीपों को नियंत्रित किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/ हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

3. शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच अतिरिक्त भाषाओं- मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी है।
2. आज तक, केवल पाँच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।
3. 2004 में, तमिल भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भाषा बनी थी।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. हाल ही में, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 2024 को मनाया गया।
2. विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय पर्यटन और शांति था।
3. विश्व पर्यटन संगठन ने 1970 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 10वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) 30 नवंबर से 5 दिसंबर, 2024 तक गुवाहाटी में आयोजित होगा।
2. पूर्वोत्तर भारत अपने दूसरे अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) की मेजबानी करेगा।
3. महोत्सव का विषय है 'भारत को एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना'।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी।
2. मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसमें 100,103 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा।
3. मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

7. सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित

कथनों पर विचार करें:

1. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान ओड़िसा में स्थित है और मेलेनिस्टिक बाघों (काले बाघों) की आबादी भी उल्लेखनीय है।
2. यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3. 2010 से, सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से के रूप में नामित किया गया है।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रोआरएनए की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है।
2. माइक्रोआरएनए (miRNA) छोटे, एकल आरएनए का एक रूप है।
3. miRNAs आरएनए साइलेंसिंग और जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

9. भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था?

A. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
B. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)
C. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
D. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

10. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) 9 सितंबर, 2021 को शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक टीबी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक टीबी को खत्म करना है।
3. इसे पहली बार मार्च 2017 में दिल्ली एंड टीबी समिट में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया था।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

11. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ स्थापित करेगा?

A. लंदन
B. दुबई
C. सिंगापुर
D. न्यूयॉर्क

12. WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट में 1970 से 2020 तक वैश्विक स्तर पर निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट का खुलासा किया गया है।
2. मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में 85% की गिरावट आई है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 69% और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 56% की गिरावट आई है।
3. रिपोर्ट में बताया गया है कि वन्यजीव आबादी के लिए आवास का नुकसान सबसे कम महत्वपूर्ण खतरा है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

13. चावल फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चावल फोर्टिफिकेशन को FSSAI द्वारा न्यूनतम स्वास्थ्य जोखिमों के साथ चावल के पोषण प्रोफाइल को बढ़ाने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. भारत में प्रति व्यक्ति औसत चावल की खपत 10 किलोग्राम प्रति माह है।
3. फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) के उत्पादन के लिए एक्सट्रूज़न को सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

14. रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर को प्रोटीन अध्ययन में उनके योगदान के लिए दिया गया।
2. डेविड बेकर को प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए AI मॉडल अल्फाफोल्ड विकसित करने में उनके काम के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा मिला।
3. डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के अपने विकास के लिए पुरस्कार का दूसरा आधा हिस्सा साझा करेंगे।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, जो लगभग 150 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।
2. 2014 से 2017 तक आयोजित राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारत को संक्रामक ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया।
3. उन्मूलन की डब्ल्यूएचओ परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में ट्राइकियासिस का प्रसार 0.1% से कम होना चाहिए।
4. भारत द्वारा अपनाई गई SAFE रणनीति में सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की सफाई और पर्यावरण सुधार शामिल हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 3 और 4
D. उपरोक्त सभी

16. पुलिस स्मृति दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए 22 अक्टूबर को मनाया जाता है।
2. यह दिन 1962 में घात लगाकर किए गए हमले में 10 सीआरपीएफ कर्मियों की शहादत की याद में मनाया जाता है।
3. राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को 2020 में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

17. तीरंदाजी विश्व कप फाइनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दीपिका कुमारी ने महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
2. उनका पदक विश्व कप में भारत का एकमात्र पदक है।
3. यह आयोजन मेक्सिको के त्लाक्सकाला में हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

18. भारत-ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम-अल-बहर 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अभ्यास 13-18 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद और ओमान के पोत आरएनओवी अल सीब शामिल थे।
2. यह अभ्यास बंदरगाह, समुद्र और हवा तीनों चरणों में हुआ।
3. इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और ओमान के बीच नौसैनिक अंतर-संचालन को बढ़ाना और सहयोग को मजबूत करना था।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. तीनों
D. कोई नहीं

19. हाल ही में वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फरवरी 2023 में शुरू हुई वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना ने दुनिया के 77% प्रवाल भित्ति क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
2. 50 देशों और क्षेत्रों में प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई है।
3. वर्तमान विरंजन घटना अल नीनो जलवायु पैटर्न से बढ़ गई है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. तीनों
D. कोई नहीं

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22

अक्टूबर, 2024 को 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए।
2. ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला।
3. पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में दिया गया।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

21. INS सुवर्णा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, INS सुवर्णा ने अक्टूबर 2024 में अपनी एंटी-पायरेसी तैनाती के दौरान दार एस सलाम में एक बंदरगाह कॉल किया।
2. INS सुवर्णा (P52) एक सुकन्या श्रेणी का गश्ती पोत है जिसे 4 अप्रैल, 1991 को कमीशन किया गया था।
3. हिंद महासागर के तट पर स्थित दार एस सलाम, तंजानिया का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है / हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

22. पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था?

A. 1954, वैंकूवर, कनाडा
B. 1930, हैमिल्टन, कनाडा
C. 1978, एडमोंटन, कनाडा
D. 2022, बर्मिंघम, इंग्लैंड

23. भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर हाल के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अब नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जाएगा।
2. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रबंधन करता है।
3. दूरसंचार अधिनियम, 2023 अनिवार्य करता है कि सभी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाने चाहिए।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. तीनों
D. कोई नहीं

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: करतारपुर कॉरिडोर समझौता केवल भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की अनुमति देता है।

कथन-II: नवीनीकृत कॉरिडोर समझौता सुनिश्चित करता है कि कॉरिडोर 2029 तक चालू रहेगा, जिसमें प्रतिदिन 5,000 तीर्थयात्री आ सकेंगे।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, लेकिन कथन-II कथन-I की व्याख्या नहीं करता है
C. कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

25. 'ईश्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. यह 2021 में लॉन्च किए गए मूल ईश्रम पोर्टल का नया संस्करण है।
2. इस पहल का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

26. भारत-सिंगापुर संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
2. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के परिणामस्वरूप 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है।
3. अभ्यास SIMBEX भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित सेना अभ्यास है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

27. डिजिटल इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए

1 जुलाई 2016 को पहल शुरू की गई थी।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) डिजिटल इंडिया पहल का समन्वय करता है।
3. इस पहल का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

28. मिशन मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: मिशन मौसम एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार करना है, जिसका बजट दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये है।

कथन-II: मिशन विशेष रूप से कृषि मौसम पूर्वानुमान पर केंद्रित है और यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों या चरम मौसम की घटनाओं को संबोधित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, लेकिन कथन-II कथन-I की व्याख्या नहीं करता है
C. कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

29. सौर विकिरण प्रबंधन (एसआरएम) के लिए हीरे की धूल पर हाल ही में किए गए अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. हीरे की धूल को कई यौगिकों के बीच सौर विकिरण को परावर्तित करने के लिए सबसे कुशल सामग्री के रूप में पहचाना गया है।
2. अध्ययन से पता चलता है कि सालाना पाँच मिलियन टन हीरे की धूल का छिड़काव करने से तापमान में लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।
3. हीरे की धूल में सल्फर और कैल्शियम जैसी पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय चिंताएँ हैं।

सही विकल्प चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2
D. केवल 1 और 3

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 7% बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
2. यूपीआई लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गया।
3. वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में 200,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।

निर्धारित करें कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. केवल 3

31. भारत की सौर ऊर्जा पहलों और आयात गतिशीलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को 2030 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सालाना 30 बिलियन डॉलर तक सौर आयात बढ़ाने का अनुमान है।
2. सितंबर 2024 तक, भारत ने 2023-24 में 15 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी है, जिससे कुल क्षमता 90.8 गीगावाट हो गई है।
3. भारत का अधिकांश सौर विनिर्माण सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

32. साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों से निपटता है।
2. देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से संभालने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. दोनों
4. कोई नहीं

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है।
2. इस कोष को पांच साल में वितरित किया जाएगा।
3. यह कोष एंजल टैक्स से मुक्त है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

34. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से 20 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया है।
2. नई 'तरुण प्लस' श्रेणी को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है।
3. यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को नॉन-कॉर्पोरेट, गैर-फार्म छोटे और माइक्रो-उद्यमी को 10 लाख तक आसान, संपार्श्विक-मुक्त माइक्रो-क्रेडिट प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

उपरोक्त कथनों में से कितने हैं/सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

35. विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 सखारोव पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सखारोव पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को प्रदान किया गया।
2. सखारोव पुरस्कार की स्थापना 1998 में नागरिक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी।
3. पुरस्कार का नाम सोवियत भौतिक विज्ञानी आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है, जो नागरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख वकील है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. 1 और 3 केवल
C. 2 और 3 केवल
D. उपरोक्त में से कोई भी नहीं

36. सेमाग्लूटाइड पर अध्ययन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेमग्लूटाइड को अल्जाइमर रोग के विकास के जोखिम को कम करने में पाया गया है।
2. सेमग्लूटाइड के न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभावों में बीटा-एमिलॉइड में कमी और ग्लूकोज चयापचय में सुधार शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई भी नहीं

37. ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, कृत्रिम गर्भाधान (एआई) के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) का एक चूजा पैदा हुआ है।
2. आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लुप्तप्राय प्रजाति है।
3. इसे भारत में एक स्थानिक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही नही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

38. उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है।
2. यह रिपोर्ट श्रृंखला का 15वाँ संस्करण है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 6.1% की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. वह उस पीठ का हिस्सा थे जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था।
3. 2019 में, उन्होंने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के अधीन हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

40. भारत के परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत वर्तमान में तीन SSBN का संचालन करता है, जिसमें INS अरिहंत और INS अरिघाट शामिल हैं।
2. हाल ही में लॉन्च की गई S-4 पनडुब्बी K-4 मिसाइलों से लैस होगी, जो 3,500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
3. परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भारत की दूसरी-स्ट्राइक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पहले-स्ट्राइक हमले के मामले में बचाव सुनिश्चित करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

41. डब्ल्यूएचओ की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में टीबी की घटनाओं में 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से 2023 में 195 तक 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 8.3% की वैश्विक गिरावट से दोगुनी से भी अधिक है।
2. भारत में टीबी के लिए उपचार कवरेज 2015 में 89% से घटकर 2023 में 72% हो गया है।
3. सरकार ने निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत बेहतर पोषण सहायता प्रदान करने के लिए टीबी रोगियों के लिए मासिक भत्ता 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

42. अभ्यास गरुड़ शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अभ्यास गरुड़ शक्ति का नौवां संस्करण 1 से 12 नवंबर, 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजेंटुंग में आयोजित किया गया।
2. इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई सेना के कोपासस दोनों के कर्मी शामिल हैं।
3. गरुड़ शक्ति अभ्यास 2010 से आयोजित किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

43. अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण नवंबर 2024 में अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया।
2. अभ्यास वज्र प्रहार का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था।
3. अभ्यास का 14वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

44. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।
2. राजस्व विभाग के अधीन वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU&IND), PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

45. वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, VINBAX 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. VINBAX 2024 4-23 नवंबर तक हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया, और यह अभ्यास का पांचवां संस्करण है।
2. VINBAX 2024 में पहली बार भारतीय सेना और नौसेना दोनों के कार्मिक भाग ले रहे हैं।
3. यह अभ्यास 2016 में स्थापित वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के भारत के

प्रयासों का एक हिस्सा है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

46. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को 2026 तक दो साल के कार्यकाल के लिए आईएसए का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें फ्रांस सह-अध्यक्ष है।
2. आईएसए का मुख्यालय भारत के हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने की थी।
3. आशीष खन्ना 2025 में आईएसए के महानिदेशक के रूप में डॉ. अजय माथुर का स्थान लेंगे, जिससे संगठन का वैश्विक प्रभाव और मजबूत होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

47. अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य सम्मेलन (IAHC) 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वैश्विक संबद्ध स्वास्थ्य नेटवर्क (GAHN) को IAHC 2024 में लॉन्च किया गया था।
2. सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रणाली (NUHS) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से किया गया था।
3. सम्मेलन का विषय, 'एडवांसिंग एलाइड हेल्थ: डायवर्स इन कॉलिंग, यूनाइटेड इन पर्पस' विभिन्न विशिष्टताओं में स्वास्थ्य पेशेवरों के मिशन पर केंद्रित था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

48. भारत के आदित्य-एल1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आदित्य-एल1 का प्राथमिक पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी), ने कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के सटीक माप को सक्षम किया है।
2. आदित्य-एल1 को सूर्य की कोरोनल गतिशीलता और सौर वायु त्वरण का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी-चंद्रमा लैग्रेंज बिंदु (एल1) पर तैनात किया गया है।
3. आदित्य-एल1 का एक प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के पावर ग्रिड और जीपीएस सिस्टम पर सौर फ्लेयर्स के प्रभाव की जांच करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

49. 'चलो इंडिया अभियान' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'चलो इंडिया अभियान' ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को मुफ्त ई-वीजा के लिए अधिकतम पांच विदेशी नागरिकों को नामांकित करने की अनुमति देता है।
2. अभियान विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम से आने वाले पर्यटन को बढ़ाने पर लक्षित है।
3. व्ब् कार्डधारक एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'चलो इंडिया अभियान' के लिए नामांकन दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

50. पुलिस महानिदेशक (DGP), उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियम, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. DGP के लिए चयन समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे।
2. नए नियमों के अनुसार DGP को नियुक्त होने के बाद न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा।
3. DGP पद के लिए पात्रता मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि DGP रिक्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति से पहले अधिकारियों के पास कम से कम छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

51. निजी संपत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निर्णय ने पुष्टि की कि राज्य 'प्रख्यात डोमेन' के सिद्धांत के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के अधिकार एक कानूनी अधिकार हैं, न कि एक मौलिक अधिकार और इसे केवल वैध प्रक्रियाओं और उचित मुआवजे के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

52. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं।
2. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राज्य को गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार है।
3. न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन न करके शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम का उल्लंघन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

53. एडीबी और भारत के बीच हस्ताक्षरित 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऋण समझौता उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी सेवाओं को बढ़ाना है।
2. परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक और राज्य सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है, जिससे कुल परियोजना लागत $465.9 मिलियन डॉलर हो गई है।
3. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

54. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंगापुर 195 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है।
2. भारत 58 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है।
3. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था और यह बिना वीजा के पहुँच सकने वाले देशों की संख्या के आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग पर केंद्रित है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

55. रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला।
2. रोहिणी नैयर पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
3. अनिल प्रधान को एशिया की पहली विश्वविद्यालय रॉकेट टीम, वीएसएलवी के मुख्य डिजाइनर के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

56. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में भर्ती छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है।

2. इस योजना में 2024-2029 की अवधि के लिए 3,600 करोड़ का वित्तीय आवंटन शामिल है।
3. केंद्र सरकार इस योजना के तहत 7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

57. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डोनाल्ड ट्रम्प ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करके 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता।
2. कमला हैरिस को 2024 के चुनाव में 226 इलेक्टोरल वोट मिले।
3. ट्रम्प की जीत एक सदी से भी अधिक समय में उनका पहला अनियमित कार्यकाल है, जिससे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए।
4. जेडी वेंस 20 जनवरी, 2025 को ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी चार
D. कोई नहीं

58. चक्रवात दाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चक्रवात का मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल राज्यों को प्रभावित किया है।
2. चक्रवात दाना का नाम कतर ने रखा था।
3. चक्रवात एक बड़ा वायु द्रव्यमान है जो उच्च वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है

उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

उत्तर

1	A	14	A	27	C	40	B	53	C
2	D	15	B	28	C	41	B	54	A
3	B	16	D	29	A	42	B	55	B
4	B	17	B	30	D	43	A	56	B
5	A	18	B	31	A	44	A	57	C
6	B	19	B	32	C	45	B	58	C
7	B	20	C	33	C	46	C		
8	D	21	D	34	C	47	B		
9	B	22	B	35	B	48	B		
10	A	23	B	36	C	49	C		
11	B	24	D	37	C	50	B		
12	B	25	A	38	C	51	B		
13	B	26	C	39	C	52	A		

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH

UPSC (IAS)

INDIA & WORLD

2nd DEC 2024

HINDI & ENGLISH MEDIUM
9:00 AM

ENGLISH MEDIUM
6:00 PM

MODE : OFFLINE & ONLINE

FOR MORE INFORMATION
SCAN QR

A 12 Sector J Aliganj, Lucknow 9506256789

OTHER CENTER : CP1, Jeevan Plaza, Gomti Nagar, Lucknow 7234000501